सर्व शिक्षा अभियान

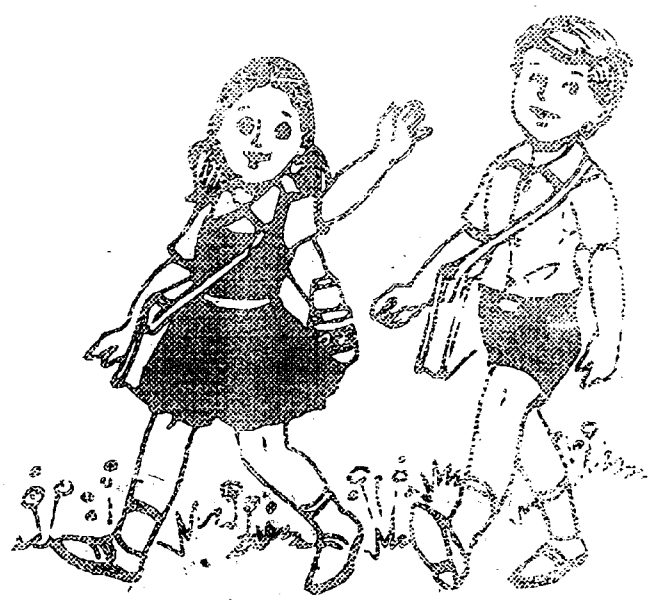

जिला योजना – पाली

2002 – 2010

लोक जुम्बिश परियोजना
जिला – पाली

DISTRICT PALI

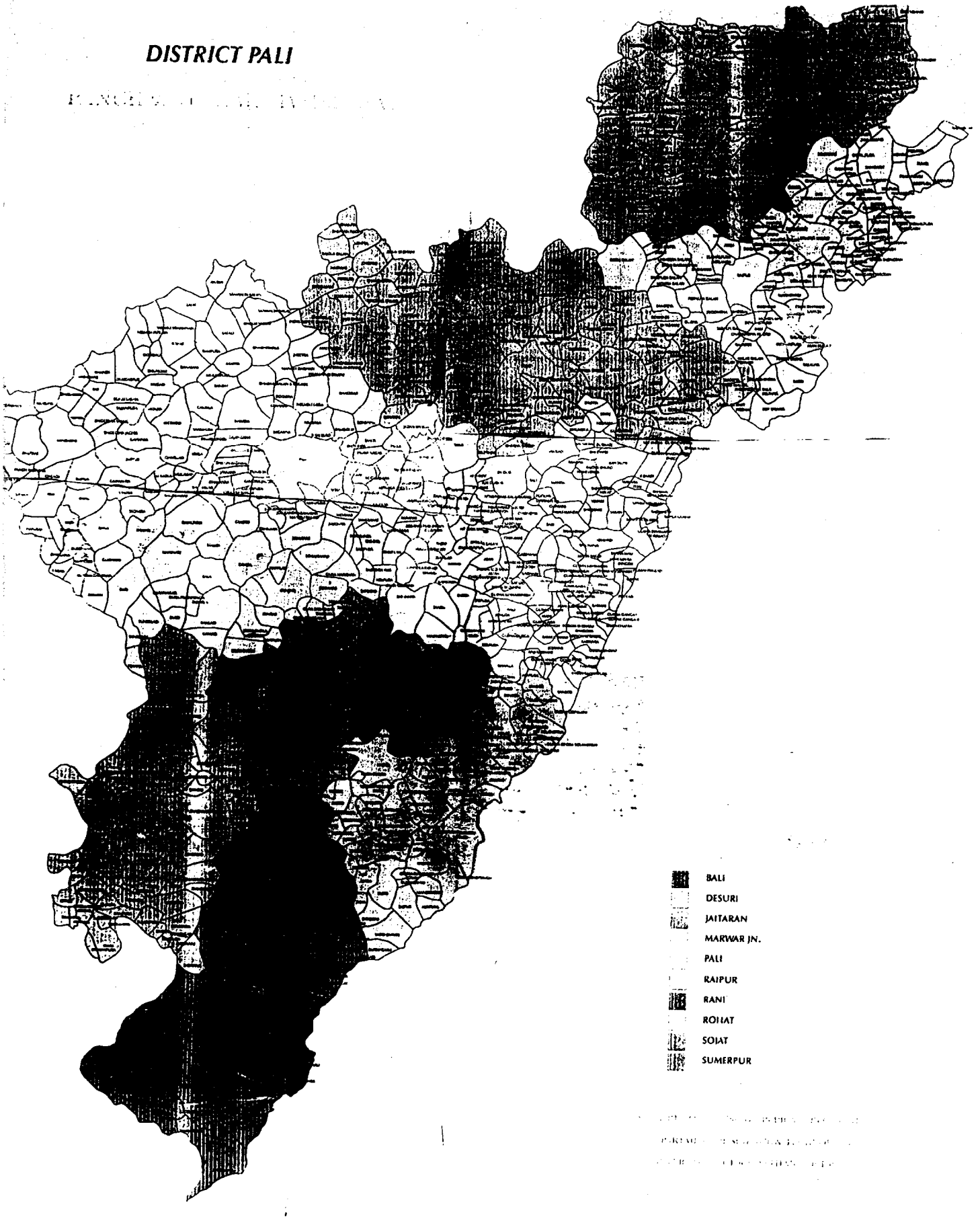

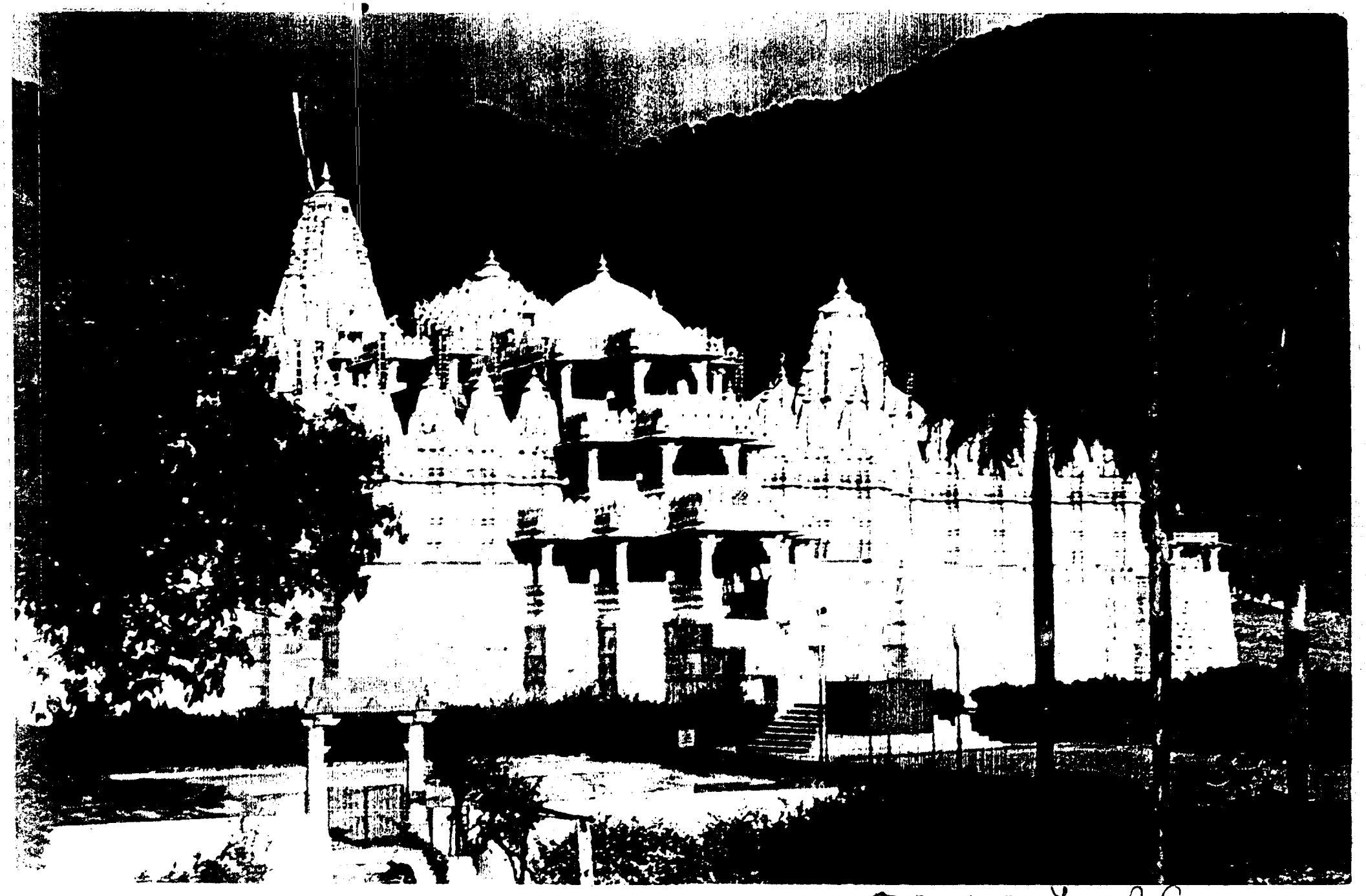

रणकपुर जैन तीर्थ स्थल

अनुक्रमणिका

क्र.सं	विवरण	पृष्ट संख्या
1	संदेश	1
2	प्राक्कथन	2
3	अपनी बात	4
4	जनगणना – 2001 भारत	6
5	जनगणना – 2001 राजस्थान	7
6	जनगणना – 2001 पाली	8
7	साक्षरता स्थिति	9
8	स्त्री साक्षरता	10
9	जिले में शैक्षिक सुविधाएँ	11
10	जिले में औपचारिक शिक्षा सुविधा	12
11	जिले में वैकल्पिक शैक्षिक सुविधा	13
12	जिले में औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थानुसार नामांकन	14
13	जिले में औपचारिक शिक्षा व्यवस्थानुसार नामांकन	15
14	जिले में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था अन्तर्गत नामांकन	16
15	अध्याय (1) जिला परिदृश्य	17–39
16	अध्याय (2) जिले का शैक्षणिक परिदृश्य	40–84
17	अध्याय (3) समस्याएँ एवं मुद्दें	85–92
18	अध्याय (4) सर्व शिक्षा अभियान	93–102
19	अध्याय (5) रणनीतियाँ एवं गतिविधियाँ	103–152
20	अध्याय (6) सिविल कार्य	153–161
21	अध्याय (7) अनुसंधन एवं मूल्यांकन मॉनिटरिंग	161–166
22	अध्याय (8) प्रबन्धन	167–184
23	वित्तीय लागत	185 –194

संदेश

प्रत्येक बालक – बालिका को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय तथा समानता अपने आप मे ही एक ठोस तर्क है । यह सर्व मान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा मानव कल्याण विशेषकर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर बच्चों का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है । क्योंकि शिक्षा न केवल अक्षर ज्ञान कराती है अपितु सोचने विचारने का माकूल नजरिया भी प्रदान करती है । जब तक व्यक्ति निरक्षर एव अशिक्षित रहता है, वह एक साथ अनेक लाभों से वंचित तो रहता ही है, साथ ही स्वयं का विकास भी नहीं कर पाता है । क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्ति के विकास के साथ–2 उसकी विश्लेषण क्षमता में वृद्धि से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करती है जिसके द्वारा व्यक्ति की सूचनाओं ससांधनों एवं अधिकारो पर पकड मजबूत हो उनके उपयोग की दक्षता विकसित होती है । यह बात स्पष्ट है कि विकास के रथ को यदि आगे बढाना है तो अशिक्षा रुपी रथ के पहिए बदलने होगे । शिक्षा के माध्यम से ही राज्य एवं राष्ट्र की समृद्धि सम्भव है । अशिक्षा एक अभिशाप है इसको समाज से मुक्त कराना हमारा परम कर्तव्य है ।

हर्ष का विषय है कि केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सन् 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक – बालिकाओं हेतु गुणवत्ता युक्त प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्ण कराने का सकल्प लिया है। जिसके अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता से कमजोर वर्गो के बालक – बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनूसुचित जन जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, एवं आदिवासी क्षेत्र के वंचित बालक – बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

जागरुक जन प्रतिनिधियों समझदार नागरिको, सरकारी आधिकारियों /कर्मचारियेां एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगे । ऐसी आशा करता हूँ।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ

कुलदीप रांका

जिला कलेक्टर, पाली

प्राक्कथन

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजीनीकरण हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही है । जिनके माध्यम से विविध तरीको से शिक्षा के सार्वजीनीकरण हेतु प्रयास किये जा रहे है । इन योजनाओं में प्रमुख रुप से लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, सतत् शिक्षा आदि प्रमुख है । इसी क्रम में केन्द्र सरकार प्रवर्तित एक महत्वाकांक्षी एवं दीर्घकालीन योजना सर्व शिक्षा अभियान का संचालन 2001 – 2010 तक किया जाना है ।

सर्व शिक्षा का मूल उद्देश्य सब के लिए शिक्षा का है । जन सहभागिता पारदर्शिता एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के मूल सिद्धान्त होगे । सन 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन, सन् 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता एवं सन् 2010 तक सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है ।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता से सभी बालक – बालिकाओं के नामांकन ठहराव दर, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं कक्षोन्नति दर में वृद्धि में सुधार हेतु पाली जिले की योजना 2001–2010 का निर्माण किया गया है । जिसके अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों प्रक्रियाओं गतिविधियों को सम्माहित करने का प्रयास किया गया है ताकि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति की सुनिश्चिता की जा सके एवं बालक – बालिकाओं को उनके क्षेत्रानुसार, आवश्यकतानुसार सुलभता से शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जा सके एवं सभी को समान रुप से शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सके ।

सर्व शिक्षा अभियान्तर्गत विशिष्ट फोकस समूहो की शिक्षा हेतु, नवाचारों हेतु सम्भावनाओं का एक बडा क्षेत्र है ताकि शिक्षा से वंचित प्रत्येक बालक – बालिका को सुलभता से गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध हो सके । जेण्डर समता एवं सामाजिक समता द्वारा सबकों शिक्षा सुलभ कराने का प्रयास भी जिला योजना में सम्माहित किया गया है ताकि जाति, धर्म, लिंग इत्यादि की असमनता के आधार पर लक्षित क्षेत्र का कोई भी बालक – बालिका शिक्षा से वंचित न रहे ।

श्री कुलदीप रांका जिला कलेक्टर पाली के सतत् निर्देशन एवं मार्गदर्शन में इस योजना का निर्माण पूर्ण हो सका इस हेतु मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ ।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जिला सांख्यिकीय अधिकारी, जिला साक्षरता अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसर्म्पक अधिकारी, समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (विशेषकर श्री विनोद शर्मा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मारवाड जं. एवं श्री कालू प्रसाद शर्मा), लोक जुम्बिश परियोजना के समस्त परियोजना अधिकारियों, आदि का सूचनाएँ उपलब्ध कराने में विशेष सहयोग रहा इस हेतु उनके प्रति तहेदिल से आभार एवं धन्यवाद ।

डा. गणेश निगम, अकादमिक अधिकारी लोक जुम्बिश परिषद,जयपुर को उनके मार्गदर्शन सुझाव एवं सहयोग हेतु मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री रविन्द्र कुमार तोमर परियोजना अधिकारी लोक जुम्बिश परियोजना बाली को योजना के निर्माण में, सूचनाओं के संकलन , लेखन एवं संवर्धन में उनके अथक परिश्रम हेतु उनकों धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

(रीता चतुर्वेदी)
जिला परियोजना समन्वयक
लोक जुम्बिश परियोजना
पाली

अपनी बात

देश को आजाद हुए पचास वर्ष पूरे हुए है, देश में शिक्षा का विकास हुआ है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है । साक्षरता की दर लगातार बढ रही है , शिक्षित होने से लोगो को लाभ मिल रहा है, विशेषकर महिलाओं में जागृति दिखती है । पिछले कुछ वर्षो में सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना शुरु किया है, किन्तु संविधान ने जो लक्ष्य दस वर्षो में ही प्राथमिक शिक्षा से 6–14 आयु वर्ग के बालक – बालिकाओं को जोडने का रखा था, वह पांच दशक बीतने पर भी पूरा नहीं हुआ है, यह हमारे आंकडें दर्शाते है ।

जरुरत इस बात की है कि अच्छे स्तर की शिक्षा पाकर व्यक्ति स्वयं समाज एवं देश के विषय में सही सोच विकसित कर सके अपने दायित्वों के प्रति जागरुक बने तथा उनका निष्ठा पूर्वक निर्वहन करें एवं अपने पारम्परिक स्थानीय संसाधनों को विकसित कर उपयोग में ले सकें । किन्हीं कारणों से यदि ऐसा न हो, तो भी प्रारम्भिक शिक्षा तो हर बालक – बालिका को मिलनी ही चाहिए ।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का, समुदाय के सहयोग से सार्वजनीनकरण करने का एक प्रयास है । यह 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी सवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत समस्त वासस्थानों में विद्यालयी सुविधा प्रदान के शत प्रतिशत नामांकन तथा बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना है । इसके लिए –

- सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पॉच वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करें ।
- सभी बच्चें वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करें ।
- गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो पर बल देना ।
- जेण्डर असमानता तथा सामाजिक वर्ग – भेद को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना ।

इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2010 तक की जिला योजना का निर्माण जिले की समस्याओं ,आवश्यकताओं एवं पूर्व उपलब्धी को आधार मानते हुए किया गया है एवं नवाचारों एवं विशिष्ट वर्गो की शिक्षा व्यवस्था हेतु सम्भावनाओं के एक बडे क्षेत्र को सम्माहित करने का प्रयास किया गया है ।

जिन्होनें किसी न किसी भी रुप में योजना निर्माण में अपना मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया (विशेषकर डा. गणेश निमग, अकादमिक अधिकारी, लोक जुम्बिश परिषद,जयपुर को उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग एवं श्री धर्मवीर मेवाड़ा, कम्प्यूटर आपॅरेटर, लोक जुम्बिश परियोजना बांली) को इस कार्य में उनके सहयोग हेतु उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से योजना का निर्माण सुगमता से हो सका ।

साथ ही प्रबुद्धजनों, अधिकारियों/कर्मचारियों, नागरिको से निवदेन करता हूँ कि इस सम्बन्ध में अपने अमूल्य सुझावों से अवश्य अवगत कराए ताकि किसी त्रुटि को परिष्कृत किया जा सके ।

हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगे इसी आशा एवं विश्वास के साथ ।

रविन्द्र कुमार तोमर
परियोजना अधिकारी
लोक जुम्बिश परियोजना, बाली

जनगणना 2001

भारत

कुल जनसंख्या

व्यक्ति	–	1027015247
पुरुष	–	531277078
महिला	–	495738169
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति किलोमीटर)	–	324
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर **(प्रतिशत)**	–	21.34

साक्षरता दर (प्रतिशत)

कुल	–	65.38
पुरुष	–	75.85
स्त्री	–	54.16

जनगणना 2001

राजस्थान

कुल जनसंख्या

व्यक्ति	–	56473122
पुरुष	–	29381657
महिला	–	27091465
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति किलोमीटर)	–	165
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)	–	28.33

साक्षरता दर (प्रतिशत)

कुल	–	61.03
पुरुष	–	76.46
स्त्री	–	44.34

जनगणना 2001

पाली

कुल जनसंख्या

व्यक्ति	–	1819201
पुरुष	–	917320
महिला	–	901881
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति किलोमीटर)	–	120
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)	–	22.39
महिला	–	23.75
पुरुष	–	20.73

साक्षरता दर (प्रतिशत)

कुल	–	52..49
पुरुष	–	73.06
स्त्री	–	36.70

पाली जिले की जनसंख्या दर में वृद्धि (प्रतिशत)

जनसंख्या	योग	पुरुष	महिला	लिंग अनुपात
जनसंख्या 1991	1486432	759816	726616	956
जनसंख्या 2001	1819201	917320	901881	983
वृद्धि जनसंख्या	332769	157504	172565	27
वृद्धि दर	22.39	20.73	23.75	2.82

पुरुष साक्षरता में जिले की स्थिति (प्रतिशत में)

क्र.स	जिले का नाम	1991	2001
1	बासंवाडा	38.16	60.24
2	जालोर	38.97	65.10
3	जैसलमेर	44.99	66.89
4	डूंगरपुर	45.71	66.19
5	सिरोही	46.24	70.58
6	बूंदी	47.40	72.17
7	चित्तौडगढ	50.55	71.82
8	टोंक	50.64	71.25
9	पाली	54.42	73.06
10	बीकानेर	54.63	70.78

पुरुष साक्षरता की राज्य का औसत 76.46 प्रतिशत एवं राष्ट्र का औसत 75.85 प्रतिशत है ।

स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक पिछडे 10 जिले

क्र.स	जिला	स्त्री साक्षरता दर (प्रतिशत)	
		1991	2001
1	जालौर	7.75	27.53
2	जैसलमेर	11.28	32.25
3	बासवाडा	13.42	27.86
4	टोंक	15.24	32.30
5	डूगंरपुर	15.40	31.22
6	सवाई माधोपुर	16.09	35.44
7	बून्दी	16.13	36.76
8	भीलवाडा	16.50	33.47
9	पाली	16.97	36.70
10	चित्तौडगढ	17.15	36.45

भौतिक शैक्षिक सुविधाएँ

जिले में औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थानुसार शैक्षिक सुविधा वर्गीकरण

1. औपचारिक शैक्षिक सुविधाओं की संख्या

प्राथमिक विद्यालय	–	1201
उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	506
राजीव गांधी विद्यालय	–	386
सैकण्डरी /सी.सैकण्डरी विद्यालय	–	208
योग	–	2301

2. वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाएँ

सहज शिक्षा केन्द्र	–	456
शिक्षा मित्र केन्द्र	–	234
बालिका शिक्षण शिविर	–	03
चल विद्यालय	–	01
योग	–	694

3. औपचारिक एवं वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाओं की कुल संख्या – 2995

4. औपचारिक एवं वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाओं का प्रतिशत वर्गीकरण

औपचारिक शैक्षिक सुविधाएँ	–	76.8 प्रतिशत
वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाएँ	–	23.2 प्रतिशत

जिले मे औपचारिक शिक्षा व्यवस्थानुसार शैक्षिक सुविधा वर्गीकरण

औपचारिक विद्यालयों की संख्या

प्राथमिक विद्यालय	–	1201
उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	506
राजीव गांधी पाठशाला	–	386
सैकण्डरी सीनियर सैकण्डरी	–	208
कुल शैक्षिक सुविधाओं की संख्या	–	2301
कुल शैक्षिक सुविधाओं का प्रतिशत	–	76.8 प्रतिशत

प्रतिशत

प्राथमिक विद्यालय	–	52.20 प्रतिशत
उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	22.00 प्रतिशत
राजीव गांधी पाठशाला	–	16.77 प्रतिशत
सैकण्डरी सीनियर सैकण्डरी	–	9.00 प्रतिशत

वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाएँ

सहज शिक्षा केन्द्र	–	456
शिक्षा मित्र केन्द्र	–	234
बालिका शिक्षण शिविर	–	03
चल विद्यालय	–	01
योग	–	694
कुल शैक्षिक सुविधाओं का प्रतिशत	–	23.2 प्रतिशत

वैकल्पिक शिक्षा सुविधा प्रतिशत – वर्गीकरण

सहज शिक्षा केन्द्र	–	65.70 प्रतिशत
शिक्षा मित्र केन्द्र	–	33.70 प्रतिशत
बालिका शिक्षण शिविर	–	0.43 प्रतिशत
चल विद्यालय	–	0.15 प्रतिशत

जिले में औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थानुसार नामांकन वर्गीकरण

औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था में नामांकन स्थिति

विद्यालय		नामांकन बालक	बालिका	योग
प्रा. वि.	–	94721	63734	158455
उ.प्रा.वि	–	83699	57835	141534
रा.गां.पा.	–	13483	10491	23974
सैकण्डरी / सी..सै. वि	–	30889	12565	43454
योग	–	222792	144625	367417

वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्था में नामांकन स्थिति

	नामांकन बालक	बालिका	योग
सहज शिक्षा केन्द्र	2181	9289	11470
शिक्षा मित्र केन्द्र	1092	4405	5497
बालिका शिक्षण शिविर	0	322	322
चल विद्यालय	59	126	185
योग	3332	14142	17474
महायोग	226124	158767	384891

कुल नामांकन (औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा) का प्रतिशत वर्गीकरण

	बालक	बालिका	योग
औपचारिक शिक्षा नामांकन	98.52%	91.10 %	95.46 %
वैकल्पिक शिक्षा नामांकन	1.48 %	8.90 %	4.54 %

जिले में औपचारिक शिक्षा व्यवस्थानुसार नामांकन – वर्गीकरण

नामांकन स्थिति

		बालक	बालिका	योग
प्रा. वि.	–	94721	63734	158455
उ.प्रा.वि	–	83699	57835	141534
रा.गां.पा.	–	13483	10491	23974
सैकण्डरी / सी..सै. वि	–	30889	12565	43454
योग	–	222792	144625	367417

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में कुल नामांकन का प्रतिशत – वर्गीकरण

		बालक	बालिका	योग
प्रा. वि.	–	41.89%	4507%	41.17%
उ.प्रा.वि	–	37.01%	36.43%	36.77%
रा.गां.पा.	–	5.96%	6.60%	6.23%
सैकण्डरी / सी..सै. वि	–	13.66%	7.91%	11.29%

जिले में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थानुसार नामांकन वर्गीकरण

नामांकन स्थिति

	बालक	बालिका	योग
सहज शिक्षा केन्द्र	2181	9289	11470
शिक्षा मित्र केन्द्र	1092	4405	5497
बालिका शिक्षण शिविर	0	322	322
चल विद्यालय	59	126	185
योग	3332	14142	17474

वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था में कुल नामांकन का प्रतिशत वर्गीकरण

	बालक	बालिका	योग
सहज शिक्षा केन्द्र	0.96%	5.85%	2.98%
शिक्षा मित्र केन्द्र	0.48%	2.77%	1.43%
बालिका शिक्षण शिविर	0.00%	0.20%	0.08%
चल विद्यालय	0.026%	0.079%	0.05%

अध्याय – 1

जिला परिदृश्य

1.1 जिले का इतिहास

भारत के इतिहास से यदि राजस्थान के इतिहास को अलग कर दिया जाए तो वह इतिहास वीरता एवं शौर्य की घटनाओं से शून्य हो जायेगा । इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास से पाली जिले के इतिहास को अलग कर दिया जाए तो इतिहास विहीन रह जायेगा ।

पाली जिले के इतिहास का सम्बन्ध प्रागतेहासिक काल से रहा है । भू–गर्भवेत्ताओं के अनुसार राजस्थान आरम्भ से ही रेगिस्तान मात्र नहीं था । उनकी मान्यता है कि सांभर झील पश्चिमी समुद्र का ही भाग है जो किसी समय हमारे जिले के गोडवाड क्षेत्र तक फैला हुआ था।

सभी इतिहासकारों की यही मान्यता रही है कि इतिहास के विभिन्न कालों में यह क्षेत्र छोटी मोटी सीमाओं के साथ भिन्न – भिन्न नामों से जाना जाता रहा है।

ऋग्वेद के अनुसार महर्षि जावालि ने इस भूमि को अपनी तपो भूमि बनाया और बैठ कर वेदों की व्याख्या लिखी थी । उसी परम्परा मे परशुराम ने इसी तपोभूमि में बैठकर तपस्या की थी ।

इस काल में बनवास का समय काटते हुए पॉडवों ने बाली के आसपास विश्राम किया । उस काल के कई प्रमाणों में पाली क्षेत्र के कूरणा बाला के समीप सलेश्वर शिवालय के निकट परशुराम और पांडव की कुटिया आज भी विद्यमान है और आज भी इस स्थल को 'शरण' नाम से पुकारते है

ारत के प्राचीन गणराज्यों में यह क्षेत्र अर्बुद प्रदेश का ही एक भाग था और इस भाग को बाल्लदेश कहा जाता था । ऐसी मान्यता है कि भारत के गणराज्यों में दस्यु इसी प्रदेश के थे ।

667 ईस्वी में ह्वेनसांग चीनी यात्री जब भारत आया तो भ्रमण करते हुए राजस्थान पहुँचा । उसने इस क्षेत्र को चार भागों में बंटा पाया । जिस भाग में पाली पडता था उस समय यह गुर्जर देश कहलाता था, उसने अपने यात्रा संस्मरण में पाली के पंचायती राज्य का भी वर्णन किया है जिसमें लिखा है कि " नगर का मुखिया और मंत्री दोनों मिलकर नगर का शासन चलाते है उस समय के सिक्कों पर घोडों और गायों के चिह्न थे।"

सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के बीच में राजपूतों के कई वंशज इस क्षेत्र में आये और उन्होंने पृथक–पृथक राज्य स्थापित किये । इन राजपूत राज्यों के नाम प्रायः उनके संस्थापकों के नाम पर पडे पौराणिक गाथाऐं, ख्यातियॉ, राजाओं की वंशावलियॉ सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख, आभूषण और मूर्तियों को आधार मान कर इस क्षेत्र का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास इतिहासकारों ने किया है ।

सोजत के पास में पाये गये तांबे के सिक्कों से यह सिद्ध होता है कि कुषाण के वंशज कनिष्क ने इस क्षेत्र को जीतने का काम अपने निकट सम्बन्धी चष्टन को सौंप दिया था । चष्टन नें 120 ई. में पश्चिमी देश के ऊपरी जनपद को जीता जिसमें आज के पाली का रोहट जैतारण क्षेत्र सम्मिलित है ।

कुषाण काल के बाद (301 ई. से 703 ई. तक) गुप्तकाल और हूणों के आक्रमण तक इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।

चालुक्य वंश का ऐतिहासिक महापुरुष हर्षवर्द्धन हुआ जिसने भारत की दिग्विजय की । यह पाली को जीतकर भीनमाल पहुँचा और भीनमाल पर कब्जा कर लिया । इतिहाविज्ञों की मान्यता है कि अधिकांश राजस्थान का भाग हर्ष के प्रभाव से उसके राज्य में सम्मिलित हो गय था । हर्ष ने लगभग 646 ई. तक राज्य किया ।

646 ई में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और हर्ष के साम्राज्य को तोड़ा जिससे अन्यत्र बसे राजपूतों के कई वंश राजस्थान में आये । राजपूतों के राजस्थान में आने का काल इतिहाविज्ञों के

अनुसार 6ठी शताब्दी तक रहा है । आगंतुक राजपूत वंशों में चावडा परिहार, चौहान , राठौड आदि है । 769 ई. के लगभग जब पाली और भीनमाल के आसपास के हिस्से को अरबो ने लूटना शुरु किया तो भीनमाल के परिहार राजा नाग भट्ट ने उनको मार भगाया । इसके बाद 1023 ई. में महमूद गजनवी का सोमनाथ जाते हुए रास्ते में चौहानों की राजधानी नाडोल और राष्ट्रकूटों का हस्ती कुंडी पर रामपाल और दत्तवर्मा से इसका मुकाबला हुआ जहां ये दोनो राजा हार गये और गजनवी ने इन दोनो स्थानों को लूट कर उजाड दिया ।

इसके बाद 1030 ई. और 1040 ई. के बीच तुर्को ने भी इस क्षेत्र पर आक्रमण किये किन्तु राजा भोज से बराबर हारते रहे । 1178 ई. में शाह बुद्दीन गौरी ने जब आक्रमण किया तो चालुक्य राजा मूलराज सोलंकी की मां ने उसे हरा कर भगा दिया ।

1162 ई. मे पृथ्वीराज के मोहम्मद गौरी के हाथों हार जाने के पश्चात् राजस्थान की शक्ति अलग–अलग राजपूतों के हाथ बंट गई । इसके पश्चात् अल्लाउद्दीन से राव चूंडा तथा राव रिडमल ने जालोर के पास पडने वाले पाली के हिस्से को तुर्को से छीन लिया । राठौड राव चूंडा ने अपनी बेटी मेवाड के राव लाखा को ब्याह दी, राणा मोकल के बेटे कुंभा ने, जो मोहम्मद खिलजी का समकालीन था (1433 से 1468 ई तक) तीन बार युद्ध में हार कर सारे राजस्थान पर अधिकार कर लिया और आज के पाली को गोडवाड क्षेत्र मेवाड के महाराणा कुंभा के अधीन हो गया ।

किन्तु पाली गढ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा और यहां का शासन उसी प्रकार ब्राह्मण चलाते रहे । परोक्ष रुप से आसपास के क्षत्रिय राजा इस नगरी की रक्षा करते थे । कालांतर में इसका नाम पारानगर और पेपावती नगरी भी प्रचलित हुआ । आसपास के राजपूत राजा परमार और सोलंकियो ने धीरे–धीरे अपने राज्यों का जब विस्तार करना शुरु किया, पाली तब भी अक्षुण्ण बनी रही । इसी काल में विक्रम सं. 1208 वैशाख सुदी 4 को गुजरात के राजा कुमारपाल ने यहां के वैभव को देखकर राज्य लालसा से शिव मन्दिर सोमनाथ की स्थापना कराई । दिनों दिन पाली के बढते हुए वैभव को देखकर अन्दर ही अन्दर अरावली क्षेत्र में बसने वाले मेर, मीणा, गिरासिया आदि पाली के आसपास लूट मचाते रहें । धीरे–धीरें इस उपद्रव ने युद्ध का रुप ले लिया । इस समय पडौसी प्रदेश के क्षत्रिय राजा अपने राज्य विस्तार हेतु दूसरी ओर लगे हुए थे । इधर पाली निवासी लगातार हमलों के कारण संकट काल से गुजर रहे थे, होनहार की बात कि पाली के रास्ते से द्वारिका जाते हुए कन्नौज के रावसिंह को ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कहा और रावसिंह ने उनकी रक्षा की ।

रावसिंह एक वीर राजा था । उसने पाली की रक्षा के लिए साथ साथ धीरे – धीरे अपना राज्य यही स्थापित करने के इरादे से खेड को जीत लिया । इसके बादं जैसलमेर के भाटी ने रावल लाखा से युद्ध किया और इस युद्ध में लाखा मारा गया । रावसिंह से निपटा ही था कि इधर पाली की ओर लौट पडे और मुसलमानों से घमासान युद्ध हुआ जिससे मुसलमान भाग खडे हुए । उनका पीछा करते हुए रावसिंह पाली से 12 मील दूर बिठू गांव के पास टक्कर में मारे गये । इनके साथ इनकी पत्नी पार्वती सती हुई । वह सोंलंकी वंश की थी ।

रावसिंह के बाद उसके पुत्र आसथान जब खोड का राज्य सम्भाल रहे थे तो विक्रम सं. 1349 में फिरोजशाह जलालुद्दीन ने पाली पर चढाई कर दी । इसका मुकाबला पाली के मुखिया जसोधर ने किया । घमाशान युद्ध के बाद भी जब जलालुद्दीन की एक न चली तो मुसलमानों ने तालाब में रंग घोल कर गाय के रक्त की घोषणा कर दी जिससे नगर के सभी बचे हुए ब्राह्मण पाली छोड कर चले गये । पीछे से राव आसथान भी सैनिको सहित पाली पहुँचा और वह भी युद्ध में खेत रहा ।

इस प्रकार धीरे–धीरे पाली का अपना अलग अस्तित्व समाप्त होता गया । रावसिंह द्वारा रोपित और आसथान द्वारा पल्लवित पाली मारवाड के नरेशों की एक स्थाई निधि बन गई । ख्यातों में लिखा है कि आसथान के पुत्र राव धूहडजी ने पाली परगना वस्सी गांव के ऑसिया जाति के चारण को दान में दे दिया था । उसके बाद पाली सोनगरा चौहानो के अधीन रहा ।

पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद से 1544 ई. में विदेश आक्रान्ताओं के इस क्षेत्र पर बराबर हमले होते रहे । जिनमें से मुख्य उल्लेखनीय युद्ध शेरशाह सूरी और मारवाड के राजाओं के बीच पाली जिले के गिरी के मैदान में हुआ जहां राजपूत योद्धाओं से लडते हुए शेरशाह ने कहा था " कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत गंवा बैठता ।" इसके पश्चात आज के गोडवाड क्षेत्र में मुगलों से लडाई चलती रही । राणा प्रताप इसी क्षेत्र में अकबर से लडाई के लिए फौजे तैयार करते रहे । 1597 ई. में प्रताप चल बसे और 1614 ई. में सारे राजस्थान पर मुगलों का अधिकार हो गया ।

1681 से 1687 तक पाली जिला मारवाड राज्य का अंग बन जाने के कारण औरंगजेब के अधीन रहा । तभी तत्कालीन वीर दुर्गादास ने मारवाड से मुगलो के सभी थाने उखाड फैकें जिसमें मुख्यतः सोजत, जैतारण और पाली आदि थे ।

1690 ई में दुर्गादास ने सोजत में मारवाड की फौजें एकत्रित की और अजमेंर पर हमला बोला । वर की घाटी में राजपूतों का भारी संहार हुआ तो वीर दुर्गादास ने 1598 में मुगलो से सन्धि करली । तत्पश्चात् मारवाड में राठौडो का राज्य स्थाई हो गया और पाली स्थाई रुप से राठौडों के अधीन हो गया । इसी बीच मारवाड के राजाओं ने आज के पाली जिले मे जितने भी ठाकुर है, उनको युद्ध में वीरता दिखलाने और समय आने पर फौजों सहित दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अलग – अलग जागीरें बांट दी । राठौड का पूरा आधिपत्य हो जाने के बाद जिन जिन जागीदारों ने मुगलो से लोहा लेने में राज्य का साथ दिया उन्हें पाली जिले में अलग अलग जागीरें दे दी जिनमें से 16 जागीरे उदावतों को, 8 कुम्पावतों को, 12 चम्पावतों को, 9 जागीरें मेडितियो को दी थी । जिनके वंशज आज भी मौजूद है, किन्तु राजस्थान निर्माण के बाद मुआवजा देने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ।

अजीतसिंह के पौत्र महाराजा विजयसिंह ने पाली को फिर आबाद किया और इसकी देखरेख के लिए रावतमल सिंधी को वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया । जिसने फिर से किसानों और व्यापारियों को बडी बडी छूट देकर पाली को पुनः उत्तरी भारत का प्रमुख व्यापार केन्द्र बना दिया ।

धीरे – धीरे इन्हीं ठाकुरों के वंशजों में चंपावतों के करणीजी ने विक्रम सं. 1707, जगतसिंह तथा संग्रामसिंह ने विक्रम सं 1790 तथा प्रेमसिह राजसिंह ने वि. स 1811 तक पाली को आज का पाली बनाने में अपना बडा योगदान दिया । परन्तु सं. 1811 में ही पाली की रक्षा करते काम आये ।

मुगल काल के छिन्न भिन्न होने, मराठा और पिण्डारियों के उपद्रव और मराठों – अग्रेजों के बीच निरन्तर लडाईयों से देशी रजवाडे के राजा मराठों से दबने लगे व पिण्डारियों से छुटकारा पाने का उपाय भी ढूंढने लगे जिसमें अग्रेजों ने इन देशी रियासतों की बडी मदद की

अंग्रेजों के अधीन होंने के पश्चात देशी रियासतों के राजा ऐशो आराम की जिन्दगी में फॅस गये । रियासत पर अंग्रेजों ने अधिक पांबदियॉ लगा दी जिससे मारवाड राज्य भी अछूता न रहा और उसका प्रभाव पाली जिले के जागीरदारों पर भी पडा । जैसे तैसे ही जागीरदार लोग अपनी जनता को कस्ते रहते, अंग्रेजों के विरुद्ध अंगुली उठाना घोर अपराध माना जाता था । अखबार पढना खादी पहनना राष्ट्रीय नेताओं के चित्र रखना जुर्म माना जाता था । किन्तु जन जागृति की आग अन्दर ही अन्दर सुलगती रही । तभी जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने कई ब्रिटिश प्रस्ताव ठुकरा दिये, जिससे अंग्रेज लोग जोधपुर के महाराजा से बहुत रुष्ट हो गये।

अंग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खडा करने का काम मारवाड के जागीरदारों ने किया । आउवा का ठाकुर मारवाड का शक्तिशाली सामन्त था, उसने खुली बगावत कर दी । बीठोडा के उत्तराधिकारी के मामले में जोधपुर नरेश उससे पहले ही नाराज थे, उसी बीच सिपाही विद्रोह हो गया । आउवा के ठाकुर के साथ आसोप, लाम्बिया, भिंवालिया, राडावास के जागीरदारों ने उनका साथ दिया । विद्रोहियों की विजय से जोधपुर नरेश परास्त हो गये । आउवा जागीरी की जब्ती के आदेश भी रोक लिये गये । नारनोल में विद्रोहियों और कैप्टिन जैराड के बीच युद्ध हुआ, विद्रोही हार कर भाग गये, आउवा का किला घेर लिया गया, 5 दिन तक युद्ध चला, रात्रि कें अंधकार में किला खाली किया गया । किले पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया । फिर भी आउवा की जनता आन्दोलन चलाती रही और अंग्रेजो की पल्टनों को 1919 ई. तक उलझाये रखा ।

ब्रिटिश सरकार ने गांव को लूटा, किले को उडवा दिया, किले के भग्नावशेष आज भी उस तबाही की याद दिलाते है। अन्ततोगत्वा आउवा के ठाकुर पर मुकदमा चला और उसका अपनी जागीरी से हाथ धोना पडा । आजादी के बाद राज्य सरकार ने आजादी के लिए लडे गये इस युद्ध की याद को चिरस्थाई बनाने कें लिए यहां एक 'ज्योति– स्तम्भ' बना दिया है ।

इस युद्ध के बाद सामाजिक आन्दोलन और राजनैतिक जागरण का भी श्री गणेश हुआ मारवाड राज्य में आजादी का आन्दोलन मारवाड लोक परिषद् संगठन के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ जिसका मुख्य क्षेत्र पाली रहा जहां आजादी की लडाई में जनता की जीत हुई और देशी रियासतों में लोकप्रिय सरकारो का निर्माण आरम्भ हो गया ।

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सद्प्रयत्नों से धीरे – धीरे रियासतों का एकीकरण आरम्भ हुआ जिसमें जोधपुर रियासत का भी विलीनीकरण हुआ इसके पश्चात् राजस्थान के नव निर्माण के लिए जो अलग – अलग प्रशासनिक इकाइयॉ बनी उसी इकाई की एक कडी आज का यह पाली है ।

1.2 भौगोलिक सरंचना एवं जलवायु

पाली जिले का क्षेत्रफल 12,387 वर्ग किलोमीटर है । यह जिला 24.45 से 26.75 उतरी अक्षांश और 72.48 से 74.20 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । यह जिला लम्बाई में अधिक व चौडाई में कम है । पाली शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर स्थित है ।

अरावली पर्वतमाला की लम्बी श्रँखला अजमेर, राजसंमद, उदयपुर एवं सिरोही जिलों की सीमा रेखा से पाली जिले को जोडती है । यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी एवं सहायक नदियां – जवाई, मीठडी, सूकडी बाण्डी एंव गुहियाबाला पाली जिले से होकर बहती है । पश्चिमी राजस्थान से सर्वाधिक छोटे बडे एक सौ बांध पाली जिले में बने हुए है तथा राजस्थान का सबसे बडा बांध जवाई बांध व सरदार समन्द इसी जिले में है । पाली जिले में अरावली पहाड की उच्चतम चोटी 1099 मीटर उँची है । मैदानी भाग समुद्री तट से 180 से 500 मीटर तक व पाली नगर 212 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है । सर्दियों में यहां का न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है । वर्षा का औसत लगभग बीस इंच है ।

1.3 आर्थिक परिदृश्य

राजस्थान के पश्चिमांचल में विद्यमान पाली जिला आर्थिक दृष्टि से मध्यम श्रेणी का है ।जिले के विभिन्न अंचलों से देश के अनेक प्रान्तों में रह रहे "प्रवासी राजस्थानियों" ने जिले के आर्थिक सुदृढीकरण में भागीरथ कार्य किया है ।

यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व पाली जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ था । उद्योग के नाम पर केवल कुटीर एवं परम्परागत धन्धों से ही लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे । वर्तमान में जिले नें टेक्सटाईल, चूडी, छाता,कृषि उपकरण, इलेक्ट्रानिक, तेल, दलहन, लाईम, सीमेन्ट, मेहन्दी, विद्युत तार,

फोइल्स, मसाले के उत्पादन में न केवल प्रदेश में बल्कि देश – विदेश में भी अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है । इस जिले में आठ वृहद एवं मध्यम उद्योग चल रहे है । छः औद्योगिक इकाई अपने उत्पाद का निर्यात भी कर रही है । खनिज सम्पदा से भरपूर इस जिले में इस पर आधारित उद्योगो में भी पिछले दो वर्षो में विकास हुआ है । मेहन्दी उद्योग में सोजत ने, छाता एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग मे फालना ने, वस्त्र एवं चूडी ग्वारगम उद्योग मे पाली ने कृषि उपरकण में रानी ने, फोइल्स उत्पादन में पीपलिया कला की देश में एक अलग पहचान है । यहॉ उत्पाद निर्यात भी होते है । पाली जिले में सूती रंगाई छपाई से सम्बन्धित 780 इकाईया, सिंथेटिक वस्त्र की 25 इकाईया मिनी सीमेन्ट प्लान्ट की दस, कोटा स्टोन की 65 ग्रेनाईट की 28, मेहन्दी की 80, लाईम स्टोन की 54, प्लास्टिक की 80, स्टील फर्नीचर की 30, एवं कृषि उपकरण की 15 ईकाईयां चल रही है । जिले मे पिछले दो वर्षो में 271 स्थाई लघु उद्योगों का पंजीयन किया गया । गृह उद्योग योजना में 263 महिलाओं को प्रशिक्षित कर लाभान्वित किया ।

बॉगड समूह द्वारा स्थापित महाराज श्री उम्मेद मिल पाली जिले का ही नहीं अपितु राजस्थान का एक मात्र सूती कपडा उत्पादन करने वाला वृहद मिल है । इस मिल में तैयार कपड़ा अत्यन्त लोक प्रिय है जिसका अन्तर्राज्यीय व्ययपार होता है ।

1.4 अर्थव्यवस्था में जिला पाली एक दृष्टि में

पाली जिला आर्थिक दृष्टि में

क्र स	विषय	इकाई	वर्ष	जिला	राजस्थान	जिले का प्रतिशत
1	स्थिति					
1.1	उत्तरी अक्षांश अंश	–	$24^0 45$ से $26^0 75$ तक	$23^0 3$ से $30^0 12$ तक		–
1.2	पूर्वी देशान्तर अंश	–	$72^0 48$ से $70^0 20$ तक	$69^0 30$ से $78^0 17$ तक		–
2	जनसंख्या					
1	पुरुष	(000 संख्या में)	2001	917	29382	3.12
			1991	760	23043	3.30
2	स्त्री	(000 संख्या में)	2001	902	27091	3.33
			1991	726	20963	3.46
3	योग	(000 संख्या में)	2001	1819	56473	3.22
			1991	1486	44006	3.38
4	नगरीय	(000 संख्या में)	2001	391	13205	2.96
			1991	323	10067	3.21
5	ग्रामीण	(000 संख्या में)	2001	1428	43268	3.30
			1991	1163	33939	3.43
6	अनुसूचित जाति	(000 संख्या में)	1991	270	7608	3.55
7	अनुसूचित जन जाति	(000 संख्या में)	1991	80	5475	1.46
8	कुल कार्यशील व्यक्ति	(000 संख्या में)	1991	469	13915	3.37
9	कुल सीमान्त व्यक्ति	(000 संख्या में)	1991	98	3189	3.07
10	कुल अकार्यशील व्यक्ति	(000 संख्या में)	1991	919	26902	3.42
11	घनत्व	प्र.व.कि.मी	1991	120	129	–
12	लिंगानुपात	(महिलाऐं प्रति हजार पुरुष)	2001	983	922	–
3	तापमान					
1	अधिकतम	सेंटीग्रेड	2000	44.2	–	–
2	न्यूनतम	सेंटीग्रेड	2000	(–) 3.1	–	–
3	वार्षिक वर्षा	से.मी	2000	35.73	41.64	–
4	प्रशासकीय इकाईयां					
1	उप खण्ड	संख्या	1991	4	90	–
2	तहसील	संख्या	1991	7	213	–
3	विकास खण्ड	संख्या	1991	10	237	–
4	ग्रम (आबाद)	संख्या	1991	904	37889	–
5	ग्रम (गैर आबाद)	संख्या	1991	15	1921	–
6	नगर व कस्बे	संख्या	1991	13	222	–
7	नगरपालिका	संख्या	1999–00	9	183	–

सारणी 1.1 *स्रोत – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

1.4 व्यावसायिक संगठन

राज्य के अन्य जिलों की तरह पाली भी कृषि प्रधान जिला है । भूमिगत जल का अभाव एवं वर्षा की अपर्याप्तता कृषि के लिए 'खोदा पहाड निकली चुहिया' की कहावत को चरितार्थ कर रहे है इस लिए कुछ लोग व्यवसाय के लिए दिशावर (अन्य स्थानो पर) चले जाते है एवं कुछ परम्परागत कुटीर व लघु उद्योग की साधना में संलग्न है ।

किन्तु समय के परिवर्तन के साथ औद्योगिक क्रान्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव पाली जिले पर भी परिलक्षित हो रहा है । जिले में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न कार्यशील, सीमान्त व अकार्यशील जनसंख्या का वर्गानुसार विवरण इस प्रकार है :--

(क) व्यवसायों में संलग्न लोगो का विवरण (प्रतिशत)

क्र स	वर्ग	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	कार्यशील	362236	47.67	106444	14.65	468680	
2	सीमान्त	4521	0.60	93709	12.80	98230	
3	अकार्यशील	393059	51.73	526462	72.75	919522	
	योग	**759816**		**726616**		**146432**	

सारणी 1.2 *स्रोत – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

कहना न होगा की पाली का एक बडा भू भाग अरावली पर्वत श्रंखला का एक तलहटी स्थल है इस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी लोग – रावत भील, गरासिया, मीणा अत्याधिक पिछडे व आर्थिक दृष्टि से कमजोर है । जो भेड बकरी व पशुपालन का कार्य करते है या कुछ जंगल से लकडी काट कर बेचकर जीवन यापन करते है । कोयले बनाकर भी कुछ लोग गुजारा कर रहे है । जूती बनाना, लकडी का सामान /फर्नीचर तैयार करना लोहे का सामान तैयार करना यहॉ के लोगो के घरेलू उद्योग है।

(ख) व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या वितरण

जिले / तहसील का नाम	क्षेत्र	काश्तकार		खेतीहर मजदूर		पारिवारिक उद्योग		अन्य कार्य करने वाले	
पाली (जिला)	ग्रामीण	162698	54499	40549	34794	9939	1655	68011	5591
	नगरीय	10901	3401	4275	2288	2678	546	63185	3670
	योग	173599	57900	44824	37082	12617	2201	131196	9261
जैतारण	ग्रामीण	22515	9039	4386	4539	1043	137	5621	548
	नगरीय	2656	1442	700	622	354	74	3319	288
	योग	25171	10481	5086	5161	1397	211	8940	836
सोजत	ग्रामीण	19439	8742	4600	4618	1104	277	6941	660
	नगरीय	1640	627	621	514	297	96	6765	487
	योग	21079	9369	5221	5132	1401	373	13706	1147
रायपुर	ग्रामीण	19705	10203	3884	3408	984	144	6929	568
	नगरीय	1363	260	125	104	153	65	1394	69
	योग	21068	10463	4009	3512	1137	209	8323	637
पाली	ग्रामीण	31541	11185	6439	4258	1343	240	9501	769
	नगरीय	671	133	1009	221	859	163	33239	2010
	योग	32212	11318	7448	4479	2202	403	42740	2779
मारवाड जंक्शन	ग्रामीण	20019	5672	5131	4326	1660	237	8742	554
	नगरीय	106	61	123	28	68	15	2043	120
	योग	20125	5733	5254	4354	1728	252	10785	674
देसूरी	ग्रामीण	17737	4821	5503	6003	1265	237	10737	845
	नगरीय	2083	344	649	408	364	54	4333	199
	योग	19820	5165	6152	6411	1629	291	15070	1044
बाली	ग्रामीण	37742	4837	10606	7642	2540	383	19540	1647
	नगरीय	2382	534	1048	391	583	79	12092	497
	योग	34124	5371	11654	8033	3123	462	31632	2144

सारणी 1.3 *स्रोत – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

1.5 प्रशासनिक ढॉचा

प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से इस जिले में 6 उपखण्ड – जैतारण, सोजत, पाली, बाली, सुमेरपुर एवं देसूरी इसके अलावा नौ तहसीलें – जैतारण, रायपुर, सोजत, मारवाड जंक्शन, पाली, रोहट, बाली, देसूरी व सुमेरपुर है । नगरपरिषद – पाली है तथा आठ नगरपालिकाएँ – जैतारण, सोजत सिटी, खुडाला–फालना, सादडी, सुमेरपुर, रानी, तखतगढ व बाली है। जिले में 320 ग्राम पंचायतें एवं 968 गांव है ।

वर्ग	संख्या
उपखण्ड	6
विकास खण्ड	10
तहसील	9
गांव	968
वासस्थान	1442
ग्राम पंचायत	320
शहरी क्षेत्र	13
शहरी क्षेत्र में कुल वार्ड संख्या	193

सारणी 1.4 *स्रोत्र -- जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

1.6 जनसॉख्यकी

अरावली की उपत्यका में विद्यमान आलोच्य जिले की जनसंख्या का बडा भाग जो पहाडी तलहटी में रहता है न केवल आर्थिक प्रत्युत शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यधिक पिछडा हुआ है । यही कारण है कि इस आदिवासी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित लोगो की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जो प्रशासन के लिए चिन्ता का विषय है ।

यद्यपि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षा से अधिक है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में पर्याप्त नियन्त्रित है ।

तुलनात्मक दृष्टि से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य वर्ग की कम है तथा अनु. जाति, अनु.जन जाति अन्य पिछडा वर्ग की अधिक है । यह स्थिति निम्न सारणियों से स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रही है :–

(अ) जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या	योग	पुरुष	महिला	लिंग अनुपात
जनसंख्या 1991	1486432	759816	726616	956
जनसंख्या 2001	1819201	917320	901881	983
वृद्धि जनसंख्या	332769	157504	172565	27
वृद्धि दर	22.39	20.73	23.75	2.82

सारणी 1.5 *स्रोत्र – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

(ब) ग्रामीण और शहरी जनसंख्या (2001)

जिले का नाम	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			योग		
	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
पाली	1428472	713225	715248	390728	204095	186633	1819221	917320	901881
प्रतिशत	78.52	77.75	79.3	21.48	22.25	20.70			

सारणी 1.6 *स्रोत्र – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

(ब–1) ग्रामीण और शहरी जनसंख्या (1991)

तहसील का नाम	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			योग		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
जैतारण	69221	65630	134851	15084	14101	29185	84305	79731	164036
सोजत	66535	64843	131378	20282	18986	39268	86817	83829	170646
रायपुर	67364	64764	132128	6456	6126	12582	73820	70890	144710
पाली	98835	93450	192285	73681	63161	136842	172516	156611	329127
मारवाड जं.	78087	76768	154855	5001	4636	9637	83088	81404	164492
देसूरी	76220	76799	153019	15570	15137	30707	91790	91936	183726
बाली	135592	130977	264569	33888	31238	65126	167480	162215	329695

सारणी 1.7 *स्रोत -- जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

(स) जातिवार जनसंख्या (प्रतिशत)

जिले का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा			अन्य		
	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष
पाली	18.15	18.54	17.73	5.45	5.23	5.82	75.95	77.04	76.45

सारणी 1.8 *स्रोत – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

स (अ) अ.जा.अज.जा जनसंख्या वितरण (प्रतिशत में)

तहसील	अनुसूचित जातियां (प्रतिशत में)			अनुसूचित जनजातियां (प्रतिशत में)		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
जैतारण	21.35	16.28	20.45	0.03	0.06	0.04
सोजत	20.71	13.66	19.08	0.07	0.20	0.10
रायपुर	14.57	15.84	14.68	0.02	0.10	0.03
पाली	19.41	14.82	17.50	5.93	1.41	4.05
मारवाड जं.	18.93	25.82	19.33	2.38	3.92	2.47
देसूरी	19.24	21.18	19.57	3.65	5.99	4.04
बाली	17.60	16.07	17.30	19.78	14.38	16.74

सारणी 1.9 *स्रोत्र – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 1999*

स (ब) अ.जा.अज.जा जनसंख्या वितरण

तहसील	अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
जैतारण	17466	16081	33547	31	29	60
सोजत	17113	15454	32567	98	69	167
रायपुर	10896	10351	21247	23	19	42
पाली	30502	27085	57587	7091	6236	13327
मारवाड जं.	16584	15217	31801	2108	1963	4047
देसूरी	18701	17245	35946	3882	3538	7420
बाली	29668	27373	57041	29009	26169	55178

सारणी 1.10 *स्रोत्र – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोग जिलेकी सभी तहसीलो में न्यूनाधिक मात्रा मे निवास करते है । अनूसूचित जाति की सार्वाधिक 57587 जनसख्यां पाली तहसील मे तथा सबसे कम 21247 रायपुर तहसील में निवास करती है । इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति की सबसे अधिक आबादी बाली तहसील में 55178 जनसंख्या तथा रायपुर में मात्र 42 लोग निवास करते है ।

1.7 जनसंख्यानुसार वासस्थानों का विवरण

विकासशील पाली जिले में शहरी क्षेत्र नौ तथा कुल गॉव 968 है किन्तु अधिकांश जन संख्या गांवों में निवास करती है और बिखरी हुई है । जनसंख्या का एक बडा भाग ढाणियों व कुओं पर निवास करता है। यही कारण है कि कुछ वास स्थान तो अत्यन्त लघु है कुछ स्थानों पर दो चार परिवार मिल कर रहते है । अतः जनसंख्या के अनुसार वास स्थानों/गांवों का विवरण इस प्रकार है

ग्रामों की जनसंख्या वर्ग के अनुसार विवरण

तहसील	कुल गांव	<200	200-499	500-1999	2000-4999	5000-9999	>10000
जैतारण	92	5	16	49	19	3	—
सोजत	112	3	26	69	12	1	1
रायपुर	103	9	22	53	16	3	—
पाली	177	9	43	107	17	1	—
मारवाड जं.	137	6	42	67	20	2	—
देसूरी	131	13	21	80	13	4	—
बाली	152	4	19	91	27	11	—

सारणी 1.11 *स्रोत – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

1.7.1 पंचायत समिति के अनुसार जनसंख्या

पचायत समिति के अनुसार जनसंख्या पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि सबसे अधिक जननसंख्या खारची पंचायत की 164000 है तथा सबसे कम 81000 रोहट की है घनत्व की दृष्टि से सबसे अधिक 146 प्र.व. किमी रायपुर का तथा कम 58 रोहट का है ।

क्र.स	पंयायत समिति	क्षेत्रफल (व. कि.मी)	जनसंख्या (000 में)	घनत्व (प्र.व.कि.मी)
1	जैतारण	1290	135	105
2	सोजत	1636	140	86
3	रायपुर	996	145	146
4	पाली	1297	85	66
5	खारची	1404	164	117
6	देसूरी	829	85	103
7	बाली	1370	149	108
8	सुमेरपुर	912	115	126
9	रानी स्टेशन	763	94	123
10	रोहट	1404	81	58

सारणी 1.12 *स्रोत – जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

1.8. जिले में संचालित विकास योजनाएँ

भक्ति एवं शक्ति का प्रतीक पाली जिला अपने गौरवशाली अतीत अनूठी स्थापत्य कला, सांस्कृतिक वैभव एवं समृद्ध लोक संस्कृति धरोहर के कारण राज्य में एक अलग पहचान बनाये हुए है । वही प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के कारण यह जिला पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक गतिविधियो का केन्द्र भी है । जिले ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नये आयाम स्थापित करने के साथ विकास के लिये ठोस आधार तैयार करने के रास्ते पर भी कदम बढायें है जिसके फलस्वरुप रंगाई छपाई की इस सुनहरी पाली नगरी में आया औद्योगिक ठहराव दूर होने के साथ शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत एवं सडक निर्माण के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है ।

वर्षा कम होने के कारण उत्पन्न प्राकृतिक आपदा से जूझते हुए पाली जिले में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरुप अकाल को विकास से जोडने के सार्थक प्रयस किये गये जिसका आने वाले समय में यहां के नागरिको व किसानो को सीधा लाभ मिलेगा । विकास एवं जनकल्याण की अवधारणा को साकार रुप प्रदान करने के लिये कच्ची बस्ती नियमन, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, शिक्षा एवं पेयजल के क्षेत्र में पिछले दो वर्ष की अल्पावधि के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ अर्जित की गई है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यह जिला पिछले दो वर्षो से सभी सूत्रों में "ए श्रेणी" प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है । चालू वित्तीय वर्ष में भी उसी परम्परा को कायम रखते हुए अधिकांश योजनाओं मे लक्ष्य से अधिक उपलब्धि अर्जित कर ली है ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 961 निर्धन परिवारों को दो वर्ष की अवधि के दौरान 2 करोड 57 लाख रुपये से अधिक के आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया । जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में इस अवधि के दौरान 2 लाख 73 हजार मानव दिवस सृजित किये गये । 173 लघु उद्योगों का पंजीकरण हुआ तथा 236 एक सीलिंग से आवाप्त सरप्लस भूमि भूमिहीनों में आवंटित की गई । आम आदमी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया । दो बच्चों के परिवार की अवधारणा को मूर्तरुप देने के लिए जिले में पिछले दो वर्षो में 13 हजार 567 योग्य दम्पतियों की नसबन्दी की गई । वर्ष 1999–2000 मे परिवार कल्याण कार्यक्रम में

यह जिला राजस्थान मे प्रथम स्थान पर रहा है । एकीकृत बाल विकास योजनान्तर्गत जिले में 738 आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 41 हजार गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार वितरित कर लाभान्वित किया गया । अनुसूचित जाति, अनूसूचित जन जाति को न्याय कार्यक्रम में 11 हजार 189 परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया । ग्रामीण क्षेत्र में 1549 भूमिहीन गरीब परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये गये । इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 612 व्यक्तियों को आवास आंवटित किये गये । गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम में 3752 परिवारों की बस्तियों को लाभान्वित किया गया । इस अवधि के दौरान 762 कूओं को विद्युतीकृत किया गया तथा 3985 उन्नत चूल्हें लगायें गये ।

जिले ने सामजिक एवं आर्थिक विकास के लिये पन्द्रह प्राथमिकताओं के अन्तर्गत भी उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है । शिक्षा के सार्वजनीनकरण के अर्न्तगत जिले में दूरस्थ गांवों व ढाणियों में 386 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोली गई जिसमें 12888 विद्यार्थी अध्ययनरत है । इनमें 6748 छात्र 5785 छात्राएं है । इस वर्ष 215 और राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने के प्रस्ताव है । पेयजल समस्या निदान के लिए परम्परागत जलस्त्रोतों की पहचान एवं पुनरुद्धार के लिए 630 कूओं एवं 184 बावडियों को चिन्हित कर इनके पुनरुद्धार की कार्यवाही की जा रही है । गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले निर्धन परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये जिले में 70 हजार मेडिकेयर बनाये जा चुके है ।

करीब 5 हजार व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवारकर लाभान्वित किय जा चुका है । मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार सृजन के लिये ग्रीमण क्षेत्र में 1154 दुकानो के निर्माण के लिये भूखण्डों को चिन्हित किया जा चुका है । शहरी क्षेत्र में 310 कियोस्क का निर्माण करवाया जायेगा । इनमें से 94 कियोस्क का निर्माण हो गया है । मैला ढोने की प्रथा को बन्द करने के लिये जिले में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है सर्वेक्षित 200 स्वच्छकारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के लिये ऋण आवेदन पत्र तैयार करवाये गये है ।

कम वर्षा होने के कारण जिला भीषण अकाल की चपेट में रहा परन्तु राज्य सरकार की नीति निर्धारण एवं कुशल प्रबंधन के अन्तर्गत जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी एंव सामाजिक संस्थाओं तथा दानदाताओं के सहयोग से आम जनता की तकलीफो को कम करने के लिये कारगर प्रयास किये अकाल के दौरान 3019 कार्य स्वीकृत किये गये । 2650 कार्य पूर्ण हो गये । इन पर 19 करोड रुपयें से

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Plan... and Administration.
17-B, ... Marg,
New Delhi 110016
DOC, No.....
Date.....

अधिक की राशि व्यय की गई । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले चयनित व कमजोर वर्ग के लोगो को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया गया । आर.आई.डी.एफ योजना में 69 सडक कार्य, 24 स्कूल भवन निर्माण कार्य एवं 34 सिंचाई विभाग के कार्य स्वीकृत किये गये । भूमिगत जल के नीचे चले जाने के कारण 200 गांव व ढाणियों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया गया । मूक पशुओं को अकाल की विभीषिका से बचाने के लिये 32 गौशालाओं व 23 पशु– शिविरों के माध्यम से करीब 15 हजार पशुधन को लाभान्वित किया गया । इसके अतिरिक्त पशुओं के चारे एवं पानी की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान भी दिया गया । पन्द्रह हजार दुधारु पशुओं को पोषाहार सुलभ कराया गया । पशुओं के चारे के 113 चारा डिपो लगायें गये ।

1.8.1 **सार्वजनिक निर्माण विभाग** :– सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 503 किलोमीटर लम्बी ग्रेवल सडक का निर्माण करने के साथ तीन सी.डी कार्य एवं सोजत में स्थित हवाई पट्टी का पुनर्रुद्धार किया गया इसके अतिरिक्त 308 किलोमीटर सडकों की पटरियों का सुदृढीकरण एवं 510 किलोमीटर लम्बी सडक पर मरम्मत का कार्य करवाया गया । विभाग द्वारा अकाल राहत के अर्न्तगत 27 गांव, 46 ढाणियों 71 धार्मिक स्थलों को जोडने के लिये सम्पर्क सडके बनाई गई ।

1.8.2 **पेयजल व्यवस्था** :– जिले में पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के लिए पिछले दो वर्षो में शहरी क्षेत्र में 4 करोड 41 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 8 करोड 68 लाख रुपये के कार्यो की स्वीकृतियॉ जारी की गई । जिसके तहत 58 नलकूपों का निर्माण, 159 खुले कुओं में सुधार कार्य, 1007 हैण्डपम्प निर्माण कार्य, 87 किलोमीटर नई पाईप डालने का कार्य करवाया गया ।

1.8.3 **ग्रामीण विकास** :– स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिले में 1428 दुकानों का निर्माण करवाया गया । जिसमें से 488 दुकानें निर्धन व्यक्तिओं को आवंटित की जा चुकी है । सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 3 करोड 11 लाख रुपये से अधिक की लागत के कार्य करवायें गये । इसी तरह क्षेत्रीय सांसद विकास योजना के अन्तर्गत 90 लाख रुपये के कार्य मरु विकास योजना में एक करोड 61 लाख रुपये के कार्य क्षेत्रीय विधायक योजना में 80 लाख रुपये की लागत के कार्य करवाये गये ।

1.8.4 कच्ची बस्तियों का नियमन :– शहरी क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले निर्धन परिवारों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा किये गये ऐतिहासिक निर्णय के अनुरुप जिले में 2 हजार 27 परिवारों को भूखण्ड के पट्टे जारी किये गये । नगरपालिका क्षेत्रों मे भूमि रुपान्तरण के लिये भूमि रुपान्तरण एवं नियमन अभियान शीघ्र ही शुरु किया जा रहा है ।

1.8.5 सामाजिक सुरक्षा योजना :– गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, वृद्धों असहायेां, विधवा एवं विकलांग को सहायता देने के लिए चल रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी जिले मे उल्लेखनीय कार्य हुआ है । 8326 व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन 6459 को विधवा एवं वृद्धावस्था पेन्शन तथा 1429 व्यक्तियों को विकलांग पेंन्शन देकर लाभान्वित किया जा रहा है । पारिवारिक सहायता योजना के अंतर्गत 325 व्यक्तियेां को 37 लाख 40 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया । इसी तरह मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत 2 हजार 623 महिलाओं को 11 लाख रुपयें की राशि प्रदान की गई । बालिका समृद्धि योजना में 4024 बालिकाओं को 21 लाख रुपये की राशि वितरित की गई । ग्रामीण क्षेत्र में 1451 निर्धन भूमिहीन परिवारों को रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराये गये ।

1.8.6 प्रधानमंत्री रोजगार योजना :– शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षो में 1056 बेरोजगार युवाओं के ऋण स्वीकृत किये गये जिनमें 664 युवाओं को ऋण प्रदान कर दिये गये है । अपना रोजगार बेहतर तरीके से चला सके इसके लिये 455 युवाओं को सघन प्रशिक्षण भी दिया गया है ।

1.8.7 अनुसूचित जाति का विकास :– राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा पिछले दो वर्षो में पोप शहरी एवं ग्रामीण योजना में 955 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया । इसी तरह आटोरिक्शा योजना में 9 व्यक्तियों को उन्नत भेंस योजना में 37 व्यक्तिओं तथा पुनर्वास योजना में 202 व्यक्तियों का लाभान्वित किया गया । 332 सामुदायिक पम्प सेट लगाये गये, 813 कार्यशालाओं का निर्माण हुआ, 326 कुओं में बोरिंग एवं ब्लास्टिंग किया , स्काईट योजना में 867 युवक युवतियां को लाभान्वित किया गया ।

1.8.8.मुख्यमंत्री रोजगार योजना:– मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए जिले के 182 गांवों में 1154 भूखण्ड चिन्हित किये जा चुके है । करीब 3 सौ दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । शहरी क्षेत्र में पाली व सुमेरपुर में 310 कियोस्क का निर्माण करवाया जायेगा जिनमें 94 कियोस्क का निर्माण पूर्ण हो गया है जिनके आंवटन की कार्यवाही की जा रही है ।

1.8.9 अन्नपूर्णा योजना :–समाज के असहाय एवं निःशक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए शुरु की गई राज्य सरकार की इस अनूठी योजना के माध्यम से 933 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है ।

1.8.10.राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम :– राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 1473 विद्यालयों के दो लाख 2 हजार 366 छात्र लाभान्वित हो रहे है ।

1.8.11 इंदिरा आवास योजना :– गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 612 परिवारों को इंदिरा आवास आंवटित कर उनका अपने घर में रहने का सपना साकार किया है ।

1.8.12 अल्प बचत :– जिले में पिछले दो वर्षो में अल्प बचत की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 216 करोड रुपये से अधिक की सकल राशि जमा हुई । इस अवधि के दौरान 1386 भाग्यशाली व्यक्तियों को अल्पबचत विभाग द्वारा घोषित विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये गये ।

1.8.13 जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– जिले में जलग्रहण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 50 कार्यक्रम चल रहे है । 21 करोड 53 लाख रुपयें की लागत के 67 कार्य स्वीकृत किए गये है । जिनमें से 17 कार्य पूर्ण हो गये । इस वर्ष अक्टूबर माह में अन्त तक 47 हजार 732 हैक्टेयर भूमि उपचारित की जा चुकी है । इस योजना में अब तक विभिन्न जल ग्रहण क्षेत्र विकास के कार्यो पर 12 करोड 52 लाख रुपयें खर्च किये जा चुके है ।

1.8.14 हरित क्रान्ति :– हरित क्रान्ति के क्षेत्र में पिछले दो वर्षो में जिले में सराहनीय कार्य हुआ है । इस अवधि में 6 लाख 61 हजार हैक्टेयर से अधिक भूमि में पौध सरंक्षण कार्य करवाया गया । अधिक उत्पादन के लिये 16 हजार 581 क्विंटल उन्नत बीज एवं 72 हजार 768 टन उर्वरक का वितरण किया गया । ग्यारह हजार से अधिक कास्तकारों के खेतों से मिट्टी एवं पानी का नमूना लेकर विश्लेषण के आधार पर कृषि विभाग द्वारा राय दी गई । 1233 कलचर पैकेट का वितरण 20478
मिनीकिट वितरण तथा 590 कृषि यंत्र वितरण का कार्य हुआ । कृषकों एवं कृषक महिलाओं को कृषि की नवीन तकनीक की जानकारी देने के लिये 26 किसान मेले एवं 316 महिला कृषक प्रशिक्षण शिविर लगाये गये । 225 स्थानों पर हरा चारा प्रदर्शन तथा 70 स्थानों पर भूमि सुधार के लिये कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गये

1.8.15 स्वयं सहायता समूह :– महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिये जिले में 202 स्वयं समूँह का गठन किया जा चुका है जिन्हे बैको की ओर से भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है ।

****

अध्याय – 2

जिले का शैक्षणिक परिदृश्य

विषय प्रवेश

राजस्थान का निर्माण आजादी के पश्चात बहुत सी रियासतों को एकीकृत कर किया गया । इस एकीकरण में बहुत सी विभिन्नताओं वाली रियासतो, रजवाडो का एकीकरण किया गया । जिसके कारण यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है साथ ही भौगोलिक दृष्टि से भी राजस्थान के अन्तर्गत विभिन्नताएं है जैसे कि राजस्थान का 1/3 भाग थार मरुस्थल के अन्तर्गत आता है जहां के कुछ जिलो यथा– जैसलमेर एवं बाडमेर में जनसंख्या घनत्व लगभग 13 एवं 61 है । जो कि राजस्थान के जनसंख्या घनत्व 165 की तुलना में नगण्य है । जबकि कुछ केन्द्रवर्ती एवं पूर्वी जिलो यथा जयपुर, दौसा एवं भरतपुर में जनसंख्या घनत्व क्रमश 471,384 एवं 357 प्रतिवर्ग किलोमीटर है इसी प्रकार राजस्थान के कुछ जिलो यथा जालौर एवं बाडमेर में महिला साक्षरता नगण्य स्वरुप क्रमश 4.2 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत थी ।

आजादी के बाद से आज तक राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि यहा पर शिक्षा के क्षेत्र में अब तक काफी प्रयास किये गये है । जैसे कि सन् 1991–2001 तक पिछले 10 वर्षो में जहा राजस्थान में विद्यालयों , शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सख्या क्रमश 45 प्रतिशत, 60 प्रतिशत एवं 70प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई । सन् 1951 में जहाँ विद्यालयों की सख्या –4679 एवं बालिका विद्यालयों की संख्या मात्र 564 थी । सन्1991 में बढकर क्रमश 45191 एवं 3326 हो गई । वर्तमान में राजस्थान के 34,364 प्राथमिक विद्यालय 14,548 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 15681 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित है ।

1951 में जहाँ शिक्षको की संख्या 20,110 थी । वर्तमान में बढ कर 20,7113 हो गई है । इन प्रयासो के कारण 1951 में जहाँ बालको का नामांकन 343000 था । बढकर लगभग 5479000 हो गया । एवं बालिकाओं का नामांकन 66000 से बढकर लगभग 2249000 हो गया ।

राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्थाओं में वृद्धि

शैक्षिक सुविधायें	1951 में	वर्तमान में
कुल विद्यालय	4679	45191
बालिका विद्यालय	564	3326
शिक्षक	20110	207113

सारणी सं 2.1 *स्त्रोत –चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे प्रतिवेदन*

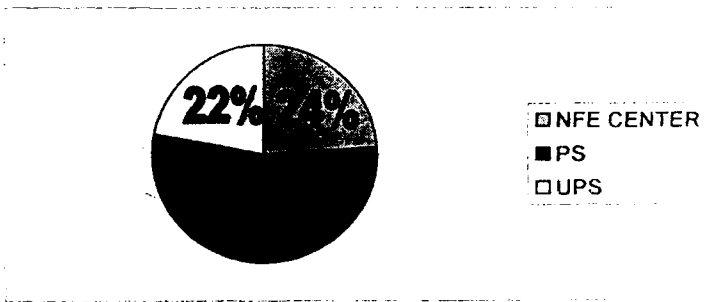

स्त्रोत चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे प्रतिवेदन

नामांकन में वृद्धि (लाखों में)

नामांकन	1951 में	वर्तमान में
बालक	3.43 लाख	54.79 लाख
बालिका	0.66 लाख	22.49 लाख

सारणी सं 2.2 *स्त्रोत चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे प्रतिवेदन*

वर्तमान समय में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत 54 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 22 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 24 प्रतिशत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं । इन प्रयासों का नतीजा रहा है कि 1951 में राजस्थान की साक्षरता जहां 8.95 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष साक्षरता 14.33 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता मात्र 3 प्रतिशत थी । यह बढकर 1991 में कुल 38.55 प्रतिशत हो गई । जिसमें पुरुष साक्षरता 55.07 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 20.44 प्रतिशत थी । जो कि पूरे देश में सबसे कम थी एवं कुल साक्षरता के आधार पर राजस्थान पूरे राष्ट्र में नीचे से दूसरे स्थान पर रहा ।

उक्त वृद्धि प्रयासों के परिणामों के आधार पर उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती है । पिछले दशक की साक्षरता के आकडों पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि पिछले दस वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों नवाचारों, परियोजनाओं यथा – शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, डीपीईपी, सरस्वती योजना, गुरुमित्र एवं उत्तर साक्षरता तथा सतत् साक्षरता (सतत् शिक्षा) कार्यक्रमों के फलस्वरुप साक्षरता में उल्लेखनीय स्तर की प्रगति दर्ज की गई जैसे – 1991 में कुल साक्षरता 38.55 प्रतिशत से बढकर 61.03 प्रतिशत तक पहुँची एवं महिला साक्षरता 20.44 प्रतिशत से बढकर 44.34 प्रतिशत हो गई । जिसमें 1991 –2001 तक सकल वृद्धि 23.9 प्रतिशत थी । जो कि 1981–1991 की वृद्धि 8.44 प्रतिशत से काफी अच्छे स्तर की थी

राज्य के अशिक्षितों की सख्यां मे पहली बार कमी आई 1991 में अशिक्षितों की सख्यां 2 करोड 15 लाख थी जो 2001 में घटकर 1 करोड 80 लाख रह गई । इसके बावजूद महिला अशिक्षितों की संख्या में पुरुष अशिक्षितो जैसी कमी नहीं आई । 1991 में पुरुष अशिक्षितों की संख्या करीब 83 लाख थी जो कि 2001 में घटकर 56 लाख रह गई जबकि इस अवधि के दौरान महिला अशिक्षितो की संख्या 1 करोड 30 लाख से घटकर 1 करोड 20 लाख ही रह पाई ।

जाहिर है इसका प्रमाण विविधि क्षेत्रों में परिलक्षित होना चाहिए था लेकिन ऐसा नही हुआ उदाहरण के लिए यदि जनसंख्या नियन्त्रण को ले तो इस पर जरा भी प्रभाव नहीं हुआ। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 1981–91 में 28.4 प्रतिशत थी जो कि नाम मात्र घटकर 28.3 प्रतिशत हो पाई ।

2.1 जिले का शिक्षा के विकास का इतिहास

किसी भी क्षेत्र, समाज एवं देश के लिए शिक्षा प्रगति की धुरी का कार्य करती है । राजस्थान, भारत ही नहीं अपितु विश्व के रंगमंच पर दृष्टिपात करने पर विदित हेाता है कि जिन अंचलों में शिक्षा का प्रचार– प्रसार अधिकाधिक हुआ है । वे ही देश प्रगति की दौड में सबसे आगे है चाहे यूरोप के देश हों अमेरिका हो अथवा आस्ट्रेलिया या जापान यह सभी शिक्षा के कारण ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खडे है ।

शैक्षिक दृष्टि से राजस्थान भारत के सामान्य राज्य में आता है पाली जिला भी इस स्थिति से पृथक नहीं है साक्षरता दर विद्यार्थियों का नामांकन यह बोध कराता है कि शैक्षिक दृष्टि से पाली जिले में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है । यद्यपि स्वतंन्त्रता के बाद इस जिले में अनेक राजकीय व निजी संस्थान स्थापित हुए है तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का वांछित प्रसार प्रचार हुआ तो भी शैक्षिक दृष्टि से यह जिला बहुत अधिक उन्नत नहीं बन सका । राणावास वरकाणा, फालना आदि निजि शिक्षण संस्थानों से शिक्षा को अभूतपूर्व गति मिली है । वर्तमान में सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बढती संख्या तथा प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में वरदान का कार्य कर रहे है ।

2.2 साक्षरता दर

साक्षरता दर किसी भी जिले की शिक्षा सम्बन्धी तस्वीर प्रस्तुत करती है । स्वतन्त्रता के बाद किये गये प्रयासों से जिला की साक्षता दर में अपेक्षित सुधार हुयें है जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर अधिक है । ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 50.39 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों व महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 73.06, 36.70 प्रतिशत है इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 54.92 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 73.06 व 36.70 है । जिलें में सबसे अधिक साक्षरता 64.17 प्रतिशत पाली तहसील की है एवं सबसे कम साक्षरता दर 48.92 जैतारण तहसील की है ।

(साक्षरता दर 2001)

क्र. स	तहसील का नाम	योग			ग्रामीण			शहरी		
		योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
1	जैतारण	48.92	68.37	28.98	46.77	66.52	26.68	69.38	85.38	51.78
2	रायपुर	50.37	71.03	29.66	50.37	71.03	29.66	—	—	—
3	सोजत	59.76	76.30	37.24	52.02	72.78	31.78	71.21	86.54	54.75
4	रोहट	51.24	71.31	30.91	51.24	71.31	30.91	—	—	—
5	पाली	64.17	80.05	47.15	49.20	68.46	30.27	73.43	86.75	58.37
6	मारवाड जं	51.53	71.11	32.42	49.99	69.86	30.73	77.31	91.21	62.39
7	देसूरी	55.33	70.45	37.27	51.72	68.95	35.78	61.11	77.38	44.75
8	सुमेरपुर	56.73	73.88	39.54	52.69	70.41	35.36	68.38	83.44	52.19
9	बाली	54.01	70.10	38.12	50.34	66.60	34.53	40.55	85.27	54.99

सारणी सं 2.5 *स्त्रोत जिला सांख्यिकी रुपरेखा 2001*

2.3 शैक्षिक सुविधाएँ

जनसंख्या के अनुपात में पाली जिले में विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत कम है जिले में कुल प्राथमिक विद्यालय 1201 उच्च प्राथमिक विद्यालय 506, राजीव गांधी पाठशाला 386, शिक्षा कर्मी विद्यालय 119 एवं संस्कृत विद्यालय 24 है । प्राथमिक स्तर के कुल विद्यालय 1714 तथा उच्च प्राथमिक के विद्यालय 522 है । इनमें क्रमशः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक 178 व 40 विद्यालय गैर सरकारी है ।

(अ) प्रबन्धानुसार विद्यालय

क्र स	जिले का नाम	प्रा.वि			रा. गा. पाठ	उ.प्रा.वि			शिक्षाकर्मी			सँस्कृत			योग	
		G	P	T	G	G	P	T	PS	UPS	T	PS	UPS	T	PS	UPS
1	पाली	898	303	1201	386	417	89	506	112	7	119	15	9	24	1714	522

सारणी सं 2.6 *शाला समंक (2001 –2002)*

(ब) वैकल्पिक शैक्षिक संस्थान

शिक्षा के सार्वजनीनकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न अनौपचारिक संस्थानों / केन्द्रों का संचालन भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों मे हो रहा है । वर्तमान में जिले में 456 सहज शिक्षा केन्द्र तथा 234 शिक्षा मित्र केन्द्र संचालित है । आवश्यकता के अनुसार इनमें वृद्धि अपेक्षित है । वर्तमान में इन केन्द्रों पर 3273 बालक तथा 13694 बालिकाएँ कुल 16967 बच्चे शिक्षार्जन कर रहे है ।

वैकल्पिक शिक्षान्तर्गत जिले में वर्तमान में 3 बालिका शिक्षण शिविर भी संचालित किये जा रहे है जिनमें बाली, पाली एवं देसूरी में क्रमशः 125, 112 एवं 85 बालिकाएँ नामांकित है । जोकि 7 माह तक आवासीय रह कर शिक्षण प्राप्त कर रही है । इसी प्रकार जिला मुख्यालय पर चल विद्यालय नवाचार के रुप में गत 2.5 माह से संचालित किया जा रहा है जिसमें कुल 185 बालक – बालिकाएँ नामांकित है ।

केन्द्रो का प्रकार	केन्द्रो संख्या	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
सहज शिक्षा केन्द्र	456	2181	9289	11470
शिक्षा मित्र	243	1092	4405	5497
बालिका शिक्षण शिविर	03	0	322	322
चल विद्यालय	01	59	126	185
योग	703	3332	14142	17474

सारणी सं 2.7 *स्त्रोत लोक जुम्बिश परियोजना पाली 02*

(स) उच्च शैक्षिक संस्थान

उच्च शिक्षा के उन्नयन का पूर्ण प्रयत्न किया गया है सत्र 2001–02 के शाला समंक के अनुसार जिले में 123 सरकारी व 19 निजि कुल 142 माध्यमिक विद्यालय है, 54 राजकीय 12 निजी कुल 66 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 1 सरकारी व 3 निजी कुल 4 स्नातक महाविद्यालय एवं 1 सरकारी एवं 2 निजी कुल 3 स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं ।

नवाचार के क्रियान्वयन एवं शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्यशील जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) बगडी नगर मे विद्यमान हैं। तकनीकि शिक्षा के लिए 5 आई.टी.ई तथा 1 इंजिनियरिग कॉलेज भी संचालित है ।

संस्थान का नाम	सरकारी	निजी	योग
सैकण्डरी	123	19	142
सी. सैकण्डरी	54	12	66
डिग्री कॉलेज	1	3	4
पी.जी. कॉलेज	1	2	3
डाइट	1	–	1
बी.एड. कॉलेज	–	–	–
आई.ए.एस.ई	–	–	–
आई.टी.आई.	5	–	5
इंजिनियरीग कॉलेज	1	–	1
मेडिकल कॉलेज	–	–	–
यूनिर्वसीटी	–	–	–

सारणी सं 2.8 *शाला समंक (2001 –2002)*

2.4 नामांकन

शिक्षा दर्पण सर्वे के अनुसार कुल बच्चों की संख्या

जिले का नाम	वर्ग	कुल बच्चों की संख्या								
		6–10			11–14			6–14		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
पाली	अ.जा	23580	19715	43295	12223	8069	20292	35803	27784	63587
	अ.ज.जा	8077	6509	14586	3572	2232	5804	11649	8741	20390
	ओ.बी.सी	67180	55039	122219	36694	25508	62202	103874	80549	184421
	अन्य	13238	11574	24812	8538	7120	15658	21776	18694	40470
	योग	112075	92837	204912	61027	42929	103956	173102	135766	308868

शिक्षा दर्पण सर्वे के अनुसार कुल वंचित बच्चों की संख्या

कुल वंचित बच्चों की संख्या								
6–10			11–14			6–14		
B	G	T	B	G	T	B	G	T
629	3065	3694	1032	2286	3318	1661	5351	7012
1199	2057	3256	683	1049	1732	1882	3106	4988
2947	6594	9541	2149	6811	8960	5096	13405	18501
380	618	998	459	983	1442	839	1601	2440
5155	12334	17489	4323	11129	15452	9478	23463	32941

सारणी 2.9 स्त्रोत –लोक जुम्बिश परियोजना प्रगति प्रतिवेदन मई 2002

जातिवार नामांकन दिस. 2002

क्र स	विकास खण्ड का नाम	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछडा वर्ग			अन्य			कुल योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1	बाली	4299	3779	8078	5873	3283	9156	10683	8823	19506	3116	2947	6063	23971	18832	42803
2	सोजत	5320	3651	8971	13	10	23	14834	10990	25824	3636	2746	6382	23625	17575	41200
3	मारवाड जंक्शन	4171	3159	7330	623	402	1023	13906	11608	25514	1835	1991	3826	20535	17160	37695
4	रानी	2700	2288	4988	657	333	990	7106	5767	12873	2783	2616	5399	13246	11004	24250
5	रोहट	2720	1947	4667	717	468	1185	7532	5517	13049	1179	1151	2330	12148	9083	21231
6	देसूरी	3237	2592	5829	1214	888	2102	8076	6681	14757	1916	2049	3965	14443	12210	26653
7	रायपुर	2987	2062	5049	16	9	25	16572	11952	28527	1973	3149	5122	21548	17172	38720
8	सुमेरपुर	4122	3116	7238	2750	1817	4567	10734	8851	19585	3987	3548	7535	21593	17332	38925

सारणी 2.9 (ब) *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी*

शिक्षा दर्पण सर्वे अनुसार

जिले का नाम	वर्ग	विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या (प्रतिशत में)								
		6–10			11– 14			6– 14		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पाली	अ.जा	2.67	15.55	8.53	8.44	28.33	16.35	4.64	19.26	11.03
	अ.ज.जा	14.84	31.60	22.32	19.12	47.00	29.84	16.16	35.53	24.46
	ओ.बी.सी	4.39	11.98	7.81	5.86	26.70	14.40	4.91	16.64	10.03
	अन्य	2.87	5.34	4.02	5.38	13.81	9.21	3.85	8.56	6.03
	योग	4.60	13.29	8.53	7.08	25.92	14.86	5.48	17.28	10.67

सारणी 2.10 *स्त्रोत – लोक जुम्बिश परियोजना प्रगति प्रतिवेदन मई 02*

शिक्षा आपके द्वार (शहरी क्षेत्रों में नामांकन की स्थिति)

जिला	शहरी क्षेत्रों की सं	वार्डो की सं	6–14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या			शिक्षा से जुडे बालकों की संख्या			शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की संख्या			शिक्षा से जुडे बालक बालिकाओ का प्रतिशत		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पाली	9	193	24319	20792	45111	23181	18525	41706	1138	2267	3405	95.32	89.10	92.45

सारणी 2.11 स्त्रोत – लोक जुम्बिश परियोजना प्रगति प्रतिवेदन मई 02

शिक्षा आपके द्वार कार्ययोजनानुसार शैक्षिक सुविधा की आवश्यकताओं का आकलन

जिला कार्ययोजनानुसार शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता									परियोजना कार्ययोजना 02–03 में प्रस्तावित प्रावधान					अतिरिक्त सुविधा की आवश्यकता				
जिले का नाम	शिक्षा से वंछित बालक बालिकाओं की संख्या	रा.गा.पा.	मुक्तांकन	सहज शिक्षा	शिक्षा मित्र	छात्रावास	बालिका शिक्षण शिविर	अन्य नवाचार	मुक्तांकन	सहज शिक्षा	शिक्षा मित्र	छात्रावास	बालिका शिक्षण शिविर	मुक्तांकन	सहज शिक्षा	शिक्षा मित्र	छात्रावास	
पाली	44942	132	0	362	266	0	3	0	0	362	15	1	3	0	0	251	1	0

सारणी 2.11 स्त्रोत – लोक जुम्बिश परियोजना प्रगति प्रतिवेदन मई 2002

2.4.1. जातिवार नामांकन कक्षा 1 से 8 तक

सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे भागीरथ प्रयत्न के कारण जिले में विद्यार्थियों के नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । इस समय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल अध्ययनरत छात्र 191903 व छात्रा 132060 कुल 323963 विद्यार्थी एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र 30889 व छात्रा 12565 कुल 43454 विद्यार्थी अध्ययनरत है । इनमें अनुसूचित जाति के 61573 व अनुसूचित जन जाति के 16627 तथा अन्य जातियों के 245763 विद्यार्थी है एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के 8555 एवं अनुसूचित जन जाति के 1517 तथा अन्य जातियें के 33385 विद्यार्थी अध्ययनरत है । जो अधोलिखित सारणियो द्वारा सन्दर्शित है :–

विद्यालय व्यवस्था नुसार	अ.जा.			अ.ज.जा			अन्य			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
प्रा / उ.प्रा	37436	24137	61573	11077	5550	16627	143390	102373	245763	191903	132060	323963
मा. / उ.मा	7111	1455	8555	1387	103	1517	22391	10991	33382	30889	12565	43454
योग	44547	25581	70128	12464	5680	18144	165781	113364	279145	222792	144625	367417

सारणी सं 2.12 *शाला समंक (2001 –2002)*

क्र. स	विकास खण्ड का नाम	आयु वर्ग (6 – 10)			आयु वर्ग (11 – 14)			आयु वर्ग (6 – 14)		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बाली	20727	16545	37272	3244	2287	5531	23971	18832	42803
2	मारवाड जंक्शन	17952	15945	33897	2613	1215	3828	20565	17160	37725
3	रानी	11335	9692	21027	1911	1312	3223	13246	11004	24250
4	रोहट	10536	8634	19170	1612	449	2061	12148	9083	21231
5	देसूरी	11805	11013	22818	2638	1197	3835	14443	12210	26653
7	रायपुर	19122	16137	35259	2426	1038	3464	21548	17172	38720
8	सुमेरपुर	18555	15496	34051	3078	1796	4874	21633	17292	38925
9	सोजत	19726	16345	36071	3709	1420	5129	23435	17764	41200

सारणी 2.12 (ब) *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

2.4.2 (ब) कक्षावार नामांकन (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)

सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयासों से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है । जिसमें कक्षा-1 से 8 तक का नामांकन कुल विद्यार्थी 323963 है । जिनमें 191903 बालक एवं 132060 बालिकाएँ शामिल है । उक्त कक्षावार नामांकन का परिदृश्य अधोलिखित सारिणी से दृष्टिगोचर होता है ।

(ब) कक्षावार नामांकन (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)

जिले का नाम	कक्षा – 1			कक्षा – 2			कक्षा – 3			कक्षा – 4			कक्षा – 5			कक्षा – 6			कक्षा–7			कक्षा–8			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पाली	55609	44069	99678	35408	27567	62975	28449	20126	48575	24334	16212	40546	21399	11790	33879	12425	6026	18451	7949	3569	11518	5840	2701	8541	191903	132060	323963

सारणी सं 2.13 *स्त्रोत – शाला समंक (2001 –2002)*

सं	विकास खण्ड का नाम	कक्षा – 1			कक्षा – 2			कक्षा – 3			कक्षा – 4			कक्षा – 5			कक्षा – 6			कक्षा–7			कक्षा–8			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	बाली	5706	4989	10695	4692	3883	8575	3891	3227	7118	3540	2586	6126	2898	1860	4758	1381	1023	2404	1080	789	1869	783	475	1258	**23971**	**18832**	**42803**
2	सोजत	6680	6542	13222	4114	3587	7701	3323	2607	5930	3004	1971	4975	2604	1639	4246	1547	669	2216	1248	450	1698	914	307	1215	**23435**	**17765**	**41200**
3	मारवाड जंक्शन	5302	5832	11134	4199	4160	8559	3193	2696	5889	2805	1828	4633	2453	1429	3882	1091	629	1720	921	372	1293	601	214	815	**20565**	**17160**	**37725**
4	रानी	3366	3507	6873	2413	2209	4622	2182	1635	3817	1741	1341	3082	1633	1000	2633	818	585	1403	644	424	1068	449	303	752	**13246**	**11004**	**24250**
5	रोहट	3469	3360	6829	2510	2283	4793	1882	1313	3195	1493	967	2460	1182	711	1893	701	241	942	560	135	695	351	73	424	**12148**	**9083**	**21231**
6	देसूरी	3181	3614	6795	2613	2515	5128	2330	1988	4318	1957	1579	3539	1724	1317	3041	1111	575	1686	921	401	1322	606	21	827	**14443**	**12210**	**26653**
7	रायपुर	7214	8584	15798	4070	3084	7154	2994	1891	4885	2587	1438	4025	2257	1137	3394	1047	509	1556	891	339	1230	488	190	678	**21548**	**17172**	**38720**
8	सुमेरपुर	5861	5185	11046	4008	3762	7770	3341	2870	6211	2812	2202	5014	2532	1530	4062	1212	805	2017	1009	585	1594	807	404	1211	**21582**	**17343**	**38925**

सारणी 2.13 (ब) *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

ग्रा 1 से 8 तक

नाएँ संचालित कर तथा विविध प्रकार की सुविधाएँ देकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । पुनश्च नामांकन से बोध होता है कि छात्रो की तुलना में छात्राएँ कम संख्या में विद्यालयों में नामांकित है । जैसा कि प्रस्तुत सारणी से सन्दर्शित हो रहा है

जिले का नाम	सरकारी स्कूल			निजी स्कूल			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
पाली	152379	112406	264785	39524	19654	59178	191903	132060	323963

सारणी सं 2.14 *स्त्रोत – शाला समंक (2001 –2002)*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
बाली	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	14	1097	1172	2269						
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	79	6867	5989	12856						
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)										
	राजीव गांधी पाठशाला	43	1429	1415	2844						
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	42	2280	1141	3421						
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	44	2569	1152	3721						
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	58	5085	4955	10040	2932	2141	5073	8017	7096	15113
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–								
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	11	1400	721	2121	312	146	458	1712	867	2579

सारणी 2.15 i *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
मा. जंक्शन	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	3	192	145	337	0	0	0	192	145	337
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	110	7025	5965	12980	0	0	0	7025	5965	12980
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–							
	राजीव गांधी पाठशाला	79	2182	2180	4362	0	0	0	2182	2180	4362
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	24	527	571	1098	0	0	0	527	571	1098
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	34	1714	1721	3435	0	0	0	1714	1721	3435
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	54	5538	4970	10508	244	1130	3594	8002	6100	14102
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–						
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	6	471	306	777	149	85	234	620	321	1011

सारणी 2.15 ii स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
रानी	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	7	548	547	1095	0	0	0	548	547	1095
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	51	4677	3141	7818	0	0	0	4677	3141	7818
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	1	24	16	40	0	0	0	24	16	40
	राजीव गांधी पाठशाला	20	444	424	868	0	0	0	444	424	868
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	—	–						
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	29	1229	496	1725	0	0	0	1229	496	1725
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	38	3681	4054	7735	1657	1226	2883	5338	5280	10618
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–						
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	7	664	386	1050	254	86	340	918	472	1390

सारणी 2.15 iii स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
रोहट	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	3	361	236	597	0	0	0	361	236	597
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	72	4736	4525	9261	0	0	0	4736	4525	9261
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	2	141	51	192	0	0	0	141	51	192
	राजीव गांधी पाठशाला	17	624	552	1176	0	0	0	624	552	1176
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–							
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	8	885	184	1069	0	0	0	885	184	1069
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	25	3615	3035	6650	1594	449	2043	5209	3484	8693
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–								
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	1	174	51	225	18	0	18	192	51	243

सारणी 2.15 iv स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
देसूरी	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	12	826	821	1647	–	–	–	826	821	1647
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	71	4935	5085	10020	–	–	–	4935	5085	10020
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	5	307	283	590	–	–	–	307	283	590
	राजीव गांधी पाठशाला	14	287	286	573	–	–	–	287	286	573
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	20	1173	491	1664	–	–	–	1173	491	1664
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	39	4140	3297	7437	2489	1163	3652	6629	4460	11089
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–	–	–	–		
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	4	341	129	470	149	34	183	490	163	653

सारणी 2.15 v स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
रायपुर	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	8	643	676	1319	–	–	–	643	676	1319
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	98	7323	5014	12337	–	–	–	7323	5014	12337
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	2	91	91	182	–	–	–	91	91	182
	राजीव गांधी पाठशाला	70	1604	1418	3022	–	–	–	1604	1418	3022
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	53	2071	1680	3751	–	–	–	2071	1680	3751
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	12	1212	590	1802	–	–	–	1212	590	1802
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	45	4169	3840	8009	2044	895	2939	6213	4732	10945
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–	–				
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	11	1267	618	1885	382	143	525	1649	761	2410

सारणी 2.15 vi *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
सुमेरपुर	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	10	1455	1551	3006	–	–	–	1455	1551	3006
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	48	5347	4430	9777	–	–	–	5347	4430	9777
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	02	111	92	203	–	–	–	111	92	203
	राजीव गांधी पाठशाला	34	1362	1456	2818	–	–	–	1362	1456	2818
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	40	3520	1878	5398	–	–	–	3520	1878	5398
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	38	4138	4652	8790	2222	1582	3804	6260	6234	12594
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	1	63	65	128	25	2	27	88	67	155
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	18	2558	1425	3938	781	210	991	3339	1635	4974

सारणी 2.15 vii *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकन						कुल योग		
			कक्षा 1 – 5			कक्षा 6 – 8			कक्षा 1 – 8		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
सोजत	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	15	1551	1599	3150	–	–	–	1551	1599	3150
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	95	6178	5366	11544	–	–	–	6178	5366	11544
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	राजीव गांधी पाठशाला	48	1449	1261	2710	–	–	–	1449	1261	2710
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	39	2814	1398	4212	–	–	–	2814	1398	4212
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	53	11804	9289	21093	3538	1338	4876	15342	10627	25969
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	9	485	239	724	171	82	253	656	321	977

सारणी 2.15 viii *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

2.4.4 कक्षानुसार विद्यालय नामांकन

विद्यालय का प्रकार	कक्षा – 1 से 5			कक्षा – 6 से 8			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्रा. वि.	94721	63734	158455	–	–	–	94721	63734	158455
उ.प्रा.वि	57485	45539	103024	26214	12296	38510	83699	57835	141534
रा.गा.पाठ	13483	10491	23974	–	–	–	13483	10491	23974
सैकण्डरी / सी. सैकण्डरी विद्यालय	4260	3081	7341	26629	9484	36113	30889	12565	43454
योग	169949	122845	292794	52843	21780	74623	222792	144625	367417

सारणी सं 2.16 *स्त्रोत – शाला समंक (2001 –2002)*

2.4.5 आयु वर्गानुसार नामांकन

आयु	कक्षा								
	1 से 5			6 से 8			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
<6	18959	15763	34722	0	0	0	18959	15763	34722
6 to 10	109578	82261	191839	1619	1202	2821	111197	83463	194660
11 to 14	1207	792	1999	58746	33339	92085	59953	34131	94084
>14	0	0	0	321	176	497	321	176	497
Total	129744	98816	228560	60686	34717	95403	190430	133533	323963

सारणी सं 2.17 *स्त्रोत – शाला समंक (2001 –2002)*

वंचित बच्च्वों का विवरण आधार तिथि 31.12.02

क्र स	विकास खण्ड का नाम	कुल बच्चों की संख्या आयु वर्ग 6–14			कुल नामांकित बच्चों की आयु वर्ग 6–14			शिक्षा सर्वे फरवरी 02 के अनुसार वंचित बच्चों की संख्या			31.12.02 आधार तिथि के अनुसार वंचित बच्चों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	बाली	1422	3389	4811	1169	2968	4137	1422	3389	4811	253	421	674
1	मारवाड जंक्शन	1040	3777	4817	1003	3536	4539	967	3450	4417	37	241	278
3	रानी	14299	11186	25485	13902	9995	23897	397	1191	1588	20	95	115
4	रोहट	13002	10599	23601	12375	8853	21228	627	1746	2373	148	284	432
5	देसूरी	14906	12896	27802	14492	11492	26004	340	1416	1756	98	217	315
6	रायपुर	1318	3406	4724	1238	3289	4527	–	–	–	80	117	197
7	सुमेरपुर	274	928	1202	338	901	1139	27	36	63	27	36	63
8	सोजत							775	2532	3307	102	547	649

सारणी 2.17 (ब) *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

2.4.5सामान्य नामांकन दर (GER)

निरन्तर किये जा रहे प्रयासों के बाद भी नामांकन का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है । जिले में 6–14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 379376 है ।इनमें 228337 बालक तथा 151039 बालिकाएँ है । समग्र बच्चों में से बालको का नामांकन 97.57 तथा बालिकाओं का 95.57 प्रतिशत है। जिसकों निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है ।

जिले का नाम	6– 14 जनसंख्या			नामांकन कक्षा 1 से 8			प्रतिशत नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
पाली	228337	151039	379376	222792	144625	367417	97.57	95.57	96.85

सारणी सं 2.18 *स्त्रोत – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि दि. 30.12.02*

2.5 ठहराव दर कक्षा 1 से 5

ठहराव दर की स्थिति का अवलोकन करने से दृष्टिगोचर होता है कि जिले में बालकों की ठहराव दर 46.01 तथा बालिकाओं की ठहराव दर 29.60 प्रतिशत है । जिसको बढानें का प्रयत्न किया जाना आवश्यक है । विशेषकर छात्राओ पर ध्यान दिया जाना वांछनीय है ।

ठहराव दर प्रतिशत में

विकास खण्ड का नाम	प्रथम कक्षा में नामांकन (96–97)			कक्षा 5 में नामांकन (2001–02)			ठहराव दर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
पाली	52060	37876	89936	23954	11212	35166	46.01	29.60	39.01

सारणी सं 2.19 *स्त्रोत – शाला समंक (2001 –2002)*

2.5 (अ) ठहराव दर कक्षा 1 से 8

कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन एवं ठहराव पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि बालिकाओं की तुलना में बालकों का ठहराव अधिक है । बालकें का 38.20 प्रतिशत तथा बालिकाओं का 34.39 प्रतिशत ठहराव है कुल ठहराव 37.03 प्रतिशत है । जैसे जैसे विद्यार्थियों के स्तर में वृद्धि होती है ठहराव में कमी आती चली जा रही है । एतदर्थ विशेष प्रयत्न किया जाना अपेक्षित है ।

जिले का नाम	प्रथम कक्षा में नामांकन (93–94)			कक्षा 8 में नामांकन (2001–02)			ठहराव दर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
पाली	42578	18797	61375	16264	6464	22728	38.20	34.39	37.03

सारणी सं 2.20 *स्त्रोत – शाला समंक (2001 –2002)*

2.6 कक्षोन्नति दर

जिले में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (5) से प्राप्त सूचनाओं के नमूने के आधार पर कक्षा 1–8 तक की कक्षोन्नति दर निम्न विवरणानुसार रही । समस्त पांचों विकास खण्डों में कक्षा 1 में कक्षोन्नति दर 89.07 प्रतिशत, कक्षा 2 में 92.41 प्रतिशत, कक्षा 3 में 90.99 प्रतिशत कक्षा 4 में 90.87 प्रतिशत कक्षा 5 में 88.94 प्रतिशत, कक्षा 6 में 77.80 प्रतिशत, कक्षा 7 में 77.81 प्रतिशत एवं कक्षा 8 में 81. 05 प्रतिशत रही ।

कक्षा 1 – 8 तक की कुल कक्षोन्नति दर 88.98 प्रतिशत रही जिसमें विकास खण्ड पाली की सबसे अधिक 99.11 प्रतिशत एवं न्यूनतम रानी विकास खण्ड की 79.49 प्रतिशत रही । उक्त आंकडें मात्र सम्बन्धित पांचों ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिये जा रहे है ।

कक्षावार नामांकन एवं उर्त्तीण बच्चों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	कक्षा – 1		कक्षा – 2		कक्षा – 3		कक्षा – 4		कक्षा – 5	
	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण
पाली	3448	3448	2519	2519	2254	2254	1676	1676	1519	1519
रोहट	6595	5276	3624	2899	2522	2017	1979	1583	1639	1311
रायपुर	13041	13041	6680	6680	4771	4771	3498	3498	3819	3819
रानी	6437	4662	4303	3817	3423	3082	2960	2633	2439	1403
मा. जंक्शन	4903	4236	3950	3562	3698	3043	3458	2943	2924	2924
योग	34424	30663	21076	19477	16668	15167	13571	12333	12340	10976
प्रतिशत	89.07		92.41		90.99		90.87		88.94	

सारणी सं 2.21 *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	कक्षा – 6		कक्षा – 7		कक्षा – 8	
	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण
पाली	757	693	473	461	339	300
रोहट	826	657	501	407	315	193
रायपुर	1446	897	997	698	772	618
रानी	1361	1068	1023	752	723	602
मा.जंक्शन	1645	1380	995	786	654	559
योग	6035	4695	3989	3104	2803	2272
प्रतिशत	77.80		77.81		81.05	

सारणी सं 2.21 (अ) *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

कक्षोन्नति दर कक्षा 1 से 8

क्र.स	विकास खण्ड का नाम	कक्षा 1 – 8 में कुल प्रविष्ठ छात्रों की संख्या	कक्षा 1 – 8 में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	कक्षोन्नति प्रतिशत
1	पाली	12985	12870	99.11
2	रोहट	18001	14343	79.68
3	रायपुर	35024	34022	97.14
4	रानी	22669	18019	79.49
5	मा.जंक्शन	22227	19433	87.43
	योग	**110906**	**98687**	**88.98**

सारणी सं 2.21 (ब) *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

2.7 अध्यापक स्थिति

शैक्षिक उन्नयन एवं विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में संलग्न अनेक श्रेणियों के अध्यापक कार्यरत है । जहां राजीव गांधी एवं शिक्षाकर्मी विद्यालयों में शिक्षा सहयोगी एवं शिक्षाकर्मी कार्य कर रहे है तो वहीं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय व द्वितीय श्रेणी के अध्यापक कार्यरत है ।

विद्यालय प्रबन्धानुसार अध्यापकों का विवरण

जिले में प्रबन्धानुसार कुल 7851 अध्यापक कार्यरत है इनमें 6470 पुरुष तथा 1381 महिलायें है । आनुपातिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में महिला अध्यपिकाओं की संख्या अत्यन्त न्यून है विवरण इस प्रकार है :–

जिले का नाम	प्रा.वि			रा.गा.पाठ			उ.प्रा.वि			योग		
	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
पाली	**2925**	**612**	**3537**	**443**	**37**	**480**	**3102**	**732**	**3834**	**6470**	**1381**	**7851**

सारणी सं 2.22 *स्त्रोत –शाला संमग (2001 – 02)*

(ब) विद्यालय प्रबन्धानुसार अध्यापकों का विवरण (केवल राजकीय विद्यालय)

राजकीय विद्यालयें में कुल 5919 अध्यापक कार्यरत है । जिनमें से प्राथमिक विद्यालयों में 2435 तथा राजीव गांधी पाठशालाओ में 480 व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3004 अध्यापक कार्य कर रहे है । कार्यरत अध्यापकों की स्थिति का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि आनुपातिक दृष्टि से महिला अध्यापकों की संख्या काफी कम है ।

जिले का नाम	प्रा.वि			रा.गा.पाठ			उ.प्रा.वि			योग		
	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
पाली	**1969**	**466**	**2435**	**443**	**37**	**480**	**2440**	**564**	**3004**	**4852**	**1067**	**5919**

सारणी सं 2.23 *स्त्रोत –शाला संमग (2001 – 02)*

अध्यापकों का जातिवार विवरण (प्रबन्धानुसार)

(सभी प्रकार के विद्यालयों में)

जिले का नाम	अनु. जाति			अनु. जन जाति			अन्य			योग		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
पाली	978	64	1042	210	12	222	5282	1305	6587	**6470**	**1381**	**7851**

सारणी सं 2.24 *स्त्रोत –शाला संमग (2001 – 02)*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल योग		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
बाली	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	12	1	13	–	4	4	21	7	28	33	12	45
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	8	100	108	2	20	22	26	128	154	36	248	284
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–							
	राजीव गांधी पाठशाला	–	6	6	1	13	14	2	21	23	3	40	43
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–								
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)												
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	12	74	86	5	37	42	46	182	228	63	293	356
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)												
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)												

सारणी सं 2.24 i *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल योग		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
सोजत	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	10	6	16	–	–	–	21	9	30	6	9	15
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	60	10	70	1	–	1	126	23	149	64	32	96
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–					2	–	2
	राजीव गांधी पाठशाला	12	1	13	–	–	–	23	1	24	14	1	15
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–							
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	35	29	64	–	–	–	136	26	162	176	45	221
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	55	2	57	1	–	1	145	14	159	77	28	105
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–							
	उच्च प्रा. (मान्यता प्राप्त)	–	6	6	–	–	–	81	24	105	87	24	111

सारणी सं 2.24 ii *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल योग		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
मारवाड जंक्शन	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	–	2	2	1	–	1	2	4	6	3	6	9
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	2	85	87	–	4	4	27	192	219	29	281	310
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–							
	राजीव गांधी पाठशाला	–	24	24	0	1	1	2	62	64	2	87	89
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	4	5	9	–	2	2	11	20	31	15	27	42
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–								
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	10	84	94	2	5	7	17	196	213	29	285	314
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–							
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–	–							

सारणी सं 2.24 iii *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल योग		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
रानी	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	2	16	18	–	–	–	3	14	17	5	30	35
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	6	56	62	–	10	10	15	77	92	21	143	164
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	1	1	–	–	–	–	–	–	0	1	1
	राजीव गांधी पाठशाला	–	6	6	–	–	–	1	13	14	1	19	20
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–								
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	5	38	43	2	3	5	10	37	47	17	78	95
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	8	44	52	0	7	7	28	93	121	43	144	187
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–								
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	2	18	20	–	–	–	4	14	18	6	32	38

सारणी सं 2.24 iv *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल योग		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
रोहट	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	–	1	1	–	–	–	4	4	8	4	5	9
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	–	22	22	–	14	14	28	94	122	28	130	158
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–				1	1	2	1	1	2
	राजीव गांधी पाठशाला	–	2	2				–	16	16	–	18	18
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–							
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–			2	17	19	2	17	19
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	1	19	20	–	5	5	17	81	98	18	105	123
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–							
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–			2	3	5	2	3	5

सारणी सं 2.24 v *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल योग		
		महिला	पुरुष	योग	नहिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
देसूरी	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	2	7	9	–	–	–	9	4	13	11	11	22
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	4	69	73	–	8	8	19	83	102	23	160	183
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–	–	–					
	राजीव गांधी पाठशाला	–	4	4	–	–	–	1	9	10	1	13	14
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–					
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–	–	–	–					
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	2	66	68	1	7	8	14	125	139	17	198	215
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–	–	–					
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–	–	–	–					

सारणी सं 2.24 vi *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल योग		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
सुमेरपुर	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	–	–	–	–	3	3	7	28	35	7	31	38
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	3	31	34	2	22	24	9	89	98	14	142	156
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–								
	राजीव गांधी पाठशाला	–	–	–	–	5	5	2	19	21	2	43	45
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–								
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	23	23	2	14	16	31	127	158	33	164	197
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	5	34	41	1	27	28	44	111	155	50	174	224
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	3	3
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	1	40	41	–	12	12	33	78	111	34	130	164

सारणी सं 2.24 vii *स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02*

2.8 रिक्त पदों की सूचना (दिसम्बर 02 के अनुसार)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 6641 पद स्वीकृत है। इनके विरुद्ध कार्यरत अध्यापकों की संख्या 5803 है, इस प्रकार जिले मे कुल 838 पद रिक्त है । रिक्त पदों का विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है । रिक्त पदो को शीघ्रताशीघ्र भर कर नामांकन व ठहराव में वृद्धि किया जाना संभव है ।

क्र. स	विद्यालय	स्वीकृत पद	कार्यरत अध्यापक	रिक्त पद
1	प्रा.वि	2572	2369	203
2	रा.गा.पाठ	402	386	16
3	उ.प्रा.वि.	3667	3048	619
	कुल योग	6641	5803	838

सारणी सं 2.25 *स्त्रोत –शाला संमग (2001 – 02)*

ब्लॉकवार रिक्त पदों की सूचना

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
बाली	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)		56	56	10	35	45	0	11	11
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)		318	318	36	248	284	0	34	34
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–					
	राजीव गांधी पाठशाला	4	50	54	2	41	43	2	9	11
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–					
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–					
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	–	423	423	68	288	356	–	67	67
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–					
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–					

सारणी सं 2.25 i स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
सोजत	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	–	–	109			73			36
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)			317	251	65	316	–	–	1
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)			2	2	–	2			
	राजीव गांधी पाठशाला			59	49	3	52			7
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–		
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)				176	45	221			
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)			330			274			56
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)									
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)				87	24	111			

सारणी सं 2.25 ii स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
मारवाड जंक्शन	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	–	16	16	3	6	9	2	5	7
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	–	–	348	29	281	310	–	–	38
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–					
	राजीव गांधी पाठशाला									
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	21	27	48	15	27	42	6	–	6
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–					
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	39	314	353	29	285	314	10	29	39
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)									
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–					

सारणी सं 2.25 iii स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
रानी	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	–	–	51	5	30	35	–	–	16
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	–	–	223	21	143	164	–	–	59
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	1	1	–	1	1	–	–	0.
	राजीव गांधी पाठशाला	–	–	20	1	19	20	–	–	–
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–					
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	123	17	78	95	–	–	28
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	64	159	233	43	144	187	21	15	46
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–					
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	49	6	32	38	–	–	11

सारणी सं 2.25 iv स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
रोहट	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	–	–	10	4	5	9	–	–	1
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	–	–	217	28	130	158	–	–	59
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	2	1	1	2	–	–	–
	राजीव गांधी पाठशाला	–	–	18	–	18	18			
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–						
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	2	17	19	–	–	–
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	–	–	196	18	105	123	–	–	73
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–						
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	2	3	5	–	–	–

सारणी सं 2.25 v स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
देसूरी	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	17	21	38	12	10	22	5	11	16
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	–	213	213	23	160	183	–	30	30
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–	–	–		
	राजीव गांधी पाठशाला	1	16	17	1	13	14	–	3	3
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–		
	प्राथ. वि (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–	–	–	–		
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	21	259	280	16	199	215	5	60	65
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	–	–	–	–	–	–		
	उच्च प्रा (मान्यता प्राप्त)	–	–	–	–	–	–	–		

सारणी सं 2.25 vi स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
सुमेरपुर	प्राथ. विद्या (शिक्षा विभाग)	14	50	64	8	30	38	6	20	26
	प्राथ.विद्या (पंचायत राज)	25	167	192	15	157	172	10	10	20
	प्रा.विद्या (संस्कृत शिक्षा)	–	1	1	–	1	1	–	–	–
	राजीव गांधी पाठशाला	2	43	45	2	43	45	–	–	–
	शिक्षा कर्मी विद्यालय	–	–	–	–	–				
	प्राथ. वि (नान्यता प्राप्त)	–	–	–	–	–				
	उच्च प्रा (शिक्षा विभाग)	60	240	300	46	175	221	14	65	79
	उच्च प्रा. संस्कृत शिक्षा)	–	3	3	–	3	3	–	–	–
	उच्च प्रा (नान्यता प्राप्त)	–	–	–	–					

सारणी सं 2.25 vii स्त्रोत ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 02

2.9 शिक्षक – छात्र अनुपात

नामांकन एवं कार्यरत शिक्षकों पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि जिले मे छात्र शिक्षक अनुपात 38.88 प्रतिशत है । जो अधोलिखित सारणी में सन्दर्शित है एवं अपेक्षित अनुपात 1:40 की अपेक्षा को पूरा करता है जबकि राजीव गांधी पाठशालाओं में नामांकन 23974 के अनुपात में कार्यरत शिक्षक 480 है जोकि आनुपातिक रुप से 49.94 है जो अपेक्षित मानदण्ड के अनुरुप नहीं है ।

जिले का नाम	प्रा. वि			उ. प्रा. वि			रा.गा.पाठ		
	नामांकित	कार्यरत शिक्षक	छात्र शिक्षक अनुपात	नामांकित	कार्यरत शिक्षक	छात्र शिक्षक अनुपात	नामांकित	कार्यरत शिक्षक	छात्र शिक्षक अनुपात
पाली	158455	4017	39.44	141534	3834	36.92	23974	480	49.94

सारणी सं 2.26 स्त्रोत –शाला समग (2001 – 02)

2.10 विद्यालय भवन (केवल राजकीय विद्यालय)

विद्यालय भवन का सोन्दर्यता पर्याप्तता तथा भवन की सुविधा सम्पन्ता विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव मे अहम् भूमिका निभाती है ।विद्यालय जितना आकर्षण व सुविधा सम्पन्न होगा विद्यार्थी उसके प्रति उतने ही अधिक आकर्षित होगें । वर्तमान में पाली जिले में विद्यालयें की स्थिति को निम्न सारणियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ।

जिले का नाम	स्कूलों की संख्या	नामांकन						शिक्षकों की संख्या		
		प्राथमिक स्तर 1–5			उ. प्राथमिक स्तर 6–8					
		B	G	T	B	G	T	M	F	T
पाली	1786	130394	89655	220049	30515	11812	42337	5527	959	6486

भौतिक सुविधाओं क स्थिति											
कक्षा कक्षों की संख्या	मरम्मत योग्य विद्यालय भवनों की संख्या			पेयजल की उपलब्धता		चार दिवारी की उपलब्धता		शौचालय		बालिका हेतु पृथक शौचालय	
	Minor	Major	No need	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
10403	502	528	756	974	812	914	872	460	1326	276	1510

सारणी – 2.27

(स) पेयजल सुविधा

जिले का नाम	पेयजल सुविधा विवरण		
	वि सं	पानी की सुविधा है	पानी की सुविधा नहीं है
पाली	1786	974	812

सारणी सं 2.27

(द) शौचालय सुविधाएँ

जिले का नाम	शौचालय सुविधा विवरण		
	वि.सं	शौचालय की सुविधा है	शौचालय की सुविधा नहीं है
पाली	1786	460	1326

सारणी सं 2.28

(य) चार दीवारी

जिले का नाम	चार दिवारी सुविधा विवरण		
	विसं	चार दिवारी है	चार दिवारी नहीं है
पाली	1786	914	872

सारणी सं 2.29

2.11 प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासनिक ढॉचा

जिले में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासनिक दायत्वि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क है । मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन जिले स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) होता है । जिसका पूर्व में पद नाम जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) था जिले के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रशासनिक दायित्व का सीधा– सीधा कार्यभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का है । जिलें में कार्यरत समस्त अध्यापकों राजीव गांधी पाठशालाओं के शिक्षा सहयोगी (पैराटीचर्स,) शिक्षाकर्मियों के चयन, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण आदि के कार्य भी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारभिक शिक्षा) के माध्यम से ही सम्पन्न किये जाते है

जिले की समस्त राजकीय व मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देख–रेख का कार्य, नामांकन ठहराव शिक्षा में गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करने का कार्य भी किया जाता है । अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि. के अधीन कार्यालय में शैक्षिक व प्रशासनिक

सम्बलन हेतु ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी होता है । इसके अधीन अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी व मन्त्रालयिक स्टॉफ होता है

ब्लॉक की समस्त प्रकार की विद्यालयों यथा प्राथमिक (स्थानीय निकाय एवं शिक्षा विभाग) राजीव गांधी पाठशालाए, शिक्षा कर्मी विद्यालय, सतत शिक्षा केन्द्र गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाए देखरेख निरीक्षण सम्बलन आदि का उत्तरदायी बी.ई.ई.ओ भी होता है । ब्लॉक में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता आदि का कार्य भी बी.ई.ई.ओ द्वारा किया जाता है ।

प्रत्येक विद्यालय की उचित व समय पर प्रशासनिक व शैक्षिक सम्बलन प्राप्त हो सके इसके लिए ग्रम पंचायत स्तर पर उ.प्रा.वि. को नॉडल केन्द्र बनाया गया है । जिससे सूचनाओं का सम्प्रेषण, संकलन एवं पर्यवेक्षण आदि का कार्य सुचारु रुप से संचालित होता रहता है ।

2.12 शैक्षिक विकास के लिए संचालित योजनाएँ

(अ) आपरेशन ब्लेक बोर्ड (OBB)

प्राथमिक शिक्षा को बढावा देने के लिए आपॅरेशन ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम आठवी पंचवर्षिय योजना में वर्ष 1996 –97 से प्रारम्भ किया गया । प्रारम्भ में 1927 विद्यालयों को 857.30 लाख रुपयें की पठन सामग्री उपलब्ध करवाई गई । योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार से प्राप्त 444.76 लाख रुपये की सामग्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवंटित की गई जिसमें दरी पट्टिया, बाल साहित्य, फर्नीचर, पाठ्य सामग्री व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई । वर्ष 2000–01 में योजनान्तर्गत 3962 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु 40 हाजर रुपये प्रति विद्यालय की दर से 15,84,80,000/– रु की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है । उक्त राशि से जयपुर, बीकानेर एवं अजमेर मण्डल के 13 जिलों की 4581 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति शाला 10 हजार रुपये की दरी पट्टिया 20 हजार रु की स्टील फर्नीचर व 3 हजार रु का बाल साहित्य राज्य स्तरीय क्रय समिति के निर्णयानुसार राजकीय निगम, संघ, खादी बोर्ड अधिकृत संस्थाओं व भारत सरकार के प्रकाशकों के माध्यम से उक्त विद्यालयों को लाभान्वित करने हेतु क्रय कार्यवाही की गई है । लगभग 913.300 लाख रुपये की उपर्युक्त सामग्री विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है ।

(ब) शिक्षा कर्मी

सभी जिलो के दूरदराज के ऐसे दुर्गम स्थानो पर जहॉ सामान्य शिक्षा के विद्यालय खोलना एवं चलाना कठिन है, वहा शिक्षा कर्मी विद्यालयो की स्थापना कर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोडने हेतु शिक्षाकर्मी विद्यालय स्थापित किये गये है । प्रत्येक विद्यालय में एक पुरुष एवं एक महिला शिक्षाकर्मी अध्यापन हेतु नियुक्त किये जाते है । इनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है विद्यालय समय पश्चात यही शिक्षाकर्मी प्रहर पाठशालाएँ चलाते है जिनमें अनौपचारिक शिक्षण कार्य करवाया जाता है । अर्थात ऐसे बालक बालिकाओ को प्रहर पाठशालाओ मे पढाया जाता है जो विभिन्न कारणों से औपचारिक विद्यालयो में नहीं जा पाते है । ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को मार्गदर्शन देने तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु माह में एक बार पंचायत समिति में किसी भी स्थान पर बैठक का आयोजन किया जाता है ।

ऐसे विद्यालयों का संचालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शिक्षाकर्मी बोर्ड का गठन किया गया है जिसका केन्द्रीय कार्यालय जयपुर में है । प्रत्येक संभाग स्तर पर नियंत्रक अधिकारी पदस्थापित है । जिन जिन पंचायत समिति मे शिक्षाकर्मी विद्यालय चल रहे है उनके ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक समन्वयक का कार्य कर रहे है । पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ही नियंत्रक अधिकारी होते है । शिक्षा कर्मी विद्यालयों के निरीक्षण व मार्गदर्शन के लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षा कर्मी सहयोगी रहते है । जिले में वर्तमान में 119 शिक्षा कर्मी विद्यालय संचालित है

(स) लोक जुम्बिश

राजस्थान में लोक जुम्बिश प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य को लेकर जनसहभागिता एवं सामुदायिक प्रतिबद्धता के आधार लोक जुम्बिश परियोजना की शुरुआत सन 1992 से की गई जिसमें पाली जिले में शिक्षा के सार्वजनीनकरण के उदेश्य से लेकर सन 1994–95 में लोक जुम्बिश परियोजना की शुरुआत विकास खण्ड बाली से की गई जिसके अन्तर्गत वर्तमान समय में विकास खण्ड बाली का नामांकन 1995–96 से 2001–02 तक लगभग 65 प्रतिशत से बढकर 91 प्रतिशत हो गया । इसके उपरान्त सन 1995–96 में विकास खण्ड देसूरी में लोक जुम्बिश परियोजना स्वीकृत की गई । तदोपरान्त 1997–98 में विकास खण्ड पाली एवं रोहट में परियोजना कार्य प्रारंभ हुआ एवं 99–2000 मे पाली जिले के शेष 6 विकास खण्डो मे भी परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं दसो विकास खण्डों के पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक सम्बलन हेतु जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है ।

राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना आच्छादित क्षेत्रों का चरणानुसार नामांकन दर की स्थिति

नामांकन दर (2001–02)				
चरणानुसार	सत्र	छात्र	छात्राएँ	योग
प्रथम	1992	90.20	80.22	85.68
द्वितीय	1993	81.58	70.06	76.14
तीसरा	1994	75.47	61.78	73.98
चौथा	1995	79.31	64.72	72.32
पांचवा	1996	85.07	61.78	73.98
छठा	1997	79.75	62.24	70.67
	Total	**82.31**	**67.61**	**75.29**

सारणी 2.30 *स्त्रोत – लोक जुम्बिश परियोजना 10 वॉ प्रगति प्रतिवेदन*

राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना आच्छादित क्षेत्रों की सत्रानुसार नामांकन दर की स्थिति

सत्र	नामांकन दर		
	Boys	Girls	Total
1993-94	62.74	38.57	51.32
1994-95	64.50	38.24	52.52
1995-96	70.53	49.07	60.60
1996-97	72.45	54.60	64.18
1997-98	73.36	53.99	64.39
1998-99	75.63	57.24	67.08
1999-00	78.37	60.62	70.12
2000-01	80.65	64.51	73.16
2001-02	82.31	67.61	75.29

सारणी 2.31 *स्त्रोत – लोक जुम्बिश परियोजना 10 वॉ प्रगति प्रतिवेदन*

लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा शिक्षा से लोगो मे जन जागृति एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के उद्देश्य से समुदायिक भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरक दल, महिला समँह, ग्राम शिक्षा समिति आदि प्रकार की गांवाई समितियों का गठन कर उनको प्रशिक्षण का कार्य किया गया वर्तमान निम्न विवरणानुसारमें प्रेरक दल, महिला समूँह, ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

जिले के विकास खण्डों की प्रगति सूचना

लोक जुम्बिश गतिविधियों की प्रगति विवरण गतिविधि			बाली	पाली	रोहट	देसूरी	रानी	जैतारण	सोजत	सुमेरपुर	मा.ज.	रायपुर	योग
1		महिला विकास											
	1	प्रशिक्षित महिला समूह	164	36	67	83	11	30	20	33	66	44	554
	2	नियमित सदस्यों की संख्या	1311	322	972	1117	116	340	234	275	688	452	5827
2		वातावरण निर्माण											
	1	गांवों की संख्या जहाँ वा.नि.कार्य चल रहा है	64	96	95	91	60	99	88	57	157	118	1025
3		प्रेरक दल/ग्रा.शि.सं											
	1	गठित प्रे.द.की संख्या	71	51	48	53	29	44	39	33	80	55	503
	2	गठित ग्राम शिक्षा सं. की संख्या	93	21	42	38	0	0	0	5	0	0	199
	3	प्रे.द. में सदस्यों की संख्या	1048	1350	878	1002	445	521	298	422	956	667	7587
		पुरुष	607	816	448	501	248	334	252	249	547	397	4399
		महिला	441	534	430	501	197	187	46	173	409	270	3188
4		ग्रा.शि.स में सदस्यों की संख्या	1205	0	531	450	0	0	0	57	0	0	2243
		पुरुष	712	17	78	53	17	29	12	0	39	25	382
		महिला	493	0	226	204	0	0	0	27	0	0	950
4		शाला मानचित्रण की स्थिति											
	1	कुल राजस्व गांव की संख्या	89	81	79	77	88	101	116	68	143	109	951
	2	राजस्व गांवों की संख्या लो.जु. गतिविधियाचल रही है	89	0	79	77	31	0	72	0	0	0	348
	3	अब तक बने लो.जु. गांवों की संख्या	75	29	31	91	12	44	39	29	76	55	481
	4	लो.जु. गांवों की संख्या जहां शाला मानचित्रण पूर्ण हुआ है ।	75	68	90	91	6	36	24	27	54	43	514
	5	अभी आरम्भ नहीं हुआ	0	35	20	0	6	7	13	0	0	0	81
	6	चल रहा है	0	7	0	0	0	1	2	2	22	12	46
5		सहज शिक्षा नामांकन	2815	657	955	1003	438	1547	962	426	1185	1392	11473
6		शिक्षा मित्र नामांकन	931	229	–	45	277	487	484	516	1377	1151	5497

सारणी 2.32 स्त्रोत – जिला परियोजना कार्यालय प्रगति प्रतिवेदन – दिस 02

कामकाजी एवं मुख्यधारा से वंचित बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु संचालित सहज शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में सहज शिक्षा 456, शिक्षा मित्र केन्द्र 234 स्वीकृत किये जा चुके है। जिनमें 2181 बालक, 9289 बालिकाए नामांकित है एवं शिक्षा मित्र केन्द्रो पर 1092 बालक एवं 4405 बालिकाए नामांकित है ।

परियोजना द्वारा विद्यालयें को भौतिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यानुसार विद्यालयों में शिक्षण उपकरण प्रदान किये गए । साथ ही विद्यालयों में भौतिक स्वरुप के हेतु भवन विकास कार्यक्रमान्तर्गत 162.49 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर विद्यालयों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ।

परियोजना द्वारा निम्न विवरणानुसार भवन विकास कार्यक्रम की प्रगति रही –

क्र. स	कार्य	स्वीकृत कार्यो की सं.	स्वीकृत राशि
1	प्रा.वि. मरम्मत	28	162.49
2	उ.प्रा.वि मरम्मत	39	
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	35	
4	शौचालय	60	
5	रैम्प	50	
6	नये विद्यालय भवन 1. शिक्ष कर्मी 2. प्रा.वि 3. रा.गां.वि	10	
7	पेयजल सुविधा	50	
8	अन्य		

सारणी 2.33 *स्त्रोत – वार्षिक कार्ययोजना 02–03*

इसके अतिरिक्त बालिकाओं को शिक्षा से जोडने एवं कामकाजी बच्चों हेतु तीन बालिका शिक्षण शिविर बाली, पाली एवं देसूरी विकास खण्डों में आयोजित किये जा रहे है । जिनमें क्रमंश 125, 112 एवं 85 बालिकाएँ नांमांकित है । साथ ही एक चल विद्यालय जिला मुख्यालय पर संचालित किया जा रहा है जिसमें 185 बालक – बालिकाएँ नमांकित है।

(द) पोषाहार कार्यक्रम

नामांकन दर में वृद्धि तथा शिक्षा को संबल प्रदान करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम संचालित किया गया । पोषाहार कार्यक्रम का मूल प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीनकरण तथा विद्यालयों मे विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करना है । इस योजना द्वारा विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाकर उनको शारिरीक व मानसिक रुप से स्वस्थ्य बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसमें प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 100 ग्रम गेहूँ की 'घुघरी' तैयार कर मध्यान्तर में विद्यार्थियों को आवंटित की जाती है । इस सन्दर्भ में राज्य सरकार अब चावल वितरण की योजना बना रही है । इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिला मे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कि गई है । विद्यालय स्तर पर इस योजना को सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरपंच, वार्डपंच, महिला वार्डपंच, प्रधानाध्यापक, दो अभिभावक तथा ग्राम सेवक की समिति गठित की गई है ।

(य)महिला एवं बाल विकास

गाँवो मे आंगनवाडी केन्द्र स्थापित कर 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को पोषाहार वितरित करना, सामान्य ज्ञान प्रदान करना तथा गर्भवती महिलाओ को सुविधायें उपलब्ध करा कर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना इस परियोजना का मूल उद्देश्य है । सही अर्थ में यही योजना बच्चों के लिय शैक्षिक वातावरण निर्माण का कार्य करती है । साथ ही महिलाओं में जागरुकता लाने के लिए उन्हे विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करती है ।

प्रत्येक जिले में इसके जिला बाल विकास अधिकारी नियंत्रक अधिकारी के रुप मे कार्य करते है प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर सी.डी.पी.ओ. का पद सृजित है । सम्पूर्ण पंचायत समिति मे इस योजना का क्रियान्वयन सी.डी.पी.ओ. द्वारा किया जाता है ।

पाली जिले में वर्तमान में 721 आगनवाडियॉ आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित है जिनमें 12540 बालक बालिकाऍ पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे है एवं पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत पोषाहार प्राप्त कर रहे है ।

(र) राजीव गांधी पाठशाला

शिक्षा के सार्वजनीनकरण के अन्तर्गत जिले के दूरस्थ गांव एवं ढाणियों में 386 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई जिनमें 23 हजार 974 विद्यार्थी अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे है । इनमें 13483 छात्र एवं 10491 छात्राऐं नामांकित है ।

(ल) साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अभियान

पाली जिले मे मार्च 1994 से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का श्री गणेश हुआ जिसमें जिले के एक हजार गांव एवं ढाणियों में तथा 150 शहरी वार्डो में 30 हजार आखरदूतों द्वारा पठन– पाठन का कार्य शुरु किया गया । जिले में चले इस अभियान की विशेष उपलब्धि पर जिले को सत्येनमैत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । जिले मे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उत्तर साक्षरता वर्ष 1996 के सितम्बर माह से शुरु हुआ जिसमें जिले में 1253 जनचेतना केन्द्र शुरु कर नव साक्षरों को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से जोडा गया ।

पाली जिले में अब सतत् शिक्षा कार्यक्रम शुरु किया गया है । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 867 सतत् शिक्षा केन्द्र 124 नॉडल सतत् शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किए गए है । जो शुरु हो गये है । इन सतत् शिक्षा केन्द्रों से शेष छूटे निरक्षरों के पठन पाठन की भी व्यवस्था की जा रही है ।

2.13 शैक्षिक समुन्नयन के संस्थान

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अन्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करने हेतु विशेष निर्देश दिये गये है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिशंषाओं के आधार पर केन्द्र परिवर्तित योजनान्तर्गत राज्य के 32 जिलों में से 30 जिलो में डाइट की स्थापना की गई है । इसी व्यवस्था के प्रथम चरण में 1989 डाइट बगडी नगर खुली ।

यहाँ अपने प्रभावों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों में गुणवत्ता बढातें है । जिसके प्रमुख माध्यम प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं प्रदर्शन संगोष्ठियॉ आदि है । इसके अतिरिक्त शिक्षकों को नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिये जाते है। साथ ही मूल्यांकन तकनीक प्रश्न पत्र निर्माण शिक्षा के सार्वजनीनकरण शाला संगम, विद्यालयी योजना निर्माण शाला मानचित्रण एवं स्थानीय परिवेशगत सामग्री निर्माण से संबंधित शिविर भी आयोजित किये जाते है । यह शिविर 5 अथवा 3 दिवसीय होते । कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा संबंधित कार्य भी किया जाता है

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्न प्रभाग कार्य कर रहे है –

1. ***आई.एफ.आई.सी. प्रभाग*** : इस प्रभाग द्वारा सेवारत शिक्षकों के विषय आधारित प्रशिक्षण कराये जाते है । साथ ही एम.एल.एल आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन भी इसी प्रभाग द्वारा करवाये जाते है ।
2. ***शैक्षिक तकनीकी प्रभाग*** : इस प्रभाग द्वारा शैक्षिक तकनीकि संबंधी जानकारी दी जाती है । आकाशवाणी प्रसारण दूरस्थ शिक्षा, अल्प व्ययी सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण आदि से संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन इस प्रभाग द्वारा किया जाता है ।

3. *योजना एवं प्रबन्धन प्रभाग* : इस प्रभाग द्वारा संस्था प्रधानों, शिक्षा प्रसार अधिकारियों आदि के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है । विद्यालय में प्रभावी अनुश्रवण हेतु इस प्रभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाती है । इस प्रभाग द्वारा जिले में कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के आयोजन संबंधी कार्य भी किया जाता है ।

4. *कार्यरत अनुभव प्रभाग* : सेवारत शिक्षकों को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य संबंधी समस्त प्रशिक्षणों का आयोजन इसी प्रभाग द्वारा किया जाता है

5. *सी.एम.डी.ई* : पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन से संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन इस प्रभाग द्वारा किया जाता है । कक्षा 8 बोर्ड के प्रश्नपत्र निर्माण एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य इस प्रभाग द्वारा किये जाते है ।

6. *जिला संदर्भ ईकाई* : अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, सतत् शिक्षा से संबंधित समस्त प्रशिक्षणों का आयोजन इस प्रभाव द्वारा किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त पाली जिले में कुछ शैक्षणिक संस्थान जैसे मरुघर केसरी विद्यापीठ, विद्यावाडी खीमेल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान यथा – पोलोटेक्निक विद्यालय आई टी आई विद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे है ।

अध्याय – 3

समस्याएँ एवं मुद्दें

3.1 पृष्ठभूमि

यदि शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं प्रयासो का विश्लेषण करें तेा हम पाते है कि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में निःसन्देह काफी प्रगति हुई है । लेकिन यदि हम सब के लिए शिक्षा की बात करते हैं तो पाते हैं कि अभी भी बच्चों का एक बडा समूह जो कि लगभग 23 लाख हैं । अभी शिक्षा की पहुँच से बाहर हैं । और जिनको शिक्षा से जोड़े बिना सबके लिए शिक्षा की बात करना बेमानी हैं । इसके लिए सबसे पहले आवश्यक हैं कि हमें यह देखना चाहिए कि हमारे अनकों प्रयासों, प्रयत्नों के बावजूद भी यह संख्या क्यों शिक्षा से वंचित हैं ?

सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक समस्याओं के अलावा भी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान आवश्यक हैं ।नहीं तो क्या कारण हैं कि प्रारम्भिक स्तर पर लगभग सभी के नामांकन के पश्चात भी सभी की प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा तक पहुँच नही हो पाती हैं ? प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों समस्याओं में कुछ मुख्य निम्न प्रकार है :–

1. सर्वमान्य क्रमबद्ध आंकड़ो का अभाव
2. उपलब्धि स्तर में कमी
3. ठहराव में कमी
4. अपव्यय की समस्या
5. शिक्षा की गुणवत्ता स्तर में कमी
6. शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव
7. समुदाय की शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी का अभाव
8. विद्यालयों में भौतिक संसधानों का अभाव
9. उद्देश्यहीन शिक्षा पद्धति
10. बेरोजगारी की समस्या
11. अशिक्षा के कारण समाज में शिक्षा के प्रति लगाव की कमी ।

उपरोक्त समस्याओं में से भी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है सर्वमान्य एवं क्रमबद्ध आंकडो की कमी जिसके कारण बच्चे के नामांकन से लेकर प्राथमिक एवं प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करने सम्बधी सूचना का अभाव जिसके कारण यह पता लगाना असम्भव होता है कि नामांकित बच्चो में से कितनो ने प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूर्ण की एवं कितने किन कारणो से बीच में से शिक्षा की धारा से अलग हो गये यदि हम अपव्यय (Drop Out) के कारण शिक्षा से वंचित बच्चो समबन्धी आँकडो का विश्लेषण करे तो पाते हैं कि यह न सिर्फ हमारे अनेकों प्रयासेां की विफलता को प्रदर्शित करता हैं बल्कि सभी के प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण करने के लक्ष्य में भी बाधक है । क्योंकि यदि प्रारम्भिक नामांन्न में से 35 से 45 प्रतिशत यदि प्राथमिक स्तर तक, 45 से 55 प्रतिशत तक प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड दे तो सभी के प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना असम्भव हैं । इसी के साथ बालिका शिक्षा के क्षेत्र में इस समस्या के कारण सभी बालिकाओ को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूरी कराना असम्भव है । आंकडे बताते है कि विद्यालय छोडने वालो में 35 प्रतिशत बालक एवं 65 प्रतिशत बालिकायें होती हैं । जिनमे से पुनः विद्यालय या अन्य किसी शैक्षिक सुविधा से जुडने वालो मे लगभग 85 प्रतिशत बालक एवं 15 प्रतिशत ही बालिकायें होती है अर्थात् कहा जा सकता है कि एक बार शिक्षा से अलग होने वाली बालिकाओं मे से अधिकांश शिक्षा से पुनः नहीं जुड पाती है । यानी कि उनके भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने के सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं । जिसके कारण सभी के शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव प्रतीत होती है । इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि हमारा प्रयास इस दिशा में हो कि यह जानने का प्रयास किया जाये कि कितने एवं क्यों, बच्चे शिक्षा से वंचित हुये । एवं अब उनके लिए किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाये ताकि वे शिक्षा से पुनः जुड सके । इसके लिए आवश्यकता है कि एक सर्वमान्य, विश्वसनेय, वस्तुनिष्ठ, समयबद्ध एवं क्रमबद्ध सूचना तंत्र जिसमें बालक के जन्म से लेकर उसके प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने तक उससे शिक्षा सम्बन्धी समस्त सूचनाएँ निश्चित समय पर उपलब्ध हो जिसका हमारे वर्तमान समय के सर्वेक्षण एवं सूचना तंत्र में अभाव है ।

सरकार द्वारा घोषित सर्व शिक्षा अभियान (सबके लिए शिक्षा अभियान)

1. सन् 2003 तक सभी का नामांकन
2. सन् 2007 तक सभी को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा
3. सन् 2010 तक सभी को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा

उपर्युक्त लक्ष्यों की गहराई में जाने पर प्रतीत होता है कि सभी को 2010 तक प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूर्ण कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मात्र यह आवश्यक नहीं है कि हमारा नामांकन क्या है ? इसके लिए आवश्यकता है प्रारम्भिक शिक्षा के ढाँचे में आमूल परिवर्तन की। क्योंकि नामांकन के आंकडो के अध्ययन से पता चलता है कि नामांकन की उपलब्धि समस्या नहीं है असली समस्या है ठहराव एवं कक्षोन्नति दर की जो कि निम्नांकित सारणी से स्पष्ट हो जाती है–

6– 14 वर्ष के बालक / बालिकाओं का नामांकन (प्रतिशत में)

वर्ग	बालक	बालिका	कुल
सामान्य	124	75	109
अनुसूचित जाति	114	50	83
अनुसूचित जन जाति	116	50	84

सारणी 3.1 *चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे प्रतिवेदन*

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि नामांकन के क्षेत्र में बालिकाओं के नामांकन के लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है । जबकि असली समस्या इन बालक – बालिकाओं के ठहराव को लेकर है । इस सम्बन्ध में किए गये अध्ययनो से स्पष्ट होता है कि ठहराव का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उपलब्धि स्तर अच्छा है तो ठहराव अधिक होगा इसके लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी, रुचिकर तथा उपयोगी होना आवश्यक है जिसके लिए शिक्षा के आन्तरिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है । जहां पर बच्चे के मूल्यांकन के साथ साथ समस्त शैक्षिक व्यवस्था का मूल्यांकन भी किया जाता रहे ।

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अनेको संस्थायें, विभाग,परियोजनाएँ संचालित है । जिनके द्वारा समय समय पर शिक्षा से सम्बन्धित अनेकों सर्वेक्षण किये जाते रहे हैं परन्तु इन सर्वेक्षणों के परिणामों में एकरुपता,क्रमबद्धता का अभाव होने के साथ उक्त सर्वेक्षणों के अधिकांशतया मात्र नामांकन आधारित होने के कारण पूरी शैक्षिक व्यवस्था का आंकलन नहीं हो पाता है ।

यदि हम सभी बच्चो के प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की बात करते है तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक बालक के प्रारम्भ से उसके प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूरी करने तक की समस्त सूचनाएं एक निश्चित समय अवधि के अन्तर्गत उपलब्ध हो एवं सभी स्तरो पर उपलब्ध हो । साथ ही विश्वसनीय एवं यथार्थता इस सीमा तक सर्वमान्य हो, इसके लिए एक प्रभावी सूचना तंत्र की आवश्यकता है ।

3.2 सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन

समाज से वंचित वर्गो की आवश्यकताओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के उद्देश्य से लोक जुम्बिश द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन में पाया गया कि इन समूहो के लोग बच्चों को विद्यालय भेजनें में अक्षम क्यों है ? साथ ही भेजने के इच्छुक होते हुए भी शिक्षा से क्यों नहीं जोड पाते है ?

कुछ विशेष वर्गो के समाजिक नेताओं जो कि अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते थे, के विचारों का विश्लेषित करने पर पाया गया की वे अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते है परन्तु कुछ सामाजिक आर्थिक एवं सास्कृतिक कारणोवश बच्चा शिक्षा से नहीं जुड पाते उनके लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित क्षेत्र में उनकी सास्कृतिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा वे उन्हें नियमित शिक्षा से जोडना चाहते है । उनमें से कुछ समूह निम्नानुसार है : –

गमेती भील :– जिले मे निवास करने वाले गमेती भील के लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था होने पर शिक्षा से जोड सकते है ।

मीणा :– पाली जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग यथा – सुमेरपुर, बाली, देसूरी, मारवाड जं., पंचायत समितियों में इस जाति का बाहुल्य है । कुरीतियॉ, रुढ़िवादिता एवं अन्धविश्वासों से ग्रसित यह जाति आर्थिक एवं सामजिक दृष्टि से पिछडी हुई है । मीणा जाति में शैक्षिक वातावरण का भी पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ है इसके लिये विशेष प्रयत्न करना अपेक्षित है ।

गरासिया :– पाली जिले के अरावली श्रेणियों की उपत्यका में बसी गरासिया आदिवासियो की श्रेणी में है। शिक्षा के अभाव में इस जाति का सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास नहीं हो सका है इसके लिए विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक है । इस जाति के बच्चों के लिए छात्रावास, सुविधा सम्पन्न विद्यालय जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर एवं जन जागृति कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा से जोडा जाना सम्भव हो सकता है ।

चौधरी एवं देवासी :– यें दोनो की प्रजातियॉ पाली जिले की सभी पंचायत समितियों मे विद्यमान है जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछडी हुई है । चौधरी मूलतः खेतीहर लोग है जो बचपन से बच्चों को कृषि कार्य में लगा देते है । इसलिए शिक्षा का प्रर्याप्त प्रचार – प्रसार नहीं हो सका है । जन जागृति कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा से जोडा जाना सम्भव हो सकता है ।

देवासी जाति भेड–बकरी पालने का कार्य करती है यह खानाबदोशी है । भेड बकरियों के रेवड (समूँह) के साथ मालवा व उत्तरी भारत को चले जाते है । इससे बच्चों का विद्यालय में ठहराव संभव नहीं हो पाता है । एतदर्थ समाज कल्याण अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आवासीय छात्रावास की व्यवस्था वांछित है जिससे इस जाति के बच्चे समय पर शिक्षा ग्रहण कर सके एवं उनका ठहराव सुनिशिचित हो सके ।

3.3 अन्य समस्यायें एवं मुख्य मुद्दे :–

1. कम ठहराव
2. पलायन
3. विभागीय सीमाएँ
4. शैक्षिक प्रबन्ध और प्रशासनिक कारण
5. उद्देश्यहीन शिक्षा

3.3.1 कम ठहराव

प्रायः यह देखा जा रहा है कि पहली एवं दूसरी कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश तो ले लेते है, नामांकन हो जाता है किन्तु विद्यालय में अधिक समय तक अध्ययन से जुडे नही रह पाते है ।इसके लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और शासकीय विविध प्रकार के कारक उत्तरदायी है जैसे –

1. विद्यालयों में बच्चो की अधिक संख्या एवं संसाधनों का अभाव
2. विद्यालय का वातावरण, अनुशासन एवं रोचक शैक्षिक स्थिति का न होना
3. समाज मे शिक्षा के प्रति आकर्षण एवं रुचि का अभाव
4. प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उचित देखरेख के लिए महिला अध्यापिकाओं का न होना
5. अध्यापकों का विद्यार्थी के प्रति अपनत्व एवं प्रेम रहित व्यवहार ।
6. अल्पायु में ही गलत संगति (जो सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होती है ।)

यह समस्या सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली एक बहुत बडी बाधा है जिसके समाधान के बिना सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना सम्भव ही नही है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विद्यालय संस्कार उन्नयन के केन्द्र बने एवं भौतिक एवं जैविक संसाधनों से परिपूर्ण हो प्रत्येक बालक – बालिका को विद्यालय आने वाले परिवार के समतुल्य प्रतीत हो एवं उनके अभिभावकों को यह विश्वास हो कि उनका बालक शिक्षा के मन्दिर में प्रवेश कर रहा है उसकी अर्चना का पूरा होने से पहले उसे विद्या मन्दिर से बुलाना उचित नहीं है जो कि उसके भविष्य के लिए फलदायी है ।

3.3.2. पलायन

भिन्न भिन्न कारणों से जिले में अलग – अलग स्थितियों के कारण विद्यालयें से विद्यार्थियो का पलायन होता रहता है । पाली जिला इस कमजोरी से विशेष रुप से ग्रसित है । नामांकन, ठहराव एवं अपव्यय की स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन करने से हम पाते है कि जिले मे पलायन के प्रतिशत की स्थिति अधिक है जो चिंता का गम्भीर विषय है । जिले की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इसके कई कारण परिलक्षित होते है जैसे –

1. बाल्यकाल में बच्चों को कृषि एवं कुटीर उद्योगो से जुड जाना ।
2. जीविकोपार्जन के लिए अन्यत्र प्रस्थान कर जाना ।
3. छात्राओं का गृह कार्य में माता–पिता का हाथ बटाना ।
4. अध्यापको द्वारा विद्यार्थियो के प्रति अरुचि एवं कठोर व्यवहार
5. प्रभावी, रोचक एवं स्तरानुकूल पाठ्यक्रम का अभाव ।
6. बाल्योचित आकर्षक एवं सुविधा सम्पन्न विद्यालयों का अभाव ।

3.3.3. विभागीय सीमाएँ

शिक्षा विभाग द्वारा गठित शैक्षिक एवं प्रशासनिक ढांचा तथा शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की आवश्यकता, मांग एवं आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं होने से विद्यार्थियो में विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा नहीं हो पाता है । साथ ही यह भी देखने मे आ रहा है कि मनोवैज्ञानिक रुप से जिस प्रकार विद्यार्थियो को विद्यालयो से जोडा जाना चाहिए उनके लिए ऐसे सार्थक प्रयास भी नहीं किये जा रहे है जो अतिआवश्यक है । इसके बहुत से कारण परिलक्षित होते है –

1. बच्चों के वास स्थान से विद्यालयों का दूर होना ।
2. विद्यालय में पर्याप्त भवन एवं भौतिक संसाधनों का अभाव ।
3. पाठ्य सामग्री का न होना जिसके शिक्षण को रोचक बनाया जा सके ।
4. आवश्यकतानुसार अध्यापको की कमी ।
5. शिक्षकों में उत्तरदायित्व का न होना ।
6. रुचिकर पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता ।
7. भाषा की समस्या ।
8. समय समय पर नवाचारों का क्रियान्वयन न होना ।
9. अध्यापक छात्र अनुपात में विसंगति ।
10. अध्यापक के ऊपर अध्यापन के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक कार्यो की जिम्मेदारी का होना

इसके लिए आवश्यक है कि सम्पूर्ण शैक्षिक प्रबन्धन तंत्र एवं सम्बन्धित संस्थाओं की समक्षताओं का विकास किया जाये । साथ ही विद्यालयों का संचालन प्रभावी बनाने हेतु उनके भौतिक एवं जैविक संस्थापों की परिपूर्णता सुनिश्चित की जाए साथ ही शैक्षिक सम्बलन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाए ।

3.3.4. शैक्षिक प्रबन्ध और प्रशासनिक कारण

शिक्षा के प्रचार – प्रसार एवं प्रगति के लिए विविध प्रकार के प्रयास किये जा रहे है । औपचारिक विद्यालयो के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा कई ऐसी परियोजना भी चलाई जा रही है जो वातावारण निर्माण एवं शैक्षिक उन्नयन का कार्य कर रही है किन्तु पारस्परिक सामन्जस्य एवं सह सम्बन्ध के अभाव ने वे वांछित उद्देदश्य को प्राप्त नही कर पा रहे है , इसके लिए सार्थक प्रयास किया जाना आवश्यक है । प्रबन्धन की सीमाओं पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि वर्तमान में संचालित प्रबन्धन में कुछ कमियॉ है। जैसे –

1. विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अलग–अगल प्रबन्धन व निरीक्षकों का होना ।
2. राज्य मे संचालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों मे समन्वय का अभाव ।
3. अनुपयुक्त राजनैतिक हस्तक्षेप ।
4. समुचित अभिलेख संधारण न करना ।
5. विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओ के कार्यक्रमों का भिन्न – 2 होना ।

इस समस्या के निदान हेतु आवश्यक है कि शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया सामुदायिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक जबाबदेही , पारदर्शिता एवं विकेन्द्रीकरण आधारित हो ।

3.3.5 उद्देश्यहीन शिक्षा

वर्तमान शिक्षा पद्धति सैकडो वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा पद्धति का प्रतिबिम्ब है जो विद्यार्थियों को बाबूगिरी के स्वप्न ही दिखाती है । उन्हे सुयोग्य एवं कुशल व्यक्तित्व प्रदान नहीं करती जिससे वे सुयोग्य नागरिक बन सके और जीवन के धरातल पर सरलता से दौड सके । गांव हो या शहर बेरोजगारों की भीड अभिभावकों व विद्यार्थियों में निराशा को जन्म दे रही है और शिक्षा के प्रति आकर्षण को समाप्त कर रही है ।

3.4 वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोषो का निराकरण अतिआवश्यक है साथ ही शिक्षा को उद्देश्य परक बनाना भी आवश्यक है । इसके लिए रोजगारोन्मुख व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धित पाठ्यक्रम चलाने की आवश्यकता है ।

शैक्षिक न्यूनताएँ –

1. पाठ्यक्रम का स्तरहीन व अनुपयोगी होना ।
2. क्रमबद्ध एवं सह संबंध वाले पाठ्यक्रम का अभाव ।
3. नवाचार एवं नवीन तकनिकी का प्रयोग न किया जाना ।
4. सामान्य शिक्षा के साथ तकनिकी शिक्षा का समन्वय न होना ।
5. कम प्रतिशत में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियो को अग्रिम शिक्षा की अनुमति होना ।
6. परीक्षा पद्धति का दोष पूर्ण होना ।
7. शिक्षा में रोजगार परकंता का अभाव
8. शिक्षा के प्रति स्वस्थ्य एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव ।

जागृति की कमी :– जिले में विभिन्न बैठको के दौरान यह जानकारी में आया है कि लोग शिक्षा के फायदों से वाकिफ नहीं है तथा वे विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन है । वे सोचते है कि बालिकाओं की शिक्षा समय की बर्बादी और बेकार की मेहनत है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग कम उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर देते है तथा बालिकाओं को पराये घर की सम्पति समझ कर शिक्षा से वंचित रखते है ।

बाल श्रम एवं कामकाजी बालक :– माता –पिता की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अनेक बच्चे उनके पारिवारिक काम धन्धो एवं दुकानों छोटे उद्योग धन्धो आदि में काम करते है । जिले में सैकडो बालक – बालिकाएँ मजदूरी करते है । इसके अतिरिक्त अनेक बच्चे घरेलू कामकाज के कारण भी शिक्षा से वंचित है ।

पलायन :– गरीबी और बेरोजगारी के कारण अनेक परिवार आसपास के कस्बो और महानगरो में मजदूरी ईट, भट्टो पर कार्य, रिक्शा चालन, रंगाई, पुताई आदि के लिए पलायन कर जाते है । इनके साथ उनके बालक भी पलायन करते है । ऐसी स्थिति में ऐसे परिवारो के बच्चों शिक्षा से वंचित रह जाते है ।

निःशक्तता :– विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग बालक शिक्षा की मूल धारा से विलग है । शिक्षा दर्पण 2000 सर्वे के अनुसार 0.40 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी प्रकार की निशक्तता से पीडित है । इनमें से ओर्थोपेडिक, मानसिक, सुनने और बोलने की अशक्तता तथा दृष्टि संबन्धी अशक्तताओं से पीडित है । ऐसे बच्चों की संख्या 1863 है । इस प्रकार के बच्चों के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता है ।

इसके अलावा जिले की भौगोलिक स्थिति भी शिक्षा के प्रसार में एक बाधा है जिले की रोहट पचांयत समति का काफी भाग मरुस्थलीय है जबकि विकास खण्ड बाली,देसूरी,मारवाड जं, सोजत, रायपुर का लगभग 1/3 भाग पहाडी क्षेत्र है जिसमें अधिकाशतयां आदिवासी जनसंख्या निवास करती है जो कि शैक्षिक रुप से पिछडे होने के कारण शिक्षा की मूल धारा से पृथक है इन क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार– प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता है क्योकि पहाडी क्षेत्रों के एक गांव की आबादी लगभग 6 किलो मीटर की परिधि में छितरी हुई है जिसके कारण उनके लिए एक स्थान पर शैक्षिक सुविधा प्रदान की जानी औचित्यपूर्ण न होकर शिक्षा के अभाव का प्रदर्शन करता है ।

जिले की सामाजिक सरंचना पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है सन 2001 की जनगणना के अनुसार जिले मे महिला की संख्या प्रति हजार पुरुष 983 है जो कि सामाजिक सरंचना की दृष्टि से काफी उचित कही जा सकती है परन्तु जिले मे अन्य जिलो जैसे – जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुन्झुनु, सीकर आदि की तुलना में महिला साक्षरता दर 36.70 है जो कि पुरुष साक्षरता दर 73.06 की तुलना मे लगभग आधी है । यह साक्षरता दर समाज में महिलाओ की पिछडी स्थिति को प्रकट करती है एवं विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की संख्या पुरुष अध्यापकों की तुलना में अपेक्षित स्तर से काफी कम है जोकि बालिका शिक्षा मे कमी का एक बहुत बडा कारण है । अतः आवश्यक होगा कि महिला शिक्षिकाओ की नियुक्ति के साथ महिलाओ हेतु अन्य विभागो के साथ तालमेल कर Income Generating Programme चलाए जाए बालिका शिक्षा को बढावा देने की उद्देश्य से जनमानस को बालिकाओ हेतु शिक्षा की आवश्यकता की आवधारणा को प्रखर रुप से स्पष्ट किया जाए ।

पाली जिले में शिक्षा की पिछडेपन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण बौद्धिकता का पलायन भी है जिले की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या अपने व्यवसाय उद्यम आदि के सिलसिले मे राज्य से बाहर पलायन कर जाते है जिससे की उनकी बौद्धिकता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है ।

****

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान – एक परिचय

4. भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का समुदाय के सहयोग से सार्वजनीनकरण करने का एक प्रयास है। यह 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी सवैधानिक प्रतिबद्वता के अनुसरण में सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 में इस संकल्प की मुखर अभिव्यक्ति हुई है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में दिये गये महत्व के अनुसरण में कई योजनाएँ तथा कार्यक्रम आरम्भ किये गये जिनमें प्रमुखतः आपरेशन ब्लेक बोर्ड (OBB) अनौपचारिक शिक्षा महिला समस्या, गुरुमित्र योजना, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएँ जैसे बिहार शिक्षा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, उत्तर प्रदेश मे सभी के लिये शिक्षा परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम आदि सम्मिलित है ।

प्रत्येक बालक बालिका को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय तथा समानता अपने आप में ही एक ठोस तर्क है । यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा का मानव कल्याण विशेषकर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर, बच्चो का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है । अध्ययनों से ज्ञात होता है कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका अदा करती है ।

4.1 सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण का समयबद्व कार्यक्रम है ।
- पूरे देश में गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा
- प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय को बढावा देने का एक अवसर
- पंचायतीराज संस्थाओं, शाला प्रबन्धन समितियों ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तियों की शिक्षा समितियों, छात्र अभिभावक परिषद, मातृ अभिभावक परिषद, जनजातिय स्वायत परिषदो तथा अन्य संस्थानों का विद्यालय प्रबन्धन में एक प्रयास
- केन्द्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहयोग
- राज्य को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर

प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रुप में सर्वसुलभ बनाए जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओ की तैयारी पर बल देकर समग्र एवं संकेद्रित दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रुप में प्रारंभिक शिक्षा कैसे वे सुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए । इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का सम्र्थन किया और प्ररंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को मिशन के रुप में प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की ।

4.2 सर्वशिक्षा अभियान क्यो ?

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है परन्तु फिर भी 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड बच्चो में से 5–9 करोड बच्चे स्कूल नहीं जा रहे है । इनमे 3,5 करोड लडकियॉ तथा 2–4 करोड लडके है । ये समस्याए पढाई बीच में छोडने की दर अधिगम उपलब्धि का न्यून स्तर और लडकियों जनजातियो और अन्य वंचित वर्गो की कम सहभागिता से संबंधित है । अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तियॉ है जहॉ एक किलोमीटर के दायरे मे विद्यालयी सुविधाऍ नहीं है । इसके साथ ही विद्यालयों को अपर्याप्त बुनियादी ढॉचा विद्यालयों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता, शिक्षक रिक्तयों की अधिक संख्या शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियॉ जैसे विभिन्न संबद्ध करण भी है । सार में देश को अभी भी प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण(UEE) के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्य है सभी बस्तियों में विद्यालयी सुविधाए प्रदान कर के शतप्रतिशत नामांकन तथा बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना इसी अन्तर को पूरा करने के लिय सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया है ।

4.3 सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

- सभी बच्चों के लिये 2003 विद्यालयी शिक्षा की गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय ''बैक स्कूल'' शिविर की उपलब्धता
- सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पॉच वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करे ।
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी कर ले ।
- गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो पर बल देना
- जेण्डर असमानता तथा सामाजिक वर्ग – भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना । वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में ठहराव मे सुनिश्चित करना ।

4.4 सर्वशिक्षा अभियान के सिद्धान्त एवं नीतियॉ

1. सम्पूर्ण प्रारम्भिक तन्त्र में सुधार
2. सामुदायिक प्रतिबद्धता
3. अनवरत वित्तीय प्रवाह
4. संस्थाओं की क्षमताओं का विकास
5. शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य धारा का विकास
6. सामुदायिक पर्यवेक्षण
7. पारदर्शी एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था
8. वासस्थान आधारित शैक्षिक नियोजन
9. सामुदायिक उत्तरदायित्व एवं जबाबदेही
10. बालिका शिक्षा को प्राथमिकता
11. शिक्षा की गुणवत्ता हेतु प्रयास
12. शिक्षकों के स्तर भूमिका एवं जवाबदेही में परिवर्तन
13. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र का विकास
14. विशिष्ट फोकस समूहों की पहचान एवं निदान
15. अभियान पूर्व कार्य योजना
16. शिक्षा का प्रचार– प्रसार
17. विभिन्न स्तरीय मूल्यांकन
18. जिला स्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा शैक्षिक कार्ययोजना का निर्माण

4.5 सर्वशिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण मानदण्ड एव नियम

क्षेत्र	मानदण्ड
शिक्षक	➢ छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 की सुनिश्चितता ➢ प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों का प्रावधान ➢ उ.प्रा. विद्यालयों में प्रत्येक कक्षाओं के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति
विद्यालय /वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की उपलब्धा	➢ एक किलोमीटर के अन्दर
उ.प्रा. वि. की उपलब्धता	➢ प्रा. एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुपात 2:1 की सुनिश्चिता
कक्षा कक्ष	➢ प्रत्येक शिक्षक एवं प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा – कक्ष में से जो कम हो हेतु कक्षा कक्षों की उपलब्धता ➢ प्रधानाध्यापक हेतु पृथक कार्यालय कक्ष की उपलब्धता
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	➢ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बालक बालिकाओं को प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति बालक बालिकाओं एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता वित्तीय प्रावधान रुपये 150/– बालक – बालिका ।
सिविल कार्य	➢ सम्पूर्ण अभियानान्तर्गत वित्तीय प्रावधानों में से 33 प्रतिशत की सीमा तक सिविल कार्यो पर व्यय 5000/– की सीमा तक प्रति विद्यालय प्रति वर्ष मरम्मत एवं विद्यालय देख भाल पर खर्च ।
शिक्षा गारण्टी विद्यालयों का प्राथमिक विद्यालय मे परिवर्तन	➢ 40 प्रतिशत (2003–2004) ➢ 20 प्रतिशत (2004–2005) ➢ 20 प्रतिशत (2005– 2006) ➢ 20 प्रतिशत (2006– 2007) ➢ समस्त शिक्षा कर्मी विद्यालय 2005–2006
शैक्षिक उपकरण	➢ नये विद्यालयों को 50 हजार रुपये का प्रति विद्यालय का वित्तीय प्रावधान
विद्यालय अनुदान राशि	➢ 2000/– प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष
शिक्षक अनुदान राशि	➢ 500/– रुपये प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष
शिक्षक प्रशिक्षण	➢ 20 दिवसीय प्रशिक्षण समस्त शिक्षकों हेतु

	➢ 60 दिवसीय अभिनवन प्रशिक्षण अप्रशिक्षित अध्यापकों हेतु । ➢ 30 दिवसीय नव नियुक्त अध्यापकों हेतु । ➢ वित्तीय प्रावधान रु 70/– प्रति अध्यापक प्रतिदिन
राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान	➢ 3 करोड रुपये सहायता राशि के रुप मे उपलब्ध कराना ।
सामुदायिक प्रतिनिधि प्रशिक्षण	➢ 2 दिवसीय ➢ वित्तीय प्रावधान 30/– प्रति व्यक्ति प्रति दिन
विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान	➢ रुपये 1200/– प्रति बालक प्रति वर्ष
अनुसंधान मूल्यांकन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण	➢ रुपये 1500/– प्रति विद्यालय प्रति वर्ष जिसमें से 100/– केन्द्र स्तर पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।
प्रबन्धन व्यय	➢ सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत सम्पूर्ण अभियान की व्यय राशि में से अधिकतमक 6 प्रतिशत
नवाचार	➢ अधिकतम रुपये 15 लाख (15,00,000) प्रति कार्यक्रम ➢ अधिकतम 50,00,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति जिला
खण्ड स्तरीय एवं संकुल स्तरीय भवन निर्माण	➢ भवन निर्माण:– विकास खण्ड स्तरीय भवन अधिकतम 6 लाख ➢ भवन निर्माण :– संकुल स्तरीय भवन 2 लाख रुपये एक मुश्त ➢ फर्नीचर :– खण्ड स्तरीय 1 लाख रुपये ➢ फर्नीचर :– संकुल स्तरीय 10 हजार रुपये ➢ शिक्षण अधिगम सामग्री खण्ड स्तरीय 5 हजार रुपये ➢ शिक्षण अधिगम सामग्री संकुल स्तरीय 1 हजार रुपये
कन्टीजेन्सी व्यय (आकस्मिक)	➢ खण्ड स्तरीय :– 12,500/– प्रति वर्ष ➢ संकुल स्तरीय :– 2,500/– प्रति वर्ष

अध्याय – 5

रणनीतियॉ एवं गतिविधियॉ

Hkwfedk &

प्राथमिक षिक्षा के संदर्भ में नई षिक्षा नीति 1986 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निषुल्क एवं अनिवार्य व गुणवत्ता पूर्वक षिक्षा का प्रावधान है । पाली जिले का क्षैत्र विस्तृत होने के कारण प्रत्येक गांव में विधालय सुविधा तथा विधालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिष्चित करने हेतु विषिष्ठ व्यूह रचना की आवष्यकता है । जो कार्यक्रम लोक जुम्बिष परियोजना द्वारा चलाये जा रहे है उनका सम्मेलन कर सर्व षिक्षा अभियान में अधिक तथ्यात्मक कार्यनीति बनाई जायेगी । सर्वप्रथम प्रत्येक 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को विधालय सुविधा सुलभ हो यह सुनिष्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देष्य है । अतः प्राथमिक विधालयों का खोलना व उन्हे उच्च प्राथमिक विधालयों में क्रमोन्नत करना होगा । इसके अतिरिक्त षिक्षा गारन्टी योजना , सहज षिक्षा कार्यक्रम व अन्य नवाचारी कार्यक्रमों के द्वारा समस्त षिक्षा से वंचित बच्चो को षिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा जो जुड़े गये है वे अपनी प्रारम्भिक षिक्षा पूर्ण करें यह सुनिष्चित करना भी एक घ्येय है । साथ ही षिक्षा को व्यवसाय परक व समुदाय की भागीदारी लेना भी एक लक्ष्य है ।

सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्वशिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है क्योंकि आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता प्राथमिक शिक्षा है । लोक जुम्बिश परियोजना ने इस अभियान हेतु ग्राम स्तर, प्रेरक दल, ग्रम शिक्षा समिति (VEC) विद्यालयों के प्रधानध्यापकों, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, लोक जुम्बिश के संकुल स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कार्मिको के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण हेतु चर्चा की गई । साथ ही प्रारंभिक शिक्षा से जुडी विभिन्न समस्याओं , सुविधाओं की सुलभता विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण सुधार से जुडे मुद्दो जिनमें पहुँच नामांकन ठहराव गुणवत्ता सुधार पर चर्चा की गई लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा शाला मानचित्रण सूक्ष्म नियोजन, प्रेरक दल द्वारा संकुल कार्मिको के सहयोग से किया गया । उक्त प्रयासो से यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण को अभियान के रुप में चलाया जावे, साथ ही इस क्षेत्र से जुडी समस्त योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जावे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इस योजना की प्रक्रिया को मूर्त रुप दिया जावे इसके लिये योजना को व्यवहारिक रुप दिया जाना आवश्यक समझा गया ताकि ग्रम पंचायत के प्रत्येक गांव, गावं के प्रत्येक घर तक प्रारंभिक शिक्षा को पहुँचाया जा सके । सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का वातावरण को आनन्ददायी बनाया जावे । जहॉ बालक में रुचि लेकर पूर्ण शिक्षा

प्राप्त कर सके, बच्चा विद्यालय में हँसता हुआ आये और आनन्ददायी वातावरण में पढे तथा जीवनोपयोगी शिक्षा के द्वारा सफल नागरिक बन सके । अभिभावको की सरकारी विद्यालयों के प्रति सोच बदले । बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन एंव उनका ठहराव सुनिश्चित हो इसी कारण योजना का निर्माण का स्वरुप व्यापक रखा गया ।

5.1. **जिला आयोजना दल का गठन** :– जिले में योजना के स्वरुप को व्यापक बनाने हेतु जिले स्तर से ग्राम स्तर तक सहभागिता सुनिशिचित करने के लिये जिले पर जिला योजना समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा ।

जिला आयोजना समिति

5.1.2 **योजना प्रेरक दल का गठन** :– शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं प्रभावी योजना क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें शिक्षा से जुडे व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया

5.1.3 **जिला शिक्षा समिति (DEC)** :–जिला स्तर पर जिला शिक्षा समिति का गठन किया जायेगा जिनमें निम्न सदस्य होगो । । जिला शिक्षा समिति (DEC)

जिला आयोजना समिति

1. जिला प्रमुख	अध्यक्ष
2. जिलाधीश	उपाध्यक्ष
3. जिले से सम्बन्धित (एम.पी)	सदस्य
4. जिल से सम्बन्धित विधायक	सदस्य
5. जिले के समस्त प्रधान	सदस्य
6. जिले के समस्त बी.ई.ई.ओ	सदस्य
7. जिले के समस्त सी.डी.पी.ओ	सदस्य
8. उप निदेशक (प्रा.शि)	सदस्य
9. उप निदेशक (मा.शि.)	सदस्य
10. प्रधानाचार्य (डाइट)	सदस्य
11. जि.शि.अधि. (प्रा.शि)	सदस्य
12. जि.शि.अधि (मा.शि)	सदस्य
13 उप निदेशक (आईसीडीएस)	सदस्य
14. सचिव (जेडएसएस)	सदस्य
15. अधिशासी अभियन्ता पी.डब्ल्यूडी	सदस्य
16. सी.एम.एच.ओ	सदस्य
17. समन्वयक एन.वाई.के	सदस्य
18. जनसर्म्पक अधिकारी	सदस्य
19. निदेशक डी.डब्ल्यू.डी.ए	सदस्य
20. शिक्षाविद	सदस्य
21. अनु. शिक्षण संस्थान	सदस्य
22. जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य (सचिव)
23. जिले के समस्त परियोजना अधिकारी लोक जुम्बिश परियोजना	सदस्य

जिला शिक्षा समिति

1. प्राचार्य (डाइट)	संयोजक
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि)	सदस्य
3. अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि)	सदस्य
4. वरिष्ठ व्याख्याता डाइट	सदस्य
5. वरिष्ठ व्याख्याता	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी	सदस्य
7. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
8. सहायक परियोजना समन्वयक (औ.शि)	सदस्य
9. जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

5.1.4 ब्लॉक शिक्षा समिति (BEC) :– ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति का गठन किया गया जिनमें निम्न सदस्य होगें ।

ब्लॉक शिक्षा समिति (BEC)

1. प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
2. सरपंच (पुरुष)	सदस्य
3. सरपंच (दो महिला)	सदस्य
4. जिला परिषद सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
5. पंचायत समिति सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
6. शिक्षा विद्	सदस्य
7. अल्पसंख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
8. उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
10. चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
11. प्रचेता	सदस्य
12. शिक्षा प्रसार अधिकारी	सदस्य
13. अतिरिक्त विकास अधिकारी	सदस्य
14. परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव

5.1.5 ग्राम शिक्षा समिति(VEC) :– चूँकि प्रत्येक ग्राम स्तर पर ही शिक्षा का सार्वजननीकरण किया जाना है जिसमें ग्राम स्तर पर विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं हल एवं विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने व शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन निम्नानुसार किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समिति(**VEC**)

1. सरपंच/ वार्ड पंच	अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
3. अनुसूचित जन जाति प्रतिनिधि	सदस्य
4. अल्पसंख्यक/ओ.बी.सी. प्रतिनिधि	सदस्य
5. महिला एक्टीविस्ट	सदस्य
6. आंगनवाडी कार्यकर्ता	सदस्य
7. सेवानिवृत शिक्षक/कार्मिक	सदस्य
8. यूथ क्लब प्रतिनिधि	सदस्य
9. अभिभावक पुरुष	सदस्य
10. अभिभावक महिला	सदस्य
11. संकुल प्रभारी	सदस्य
12. प्रधानाध्यापक (सम्बन्धित विद्यालय)	सदस्य सचिव

5.2 **बैठकों का आयोजन** :– ग्राम स्तर से ब्लॉक एवं जिला स्तर तक सर्वशिक्षा अभियान को नूर्त रुप देने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों, संकुल कार्यालय , ब्लॉक शिक्षा समितियों, खण्ड परिचालन दल एवं जिला स्तर पर बैठको का आयोजन किया गया जाना था । जिसके अन्तर्गत दिनांक 22.01.03 को खण्ड परिचालन दल पर दिनांक 25.01.03 को जिला परियोजना कार्यालय एवं दिनांक 26.01.03 को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभाओं में शिक्षा से जुडी समस्याओं और मुद्दो पर चर्चा हुई इनका विवरण निम्नानुसार है ।

बैठकों में उन सभी समस्याओं एवं मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया इनमें मुख्यतः भौतिक सुविधा, अकादमिक सुविधा, शैक्षिक सुविधाएँ, पहुँच नामांकन ठहराव गुणवत्ता तथा संस्थागत समस्याऐ थी जो निम्नानुसार है :–

भौतिक :– विद्यालयों में भवन कक्षा कक्ष, पीने के पानी का अभाव, शौचालय अपूर्ण एवं असुरक्षित भवन जीर्णशीर्ण भवन चार दीवारी विद्यालय तक पहुँचने के लिये मार्ग एवं अस्वच्छ वातावरण बच्चों के बैठने के लिये फर्नीचर, दरी पट्टी खेलकूद के मैदान एवं खेल कूद सामग्री का अभाव प्रमुख है ।

शैक्षिक संसाधन :– शैक्षिक संसाधनो मे मुख्य रुप से छात्र संख्या के अनुरुप शिक्षकों का अभाव, अध्यापको की निरन्तर उपस्थिति, पुस्तकों का अभाव, शैक्षिक साधन जैसे श्याम पट्ट चॉक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) का अभाव आदि है ।

शैक्षिक वातावरण :– विद्यालय वातावरण का नीरस होना जिसमें बच्चा अपने आपको समायोजित नही कर पाता आनन्ददायी शिक्षा, विभिन्न नवाचारों के प्रयोग का अभाव साथ ही विद्यालय में ठहराव, शैक्षिक स्तर न्यूनतम अधिगम तक नहीं होना एवं समस्या है इसी प्रकार की अनेकों समस्याओं का इन बैठको में इंगित किया गया। इन सभी का निराकरण करने के लिये योजना के निर्माण की आवश्यकता जताई गई साथ ही इन की पूर्ति की आशा " सर्व शिक्षा अभियान " के तहत पूर्ण करने की बात उठाई गई ।

5.3 परिवारवार सर्वे

जिले में शिक्षा की स्थिति के आकलन के लिये वर्ष 2000 में " शिक्षा दपर्ण सर्वे 2000" किया गया । राज्य में विद्यालय जाने योग्य प्रत्येक बालक/बालिका विद्यालय से जुड सके व समस्त शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उसे मिल सके इस लिये राज्य सरकार ने "शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम का 19 नवम्बर 2001 को शुभारम्भ किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाली जिले के समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं का सर्वे किया गया तथा शिक्षा दर्पण 2000 सर्वे को आदिनांक किया गया। शिक्षा दर्पण 2002 के अनुसार अप्रेल 2002 में पाली जिले ग्रामीण क्षेत्र में 7989 बालक तथा 22854 बालिकाओं सहित कुल 30840 बच्चे शिक्षा से वंचित थे इन अनामांकित बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी परियोजना अधिकारी, लोक जुम्बिश परियोजना, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आदि द्वारा किया गया इन बच्चों को विद्यालय से जोडने के लिये सामुदायिक गातिशीलता के साथ ही बाल मेलो, कला जत्थों का आयोजन लोक जुम्बिश परियोजना एवं जिला साक्षरता समिति द्वारा किया गया ।

5.4 शैक्षिक प्रबन्ध सूचनातन्त्र

विद्यालयों में बालको के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित सूचना को शैक्षिक प्रबन्ध सूचना तन्त्र द्वारा एकत्रीकरण किया गया जिनमें शिक्षा से वंचित प्रत्येक बच्चे को विद्यालय भेजने हेतु जिम्मेदारी को तय करना एवं नामांकन से सम्बन्धित आकडो को एकत्रित किया जाता है । जो कि विद्यालय से संकुल, संकुल से ब्लॉक एवं ब्लॉक से जिला स्तर पर समेकित किये जाते है ।

सर्व शिक्षा अभियान की योजना एवं रणनीतिया निम्न बिन्दुओं के आधार पर तैयार की जायेगी :–

1. पहुँच एवं ठहराव

2. गुणवत्ता

3. विशिष्ट /फोकस ग्रुप

4. नवाचार

5.1 पहुँच एवं ठहराव :–

जिले में शिक्षा से वंचित 2285 बालिकाएँ है जिन्हे शाला से जोडा जाना प्रस्तावित है । इन बालिकाओं में अधिकाशतः 11–14 वर्ष आयुवर्ग की है, जिन्हे शिक्षा से जोडे जाने के लिए आवश्यक है कि उनके निवास के निकट उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध हो जाए । पाली जिले में बाली तथा रायपुर ब्लॉक पहाडी क्षेत्र है । अतः इन ब्लॉक में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा का विस्तार किया जाना अपेक्षित है । मारवाड जंक्शन ब्लॉक भौगोलिक क्षेत्रफल में विशाल है, रोहट ब्लॉक में मरुस्थल का कुछ भाग शामिल है । अतः इनमें भी उक्त सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है ।

5.1..2 पहुँच दर

पाली जिले में सकल पहुंच दर 80.85 प्रतिषत है ।

वासस्थान की संख्या	प्राथमिक विद्यालय की सं	सकल पहुँच दर
1442	1166	80.85

सारणी – 1

5.1..3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए जिले ने उच्च मानदण्ड स्थापित किये है । 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है । प्रत्येक बालक – बालिका की पहुँच मे विद्यालय स्थित है । जहाँ यह स्थिति नहीं थी, वहां लोक जुम्बिश एवं शिक्षा विभाग द्वारा इसकी आपूर्ति की गई है । किन्तु उच्च प्राथमिक क्षेत्र में स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती । ब्लॉकों में बालक – बालिकाओं की पहुँच से दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है, किन्तु उनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय के मानदण्ड भी पूरे नहीं हो रहे है सर्व शिक्षा अभियान के दौरान इस कमी को पूरा किया जायेगा । यदि 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया जायेगा । प्रथम वर्ष कुल 32 प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेगे । द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष 41, चतुर्थ वर्ष 26 एवं पंचम वर्ष में 65 एवं छठे वर्ष में 26 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा । प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय को 50,000 रुपये की शैक्षिक उपकरणो के हेतु राशि प्रदान की जायेगी तथा तीन कक्षाकक्षों का निर्माण कराया जायेगा । इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में एक प्रधानाध्यापक एवं एक अध्यापक दूसरे वर्ष में दूसरा अध्यापक इस क्रम में प्रति वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यायल में प्रधानाध्यापक सहित छः अध्यापको का प्रावधान किया जायेगा ।

प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन

वर्ष	क्रमोन्नत विद्यालय संख्या	वि.वि
2002–2003	32	
2003–2004	–	
2004–2005	41	
2005–2006	26	
2006–2007	65	
2007–2008	26	
2008–2009	–	
2009–2010	–	

सारणी 2

सर्वशिक्षा अभियान की निर्धारित योजनानुसार सत्र 2009–10 तक विभिन्न स्तर (राजीव गांधी स्वर्ण जंयती पाठशालाओं एवं शिक्षाकर्मी) विद्यालयों को प्रतिवर्ष प्राथमिक विद्यालय में रुपान्तरित किया जाना है तदनुसार वंचित अध्यापकों / शिक्षा सहयोगियों एवं राशि का वार्षिक निर्धारण किया जाना है

पाली जिले में सत्र 2003–04 में 155 रा.गा.पा. को प्राथमिक विद्यालयों में बदलने का प्रस्ताव है एतदर्थ 155 अध्यापक व 620 शिक्षा सहयोगियों की आवश्यकता होगी ।

सत्र 2004–05 में 41 , 77 रा.गा. पाठ. को प्राथमिक विद्यालय में बदलना प्रस्तावित है । प्राथमिक विद्यालयों के लिए 77 अध्यापक तथा 308 शिक्षा सहयोगी वांछित होगे ।

आगामी वर्ष 2005 – 06 में साथ ही 77 रा.गा.पाठ. को प्राथमिक विद्यालयों एवं 119 शिक्षा कर्मी विद्यालयों को बदलने का प्रावधान है आलोच्य सत्र में कुल 196 रा.गा.पाठ. एवं शिक्षा कर्मी विद्यालयों को परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है । इस प्रक्रिया के लिए इसी प्रकार प्रा.वि के लिंए 206 अध्यापक तथा 824 शिक्षा सहयोगियो की आवश्यकता होगी ।

सत्र 2006–07 में 77 रा.गा.पाठ. को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाना अपेक्षित है । निर्धारित प्रावधान के अनुसार प्रा.वि. के लिए 77 अध्यापक तथा 308 शिक्षा सहयोगी प्रस्तावित है ।

इस प्रकार क्रमोन्नति एवं बदलाव प्रक्रिया 2:1 में सम्पन्न होना प्रस्तावित है ।

वर्गानुसार क्रमोन्नति प्रस्ताव

वर्ष	प्रा.वि	उ.प्रा. वि	रा.गा. पा/शि. गा. यो.	शि.क. वि	क्रमोन्नत		प्रा. वि.	उ.प्रा. वि	रा. गा.पा	शि.क. वि
					उ.प्रा. वि	प्रा.वि				
2002–03	898	417	386	119	32	–	866	449	386	119
2003–04	866	449	386	119	–	155	1021	449	231	119
2004–05	1021	449	231	119	41	77	1057	490	154	119
2005–06	1057	490	154	119	26	196	1227	516	77	–
2006–07	1227	516	77	–	65	77	1239	581	–	–
2007–08	1239	581	–	–	26	–	1213	607	–	
2008–09	1213	607	–	–			1225	607	–	–
2009–10										

सारणी 3

5..1.4 राजीव गांधी पाठशालाओं का **प्राथमिक** विद्यालय में रुपान्तरण

वर्ष	राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में रुपान्तरण हेतु मापदण्ड	रुपान्तत्रित विद्यालयो की संख्या
2002–2003		
2003–2004	40 प्रतिशत	155
2004–2005	20 प्रतिशत	77
2005–2006	20 प्रतिशत	77 + 119 (शिक्षा कर्मी विद्यालय)
2006–2007	20 प्रतिशत	77
2007–2008		
2008–2009		
2009–2010		
	योग	505

सारणी 4

5.1.5 षिक्षा गारन्टी विद्यालय (EGS) खोलना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों को आवष्यक रूप से प्रारम्भिक षिक्षा दी जावे अतः सर्व षिक्षा अभियान में षिक्षा के सार्वजनीनकरण में निर्धारित समय बद्व कार्यक्रम को पूरा किया जाये । षिक्षा गारन्टी स्कूल खोलने के लिए ऐसे वंचित व छोटे आवासीय गांव या ढाणी आदि में घर घर सर्वे उपरान्त 6–14 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले कम से कम 15 बच्चे मौजूद हों एवं उनके निवास स्थान से 1 किमी परिधी में कोई विद्यालय नहीं हो ।

- ❖ सभी बच्चे 2003 तक विद्यालयों , षिक्षा गारन्टी स्कूल EGS, वैकल्पिक षिक्षा या Back to School में प्रवेष दिलाया जाये ।
- ❖ सभी बच्चे 2007 तक प्राथमिक षिक्षा पूरी करें ।
- ❖ सभी बच्चे 2010 तक प्राथमिक षिक्षा पूर्ण करें ।

EGS में 6–14 आयु वर्ग के बालकों को व अक्षमतायुक्त बालकों को 18 वर्ष तक षिक्षा देने का प्रावधान है । EGS का आधार सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चें के लिए सार्वजनीकरण की व्यवस्था करना है । जिले में 6–14 वर्ष के प्रत्येक बालक का नामांकन होना चाहिए ।

EGS को सर्व षिक्षा अभियान में एक अभिन्न अंग के रूप में चलाया जायेगा जो जिले में लोक जुम्बिष परियोजना के तहत विद्यालय सुधार , बच्चों को प्रोत्साहन , अध्यापकों की पूर्ति , प्रचलित विद्यालयों में गुणात्मक सुधार , वंचित बच्चों का प्रवेष इनका उद्देष्य होटलों में कार्य करने वाले , घुमन्तू , गलियों के बच्चों के लिये षिक्षा व्यवस्था है । यह केन्द्र वहां खोले जायेगें जहां एक किमी तक कोई विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं हो ।

5.1..5.1 व्यूह रचना :–

- विद्यालयविहीन बस्तियों में EGS स्कूल खोलना ।
- बिज्र कोर्स को वापिस विद्यालय से जोड़ना ।
- स्कूल से न जुडने वाले बच्चों के लिए विषेष प्रयास ।

5.1.5.2 समुदायकी भागीदारी :– समुदाय की भागीदारी EGS में होगी । समुदाय की भागीदारी षिक्षक अभिभावक परिषद , मातृ अध्यापक परिषद , ग्राम षिक्षा समिति द्वारा की जायेगी । EGS का संचालन समुदाय द्वारा बच्चों के अभिभावकों द्वारा होगा ।

5.1.5.3. क्रियान्वयन के चरण :–

- सूक्ष्म नियोजन / घर घर सर्वेक्षण
- योजना बनाना तथा EGS का स्थान सूक्ष्म योजना के अधार पर करना ।
- अधिगम केन्द्र के लिए पानी, रोषनी व स्थान देना ।
- केन्द्र का समय निर्धारण
- प्रतिदिन की देखभाल निगरानी
- अभिभावकों का प्रेरण
- अध्यापक को मानदेय देना
- षिक्षण सहायक सामग्री खरीदना

5.1.5.4 स्वयं सेवी का चयन :– स्वयं सेवक स्थानीय समुदाय से चयन होगा । स्वयं सेवक 18 वर्ष का व 10 वी पास हो । महिला कम षिक्षित भी चयन हो सकती है ।

5.1.5.5. शिक्षार्थी :– शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत ये सभी 6–14 आयु वर्ग के बालक जो विद्यालय कभी गये ही न हों इन विद्यालयों में औपचारिक पाठ्यक्रम ही लागू होगा ।

5.1.5.6 प्रशिक्षण :– शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत इन अध्यापकों का 30 दिन प्राथमिक विधालय तथा 40 दिन उच्च प्राथमिक विधालय को आवासीय प्रषिक्षण दिया जायेगा । विद्यालय 4 घण्टे तक चलेगें उनका समय निर्धारण अवष्य करना होगा ।

5.1.5.7 लागत :– शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के लिए 845 रुपये प्रति बालक – प्रतिवर्ष व्यय किये जायेंगे । 845 रुपये का व्यय निम्न मदों /कार्यो में किया जायेगा ।

क्र.स	मद का नाम	रुपये प्रति बालक – प्रतिवर्ष
(अ)		
1	पैराटीचर का मानेदय	480.00
2	उपकरणों पर व्यय	44.00
3	प्रशिक्षण हेतु व्यय	60.00
4	आकस्मिक व्यय	18.75
	योग	602.75
(ब)		
1	सीखने – सिखाने की सामग्री	100.00
2	विकास खण्ड लागत	100.00
	योग	200.00
(स)		
1	प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत (जिला एवं राज्य स्तर पर)	42.25
	कुल योग अ+ब+स	845.00

उक्त मदों में से विकास खण्ड लागत एवं कुल लागत का 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय निम्न कार्यो में व्यय किया जाना है । इसे सर्व शिक्षा अभियान के प्लान में भी सम्मिलित करें, जिससे बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो ।

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक केन्द्रों के लिए लागत क्रमशः 845 रुपये और 1200 रुपये प्रति बच्चा, प्रति केन्द्र है, जिसमें राज्य और जिला स्तर के लिए 5 प्रतिशत प्रशासनिक लागत के अंतर्गत आने वाली मदों अनुश्रवण और मूल्यांकन जिला एवं राज्य स्तर के प्रशासनिक खर्चे में निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जायेगा ।

- **कुल राशि का 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय राशि** :– केवल राज्य द्वारा संचालित केन्द्रों के लिए इस मद में निम्नलिखित लागतों पर व्यय किया जाएगा ।

  1 जिला स्तर के वे कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारी, जो जिला परियोजना समन्वयक के अधीन कार्य करेंगे ।

  2 जिला संदर्भ समूह की बैठकों की व्यवस्था, जिला संदर्भ समूह/ खण्ड संदर्भ समूह के सदस्यों के मानदेय का भुगतान ।

  3 राज्य स्तर पर वे कार्यक्रम कर्मचारी जो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्य करेंगें ।

  4 राज्य संसाधन समूह की स्थापना करना, उनकी क्षमता निर्माण, भ्रमण, शिक्षण, सेमीनार, कांफ्रेंस आदि का आयोजन ।

  5 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संकाय सदस्यों का वेतन या शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर मदद करने वाली किसी दूसरी अन्य संदर्भ सहायता का प्रबंधन करना ।

राज्य में जिला व राज्य की प्रशासकीय लागत, केन्द्र स्कूल व खण्ड स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन लागतों सहित राज्य के समस्त प्रस्तावों की 5 प्रतिशत तक ही सीमित रहनी चाहिये ।

- **ब्लॉक / खण्ड स्तरीय लागत** – खण्ड स्तरीय प्रबंधन लागत खण्ड के कुल शिक्षा गारण्टी योजना स्कूलों केन्द्रों की संख्या स्वैच्छिक संस्था द्वारा चलाने वाले केन्द्रों सहित, के आधार पर निकाली जाएगी । इसी धनराशि में से स्वैच्छिक संस्था द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों के लिए 100 रुपए प्रति बच्चा, प्रति वर्ष के हिसाब से प्रबंधन लागत निर्धारित की जाएगी । शेष लागत राज्य सरकार के शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के खण्ड स्तरीय ढांचें के लिए उपलब्ध रहेगी

- स्वैच्छिक संस्था के लिए परियोजना प्रबंधन की लागत 100 रुपयें प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से ही तय की जाएगी ।

राज्य के केन्द्रों हेतु निम्नलिखित सीमाओं में खण्ड स्तरीय प्रबंधन लागत स्वीकृत की जाएगी –

1	25 केन्द्रों से कम के लिए	100 रुपए प्रति बालक, प्रति वर्ष
2	25–30 केन्द्रों के लए	1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष
3	51–80 केन्द्रों के लिए	2 लाख रुपए प्रति वर्ष
4	81–100 केन्द्रों के लिए	2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष

- विकास खण्ड प्रबंधन लागत के अंतर्गत आने वाली मदों में, प्रत्येक 20 केन्द्रों के लिए एक संकुल संदर्भ व्यक्ति (सी.आर.सी.एफ) का यात्रा व्यय, अन्य केन्द्र और संकुल स्तरीय गतिविधियॉ बालमेला, प्रतियोगिताएँ एवं निम्नलिखित मदें शामिल होगी –

(क) संकुल कार्मिकों का मानदेय (प्रत्येक 20 विद्यालयों / केन्द्रों पर 1 व्यक्ति) संकुल कार्मिक को 1500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा सकता है ।

(ख) शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के लिए ब्लॉक परियोजना अधिकारी, खण्ड स्तरीय कार्मिकों का वेतन / मानदेय ।

(ग) आवश्यकतानुसार कोई भी सहायक कर्मचारी जैसे लिपिक/ संदेशवाहक आदि ।

(घ) संकुल स्तर पर (दो दिवसीय मासिक) समीक्षा एवं नियोजन बैठक की लागत (30 रुपए प्रति शिक्षा शिक्षा सहयोगी प्रति माह) ।

(ड) पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

(च) संकुल कार्मिकों, ब्लॉक परियोजना अधिकारी या संदर्भ व्यक्ति को निर्धारित यात्रा भत्ता

(छ) खण्ड समूहों की बैठकों, अवलोकन निरीक्षण यात्राओं और प्रशिक्षणों का आयोजन, सेमीनारों, खण्ड स्तर की फीड बैक बैठकों का आयोजन ।

(ज) खण्ड स्तरीय व्यवस्थाओं की आकस्मिक लागतें ।

कुछ लचीलापन अपनाते हुए नीचे लिखी खर्च की मदें या तो केन्द्र की लागत में या खण्ड प्रबंधन लागत में या दोनों केन्द्र व खण्ड प्रबंधन लागत के बीच बांटी जा सकती है ।

(क) संकुल कार्मिक का मानदेय ।

(ख) शिक्षा सहयोगी की मासिक बैठकों की लागत ।

नोट :– खण्ड स्तरीय प्रबंधन के वित्तीय संसाधनों पर पहा हक संकुल कार्मिकों के मानदेय और प्रशिक्षण, मासिक बैठकों की लागत, संकुल कार्मिक का यात्रा /दैनिक भत्ता और कार्यक्रमों में की जा रही गतिविधियों का होगा । इन लागतों की व्यवस्था करने के बाद ही शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के तहत खण्ड शिक्षा कार्यलय या खण्ड स्तर केन्द्र पर कर्मचारी की व्यवस्था की जा सकेगी ।

खण्ड स्तर प आकस्मिक खर्चे की राशि, संकुल संदर्भ व्यकितओं का निर्धारित यात्रा भत्ता दर भी राज्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

□ केन्द्र चलाने के लिए उपलब्ध धन

प्रत्येक केन्द्र की लागत उसमें नामांकित बच्चों की संख्या पर निर्भर होगी । लेकिन पूरे जिले के लिए कुल लागत प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए 845 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष और उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए 1200 रुपए प्रति बच्चा, प्रति वर्ष की सीमा के अंदर ही रहनी चाहिए ।
विभिन्न मदों में केन्द्र लागत की अधिकतम सीमा नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी

शिक्षा गारन्टी योजना के मानदण्ड

क्र.स	मद	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	शिक्षा सहयोगी का मानदेय	1000 रु प्रतिमाह	2000 रु प्रति माह (प्रत्येक शिक्षा सहयोगी के लिए 1000 रु प्रतिमाह)
2	शिक्षा सहयोगियों का प्रशिक्षण	1500 रु प्रतिवर्ष (30 दिन के लिए 50 रु प्रति व्यक्ति, प्रति दि)	4000 रु प्रति वर्ष (दो शिक्षा सहयोगियों के लिए 40 दिन के प्रशिक्षण के लिए 50 रु प्रति व्यकित, प्रति दिन)
3	बच्चों के लिए सीखने सिखानें की सामग्री	100 रु प्रति बच्चा, प्रति वर्ष	150 रु प्रति बच्चा
4	केन्द्र के लिए उपकरण	1100 रु प्रति केन्द्र	1200 रु प्रति केन्द्र
5	आकस्मिक व्यय	468.75 रु प्रति केन्द्र	500 रु प्रति केन्द्र

1. दूसरे वर्ष के बाद शिक्षा स्वयंसेवकों / शिक्षा सहयोगियों के प्रशिक्षण की अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है ।

2. प्राथमिक केन्द्र/स्कूल में बच्चों की संख्या 40 से अधिक होने पर अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है । इस योजना के अंतर्गत शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के केन्द्रों को चलाने के लिए किराए की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी । केन्द्र / विद्यालय के लिए जगह की व्यवस्था समुदाय / ग्राम शिक्षा समिति / पंचायत द्वारा की जानी चाहिए ।

3. उच्च प्राथमिक केन्द्रों की लागत में जहां कही धन की कमी होगी, उसे पूरा करने के लिए 5 प्रतिशत प्रशासनिक लगात से धन लिया जा सकेगा । उच्च प्राथमिक केन्द्र के लिए अलग से विकास खण्ड प्रबन्धन लगात नहीं होगी ।

4. अलग – अलग समयावधि के गैर आवासीय हेतु पाठ्यक्रमों के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरीय केन्द्रों के लात मानदण्ड लागू होगे । जितने महीने हेतु पाठ्यक्रम चलेगा उतने महीनों का मानदेय शिक्षा स्वयं सेवकों /शिक्षा सहयोगियों को देय होगा ।

5. प्रतिदिन केन्द्र संचालन के घण्टों की संख्या के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षा स्वयं सेवक/ शिक्षा सहयोगी का मानदेय घटाया जाना चाहिए (1000 रुपए प्रति माह से कम)

6. ऊपर बताई गई लागत की अधिकतम सीमा सभी शिक्षा गारण्टी योजना / वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा / गैर आवासीय विद्यालय वापसी शिविरों इत्यादि पर लागू होगी । राज्य स्तरीय समिति इन सीमाओं के भीतर राज्य या स्वैच्छिक संस्थाओं के सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देने में सक्ष्म होगें ।

7. कुछ रणनीतियों जैसे – आवासीय " स्कूल वापसी" शिविरों, किशोरियों के लिए बालिका शिक्षण शिविरें इत्यादि में प्रति इकाई लागत अधिक हो सकती है । इन रणनितियों के तहत खर्च की कुछ मदें जैसे – भोजन (शिक्षार्थियेां व कर्मचारियेां के लिए) गैर शैक्षणिक कर्मचारी (रसोइया, सहायक आदि) स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी किराया आदि स्वीकार्य होंगी । ऐसे प्रस्ताव जिनमें केन्द्र स्तर पर प्रति केन्द्र की लागत 845 रुपए (प्राथमिक स्तर के लिए) और 1200 रुपए (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) की लागत सीमा भी अधिक होगी, जिनकों अंतिम स्वीकृति राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा दी जाएगी ।

8. शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत किसी भी प्रस्ताव के लिए अधिकतम सीमा, केन्द्र लागत की अधिकतम सीमा 3000/– रु प्रति बालक प्रति वर्ष है । यह समीयें नवाचारी व प्रयोगात्मक घटके के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सीधे अनुदानित प्रस्तावों पर भी लागू होगी । स्वयं सेवी संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा ।

9. शिक्षा स्वयंसेवकों/शिक्षा सहयोगियों का मानदेय समय पर भुगतान किया जा सके, के लिए राज्य परिषद तीन माह की राशि एक साथ मानेदय भुगतान करने वाली समिति को दे सकती है जैसे पंचायत /ग्राम शिक्षा समिति ।

10. यदि राज्य सरकार इस योजना के तहत बनाए गए लागत मानदण्डों से अधिक खर्च वाले मानदण्ड अपनाना चाहती है । (जैसे शिक्षा स्वयंसेवक/शिक्षा सहयोगी का मानदेय) तो वह बाकी धन राज्य कोष से ले सकती है । (यह धन किसी दूसरी केन्द्र समर्थित योजना केन्द्रीय हिस्से से नहीं लिया जाना चाहिए) इसे शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा के लिए बनी राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से लिया जावे ।

इसी प्रकार स्वैच्छिक संस्था भी इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान को छोडकर किसी दूसरे स्त्रोत से धन लेकर अपना कोष बढा सकती है । लेकिन शर्त यह होगी कि शिक्षा स्वयंसेवक/शिक्षा सहयोगी को दिया जाने वाला मानदेय राज्य समिति द्वारा दिये जाने वाले मानदेय की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

लोक जुम्बिश परियोजना पाली में वर्तमान में 456 सहज शिक्षा केन्द्र एवं 234 शिक्षा मित्र केन्द्र संचालित है जिनमें 3273 बालक 13694 बालिकाए कुल 16967 छात्र छात्राए अध्ययनरत है । जिनमें से लगभग 81 बालिकाए है जिन्हे घरेलू कार्य एवं अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पूर्व में शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हुए थे ।

उक्त संख्या में से प्रतिवर्ष लगभग 30 प्रतिशत बालक – बालिकाए ड्राप आउट विद्यालय मे जुडने के कारण एवं आयु सीमा से बाहर जाने के कारण केन्द्रो को छोड देते है । एवं लगभग 20 प्रतिशत नये बालक – बालिकाए नवीन प्रवेशी के रुप मे केन्द्रो पर नामंकित हो जाते है ।

केन्द्रों के नियमित संचालन एव गुणवत्ता एवं जवाबदेही को स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इन केन्द्रो मे से प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत केन्द्रो को शिक्षा गारण्टी विद्यालय कें रुप मे परिवर्तित किया जाए ।

इस योजनानुसार जिले पाली में सन 2002 से 2010 तक निम्न विवराणानुसार सहज शिक्षा / शिक्षा मित्र केन्द्रो को शिक्षा गारण्टी विद्यालयो के रुप परिवर्तित किया जाना है –

वर्ष	सहज शिक्षा /शिक्षा मित्र केन्द्रो के शिक्षा गारण्टी विद्यालयों में परिवर्तित किये जाने की संख्या	प्रस्तावित न्यूनतम नामांकन
2002–2003	386*	12888*
2003–2004	285	9445
2004–2005	238	4900
2005–2006	165	3878
2006–2007	140	2129
2007–2008	115	1788
2008–2009	100	1501
2009–2010	64	961
योग	1107	24602

सारणी 5

* नोट :– सत्र 2002–03 में समस्त राजीव गांधी पाठशालाओं (386) एवं उनकें नामांकन को शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत लिया गया है ।एवं कुल योग में से उक्त संख्या को अलग रखा गया

5.1.6 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता

पाली जिले में विकास खण्ड बाली के आदिवासी क्षेत्र में जहॉ की आबादी छितरी हुई बस्तियो में फैली हुई है एवं एक राजस्व ग्रम औसतन 6 कि.मी के दायरे में फैला हुआ है जबकि एक राजस्व ग्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या औसतन एक है जिसके सुधार की आवश्यकता है इससे मिलती जुलती स्थिति रायपुर एवं रोहट की भी है । साथ ही जिले मे वर्तमान में 898 प्राथमिक एवं 417 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है जबकि मानदण्डानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 2:1 अनुपात की सुनिश्चितता करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना जरुरी होगा ताकि उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दायरे की पहुॅच आवश्यकतानुसार हो सके । अतः 2:1 की अनुपात की पूर्ति हेतु सन 2003–04 में 21 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना आवश्यक होगा इस स्थिति में ही एक प्रधानाध्यापक एवं दो अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है प्रधानाध्यापक का वेतन 10,000 प्रतिमाह एवं प्रति अध्यापक का वेतन रुपये 7000 की प्रतिमाह की दर से देय होगा ।

पाली जिले में 30 सितम्बर 01 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयो में 2572 अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3667 अध्यापकों के पद स्वीकृत है इस प्रकार कुल प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो में 6239 अध्यापकों के पद स्वीकृत है । आगामी 10 वर्षो में नामांकन वृद्धि एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयेां की संख्या के आधार पर निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी –

वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापको की प्रस्तावित संख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापको की प्रस्तावित संख्या	योग
2002–2003	–	-	–
2003–2004	998	749	1747
2004–2005	150	137	287
2005–2006	203	185	388
2006–2007	21	19	40
2007–2008	108	98	216
2008–2009	110	100	210
2009–2010	113	103	216
योग	1703	1391	3094

सारणी 6

5.1.7 सामुदायिक गतिशीलता सम्बन्धी गतिविधियॉ

पूर्व की अनुभव के आधार पर यह जानकारी में आया कि अधिकांश ग्रामीण जन शिक्षा के महत्व से वाकिफ नहीं है । विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वे उदासीन है वे सोचते है कि बालिकाओं की शिक्षा समय की बर्बादी और बेकार मेहनत है । पिछडे वर्ग विशेषतौर पर अनुसूचित जाति, जन जाति में कम उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती है तथा बालिकाओं को पराये घर की अमानत समझ कर शिक्षा से वंचित रखा जाता है ।

इस सब को दूर करने हेतु जन जन तक शिक्षा के सन्देश को पहुॅचाने हेतु समुदाय में सामुदायिक गतिशीलता से सम्बन्धित वातावरण निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन कर जन सामान्य तक शिक्षा के महत्व की जानकारी विभिन्न माध्यमों यथा – बाल मेलो कला जत्था,, नुक्कड नाटक, रैलिया, सतत् जनसम्पर्क आदि द्वारा किया जाया इन के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर प्रेरक दल का गठन, गांवाई समितियॉ का प्रशिक्षण आयोजित कर जन सामान्य को यह जानकारी दी जायेगी ।

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीनकरण सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है और इसको प्राप्त करने के लिए जन सहभागिता ही एक निश्चित आधार है। जब तक जनता का सीधा जुडाव न होगा शिक्षा का प्रत्येक कार्यक्रम अधूरा ही रहेगा । अतः यह आवश्यक है की आम जनता इसकी गतिविधियों को जाने, क्रिया विधि से परिचित हो तथा इसके कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले । जन समुदाय मे विशेषकर ग्रमीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना और शिक्षा से वंचित बालक – बालिकाओं को औपचारिक अथवा वैकल्पिक विद्यालय से जोडना अध्यापक और समुदाय का साझा दायित्व है । विद्यालयों में शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ ठहराव युक्त नामांकन को बढावा सामुदायिक गतिशीलता से सम्भव हो पायेगा । विद्यालय से सम्बन्धित कार्यों में विद्यालय समितियों का प्रावधान में पूर्ण सहयोग का होना आवश्यक है और कार्यक्रम मे पारदर्शिता से समुदाय जुड सकता है ।

मुख्य विशेषताएँ :–

1. यह कार्यक्रम काफी लचीलापन लिय हुए है लक्ष्य प्राप्ति हेतु इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन सम्भव है ।
2. जन प्रतिनिधियों का सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व है ।
3. विभिन्न समितियों के माध्यम से गतिविधियों का सम्पादन करवाया जाता है ।

व्यूह रचना :– सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु लोक जुम्बिश की तरह व्यूह रचना बनाई गई है ।

1. जिला संदर्भ समूह का गठन किया जायेगा ।
2. ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर व ग्रामीण स्तर पर समितियॉ बनाई गई है ।
3. समितियों के अभिनवन प्रशिक्षण कराये जायेगे ।

सामुदायिक गतिशीलता हेतु निम्न प्रकार के कार्यक्रम / गतिविधियां आयोजित किये जायेगे

1. कला जत्था प्रदर्शन
2. प्रेरक दल बैठके
3. महिला समूह बैठके
4. ग्राम शिक्षा समिति बैठके
5. विद्यालय प्रबन्धन समिति बैठके
6. अभिभावक बैठके
7. बाल मेले
8. महिला मेले
9. किशोरी/महिला समागम
10. जन प्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक, भ्रमण
11. विभिन्न समाज सम्मेलन
12. रैलियो का आयोजन
13. प्रकाशोत्सव आयोजन
14. प्रवेशोत्सव आयोजन
15. विकलांग बालक – बालिका मेले
16. विकलांग बालक – बालिका हेतु अभिभावक , शिक्षक, कार्मिक कार्यशालाएँ
17. स्वास्थ्य परीक्षण

इसके अतिरिक्त भी क्षेत्रानुसार एवं आवश्यकतानुसार गतिविधियों का आयोजन किया जाना अपेक्षित होगा ।

5.1.8 व्यवसायिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना है । सीखने के कौशल को जीवन कौशल बनाना भारत का प्राचीन प्रयास है अतः महात्मा गांधी की Basic Education System व डा. जाकीर हुसैन की नई तालीम जैसी जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा प्रदान करना मूल उदेद्श्य है ।अत : विद्यालयों द्वारा ऐसी शिक्षा दी जाये जो जीविकोपार्जन से जुडी हो मात्र साक्षरता व गणित ही न दे । यह सोचा गया है कि विद्यालय मे विशेष सम्बन्ध विशिष्ट व्यवसाय व कलाओ मे दक्ष श्रमिकों, दस्तकारों व कारीगरो से काम कराया जाये जैसे, कृषि विस्तार कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आंगनवाडी कार्यकर्त्ता कला आधारित कार्य करने वाले श्रमिक, खादी व ग्रामोद्योग निगम, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से लाभान्वित होने के लिए विद्यालय को समाज से व जीवन की आवश्यकताओ से जोडा जाये । व्यावसायिक शिक्षा में कढाई, सिलाई, बुनाई, कागज कार्य, बढाई, लुहार, पुस्तक , बांइडिग, टाइप जीवन से जुडी हुई अनेक दस्तकारियों व दक्षताओ से परिचय कराया जाये ।

सर्व शिक्ष अभियान में व्यवसायिक कक्षाओ हेतु प्रति कक्षा 25 हजार रुपये का प्रावधान है पाली जिले में व्यवसायिक शिक्षा कक्षाओं का आयोजन प्रति विकास खण्ड 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवसायिक कक्षाओ का आयोजन निम्न विवरणानुसार किया जायेगा –

वर्ष	व्यवसायिक कक्षाओ की संख्या	लाभान्वित छात्र छात्राओ की अनुमानित संख्या
2002–2003	–	–
2003–2004	20	1000
2004–2005	24	1200
2005–2006	24	1200
2006–2007	22	1100
2007–2008	22	1100
2008–2009	22	1100
2009–2010	22	1100
योग	156	7800

सारणी 7

5.1.9 विद्यालयो मे भौतिक सुविधाएँ

विद्यालयों में भवन कक्षा कक्ष, पीने के पानी का अभाव, शौचालय अपूर्ण एवं असुरक्षित भवन जीर्णशीर्ण भवन चार दीवारी विद्यालय तक पहुँचने के लिये मार्गा एवं अस्वच्छ वातावरण बच्चों के बैठने के लिये फर्नीचर, दरी पट्टी खेलकूद के मैदान एवं खेल कूद सामग्री का अभाव प्रमुख है ।

शाला में बच्चा न केवल नामांकित हो वरन् वह कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करे अर्थात् उसका शाला में ठहराव सुनिश्चित हो ।

यदि शाला में न्यूनतम भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध होगी तो बालक आसानी से अपनी शिक्षा पूर्ण करेगा, विशेषकर बालिकाओं के परिप्रेक्ष्य में उक्त सुविधाएँ अति आवश्यक है अतः प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक – बालिकाओं के लिए पृथक– पृथक टॉयलेट का निर्माण किया जाना अपेक्षित है । इसी भांति प्राथमिक विद्यालयों ,उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा जुटाना आवश्यक है ।शालाओं की चार दीवारी का निर्माण किया जाना वांछित है । जहॉ विकलांग बच्चे अध्ययनरत हो वहॉ रेम्प निर्माण स्वीकृति का प्रावधान रखा जाये ।

पाली जिले में विद्यालयों की मरम्मत व रखरखाव की जानी अपेक्षित है अत प्रतिविद्यालय प्रति वर्ष 5000/– के हिसाब से राशि उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है । बालकों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए उन्हे प्रोत्साहन स्वरुप शिक्षण – सामग्री दी जानी चाहिए वर्तमान में कक्षा 1– 8 तक बालिकाओं को तथा कक्षा 1–5 तक बालक – बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तके वितरित की जाती है, इस व्यवस्था का विस्तार किया जाना उचित होगा अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जन जाति के बालको को भी निः शुल्क पाठ्य पुस्तके दी जानी चाहिए, जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर उनका ठहराव सुनिश्चित हो ।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने तथा अल्पसंख्यक वाले परिवारो के बच्चो को निः शुल्क शाला गणवेश भी दिया जाना उचित होगा

5.1.10 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पाली जिले में ब्लॉक सोजत में लोक जुम्बिश के वित्तीय सहयोग से 40 बालवाडी केन्द्र संचालित है तथा 10 ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाडी केन्द्र संचालित हो रहे है । सम्पूर्ण जिला पाली में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 721 आंगनवाडी केन्द्र संचालित किये जा रहे है एवं 1000 की कम आबादी वाले ग्रामो मे बालवाडी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है, साथ ही इन केन्द्रो का सुदृढीकरण किया जाना भी वांछित है जिससे बच्चो को पूरक पोषाहार व शाला पूर्व शिक्षा उपलब्ध हो सके । इसके अतिरिक्त आंगनवाडी कार्यकत्ताओं का सघन प्रशिक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है । ताकि ये केन्द्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सृदृढ कर सके ।

5.1.11 कम्प्यूटर शिक्षा

संचार के नव विकसित साधनों एवं भौतिकता की दौड में बच्चों की दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा अति महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट है । सर्व शिक्षा अभियान में संचार साधनो के बढते प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को दिये जाने का प्रावधान है । वर्तमान परिदृश्य में अभिभावकों जन नायको, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों एवं शासकों का झुकाव इस ओर प्रमुखता से बढ़ा है ओर इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं स्थिति को विश्लेषणोपरान्त उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा से जोडा गया है । इस शिक्षा से जुडने के उपरान्त बच्चे स्वावलम्बी बनने के साथ साथ इन्टरनेट से विभिन्न सूचनाएं जानने में सक्षम एवं समर्थ हो सकेगे । भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनो ने कम्प्यूटर शिक्षा को विशेष महत्व दिया है । हमारी वर्तमान सरकार ने उच्च शिक्षा के साथ – साथ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को महत्व दिया है और अनिवार्य किया है, वही सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा पर विशेष बल दिया है । इस सबका उद्देश्य वर्तमान के साथ जुडाव एवं कदम मिलाना है ।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 500/– प्रति बालक की दर से उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्न विवरणानुसार कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था कि जायेगी

वर्ष	कम्प्यूटर कक्षाओं द्वारा लाभान्वित बच्चो की संख्या	वि.वि
2002–2003	–	–
2003–2004	3000	
2004–2005	3300	
2005–2006	3600	
2006–2007	3800	
2007–2008	3900	
2008–2009	4000	
2009–2010	4000	
योग	25600	

सारणी 8

5:1.12 उपचारात्मक शिक्षा

शिक्षा में कमजोर व न्यून उपलब्धि अर्जित करने वाले बच्चो के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है । वर्तमान में कक्षा 3 से अंग्रेजी विषय प्रारम्भ किया गया है, जबकि ग्रमीण क्षेत्रो के बच्चे अंग्रेजी विषय में अत्याधिक कमजोर रहते है अतः अंग्रेजी गणित जैसे विषयो का उपचारात्मक शिक्षण वांछित है । इस हेतु ब्लॉकवार लगभग 2'–3 शिविर आयोजित किए जाने प्रस्तावित है । यह शिविर औपचारिक व अनौपचारिक दोनो ही शिक्षण व्यवस्थाओं के लिए आयोजित करने का प्रावधान है ।

निम्न विवरणानुसार उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था कि जायेगी

वर्ष	उपचारात्मक शिक्षण शिविरो की संख्या	उपचारात्मक शिक्षण से लाभन्वित बच्चों की अनुमानित संख्या
2002–2003	–	–
2003–2004	20	1200
2004–2005	20	1200
2005–2006	22	1320
2006–2007	25	1500
2007–2008	26	1560
2008–2009	30	1800
2009–2010	30	1800
योग	173	10380

सारणी 9

5.1.13 विकलांग बच्चों की शिक्षा

पाली जिसे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय (रा. उ. प्रा. वि. नाडी मौहल्ला पाली) में विकलांग एकीकृत शिक्षा योजना संचालित हो रही है ।

शिक्षा आपके द्वार सर्वे के अनुसार जिले में अनुमानित 1660 विकलांग बालक / बालिकाए है , जिन्हे शिक्षा से जोडने / प्रोत्साहित करने के लिए 1200/– प्रति बालक के हिसाब से 1992000 राशि अभियान में प्रस्तावित है । ताकि विकलांग बालको की शिक्षा की व्यवस्था के साथ – 2 उनमें आत्मविश्वास बढाने हेतु प्रयास किए जा सके ।

शाला के अध्ययनरत विद्यार्थियो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि उनका नियमित रुप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे तथा बच्चो में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरुकता हो । पाली जिले के जैतारण विकास खण्ड में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जाना प्रस्तावित है । अतः जिले के शेष 9 विकास खण्डो के विद्यालयो के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु 500/– प्रति शाला के हिसाब से राशि योजना में प्रस्तावित की जानी अपेक्षित है ।

5.1.14 घुमन्तु परिवार के बालको के लिए शिक्षा

घुमन्तु परिवरों में गाडिया लुहार नट, कंजर जोगी, आदि वर्गो में शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव है ऐसे परिवारो के बच्चे अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थाान पर आजीविका अर्जन हेतु घूमते रहते है । इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं एक स्थान पर नहीं रहने के कारण शिक्षा से वचित है । इन बच्चो को शिक्षा से जोडने के लिए विशेष प्रयास किये जाने अपेक्षित है अतः आवश्यक है कि इस प्रकार के बालक बालिकाओ के लिए एक स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था की जाये जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक आवासीय छात्रावासों की व्यवस्था की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है – ।

वर्ष	अल्पकालिक आवासीय छात्रावासों से लाभान्वित बच्चो की अनुमानित संख्या	वि.वि
2002–2003	–	
2003–2004	1660	
2004–2005	1820	
2005–2006	1400	
2006–2007	1350	
2007–2008	1200	
2008–2009	1000	
2009–2010	800	
योग	9230	

सारणी 10

5.2 गुणवत्ता :–

5.2.1 भूमिका

शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लिए न केवल शत प्रतिशत नामांकन आवश्यक है वरन् नामांकन के साथ – साथ बच्चो का ठहराव व बच्चो को गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी दी जानी अपेक्षित है । गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए शिक्षको के परम्परागत दृष्टिकोण व अध्ययन पद्धतियों में परिवर्तन लाना वांछित है । इस हेतु वर्तमान में लोक जुम्बिश द्वारा प्राथमिक स्तर के शिक्षको का प्रशिक्षण दिए जा रहे है ।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना उचित होगा । अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षको के लिए विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित व विज्ञान विषय के प्रशिक्षण आयोजित किए जाने प्रस्तावित है ।

शिक्षको के साथ– साथ संस्थाप्रधानो का अभिमुखीकरण किया जाना भी अपेक्षित है । अतः प्रधानाध्यापको का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना वांछित है ।

गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षको व छात्रो को शिक्षण – अधिगम से सम्बन्धित पूरक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए । अतः कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियो को क्रियात्मक पुस्तिकाएँ तथा शिक्षको को शिक्षक संदर्शिका प्रदान की जानी चाहिए ।

शिक्षको, पैराटीचर्स तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने, उसे विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हे शैक्षिक भ्रमण के अवसर प्रदान किए जाए । अतः सत्र में एक बार तीन दिवस के लिए उपरोक्त सदस्यों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित किया जा सकता है ।

पुस्तकालय निर्माण बच्चो को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय स्थापित किया जावे, जिसमें बाल केन्द्रित शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तकें का समावेश किया जावे ताकि बच्चो को विषय पुस्तको व रुचि के अनुसार के अतिरिक्त भी अध्ययन के अवसर प्राप्त हो सके।

जिले मे शैक्षिक गतिविधियों को गति प्रदान करने सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन करने तथा 8 वी बोर्ड परीक्षा के संचालन का गुरुतर दायित्व का निर्वाह डाइट के द्वारा किया जाता है । अतः इन दायित्वो का निर्वहन भली–भांति हो सके, के लिए आवश्यक है कि डाइट प्रत्येक दृष्टिकोण से समर्थ हो ।

पाली जिसे में डाइट बगडी नगर में स्थित है, डाइट प्रधानाचार्य का पद विगत दो सत्र से रिक्त है, जिसे भरा जाना अपेक्षित है इसी तरह डाइट में छात्रावास की व्यवस्था को भी पुख्ता किया जाना अपेक्षित है । साथ ही भवन सुधारण व रखरखाव तथा आवश्यक उपकरण यथा – कम्प्यूटर, फोटो स्टेट मशीन, स्लाइड, प्रोजेक्टर तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए । अतिरिक्त वाहन सुविधा उपलब्ध होने से दिये गए प्रशिक्षणो का अनुश्रवण फील्ड में जाकर सुनिशिचित किया जा सकता है । तथा शिक्षको को दिन प्रतिदिन आ रही शैक्षिक समस्याओं को आदर्श प्रदर्शन /प्रस्तुतीकरण द्वारा दूर किया जा सकता है ।

सामर्थ्य निर्माण के अन्तर्गत डाइट के अन्तर्गत पदस्थापित स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें भी अन्य शैक्षिक संस्थाओ मे भ्रमण हेतु भेजा जावे ताकि वे कुछ नया सीखकर अपने कार्य व कार्य क्षमता को बढा सके ।

पाली जिले में लोक जुम्बिश परियोजना के तहत अभी एम. आई. एस. प्रबन्ध सूचना तन्त्र के अन्तर्गत अभी सिर्फ कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाएँ ही एकत्रित की जा रही है । जबकि शैक्षणिक प्रबन्ध सूचना तन्त्र का विस्तार किया जाना अभी प्रस्तावित है तथा इनकी महती आवश्यकता भी है । जोकि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जाना चाहिए ताकि सही तरीके से भविष्य में शिक्षा के लिए नियोजन किया जा सके ।

5.2..2 विद्यालय अनुदान राशि (School Facielity Grant)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष प्रति विद्यालय को दो हजार रुपये की राशि का अनुदान दिया जाने का प्रावधान किया गया है । इस राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक एवं सहमति के उपरान्त किया जा सकेगा । संस्था प्रधान (सदस्य सचिव) अपने विद्यालय की आवश्यकीय आवश्यकताओं से विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को आमन्त्रित एवं आहूत बैठक में अवगत करायेगा । संस्था की आवश्यकता एवं राशि के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति अनुदान राशि की उपयोगिता की सहमति प्रदान करेगी । इस राशि से विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए दरीपट्टी आदि आवश्यकतानुसार क्रय की जा सकेगी । पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी आदि के खरीदे जाने का प्रस्ताव भी पारित कराया जा सकेगा । इस प्रकार फुटकर एवं छोटी – मोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति प्रति वर्ष मिलने वाली विद्यालय अनुदान राशि द्वारा की जावेगी ।

5.2.3 शिक्षण अधिगम समाग्री (Teaching Learning Material)

सर्वशिक्षा अभियान क अन्तर्गत शिक्षा अधिगम सामग्री हेतु पॉच सौ रुपये प्रति अध्यापक को देय है । इस राशि में से चौथाई राशि का उपभोग बाजार से सामग्री क्रय करने मे और तीन चौथाई राशि का उपभोग विद्यालय में बच्चों के मध्य बैठकर शिक्षण अधिगम समाग्री निर्माण पर किया जा सकेगा । यह राशि कच्ची सामग्री पर अधिक मात्रा में व्यय की जावेगी । इस राशि व्यय से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री कम की जा सकेगी । यह सामग्री बच्चों को शिक्षण विद्या को समझाने मे मददगार होगी तथा बच्चों की विषय वस्तु की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी । यह जानकारी रुचिकर एवं प्रभावी होगी । इसका स्थायित्व अमिट होगा ।

अतः शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं डिमोन्स्ट्रेशन को सर्वशिक्षा अभियान में प्रबलता से उभारा गया है जो बच्चों के लिए आनन्ददायी , रुचिकर एवं शिक्षा प्रद है । वर्तमान में कार्यशील उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षण – अधिगम सामग्री उपलब्ध करवायी जानी अपेक्षित है । उक्त सामग्री के अन्तर्गत ग्लोब मानचित्र, चार्ट, ज्योमेट्री बॉक्स, विज्ञान किट तथा मॉडल्स इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाने पर शाला में शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा । जिसके परिणाम स्वरुप बालक का ठहराव आसान हो सकता है ।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रति अध्यापक 500/– रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है पाली जिले में निम्न विवरणानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को शिक्षण सहायक सामग्री राशि प्रदान की जायेगी –

वर्ष	सहायक शिक्षण सामग्री प्राप्ति हेतु अध्यापकों की संख्या		
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	अन्य विद्यालय
2002–2003			
2003–2004	5109	3830	300
2004–2005	4438	3328	310
2005–2006	4718	3538	310
2006–2007	4542	3406	312
2007–2008	4754	3564	312
2008–2009	4877	3658	318
2009–2010	5004	2753	318
योग	33442	25087	2180

सारणी 11

5.2.4 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में प्राथमिक स्तर तक सभी को एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जा रही है । सर्वशिक्षा अभियान में सभी को उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का विचार दृढता से उभरा है और इसे अमल में लाया जाना अपेक्षित है । सभी को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना " जेण्डर संवेदनशीलता' की सार्थक श्रेणी है, सर्वशिक्षा अभियान में बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों ने निःशुल्क पाठयपुस्तकें सभी को दिये जाने की अभिशंसा की है वास्तव में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्धि से अनगिनत गरीबों को सार्थक राहत मिलेगी जो आर्थिक बोझ वहन करने में असमर्थ है ।

अतः सर्वशिक्षा अभियान अवधि अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बालकों हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था अपेक्षित है । जोकि पाली जिले में निम्न विवराणानुसार प्रदान की जा सकती है –

वर्ष	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उच्च प्राथमिक स्तर के निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने वाले बालक बालकाओं की अनुमानित संख्या	वि.वि
2002–2003	–	
2003–2004	26205	
2004–2005	28825	
2005–2006	31708	
2006–2007	34878	
2007–2008	38366	
2008–2009	42203	
2009–2010	46423	
योग	248608	

सारणी 12

5.2.5 पुस्तकालय अनुदान

पुस्तकालय निर्माण बच्चो को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक पुस्ताकालय स्थापित किया जावे, जिसमें बाल केन्द्रित शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तको का समावेश किया जावे ताकि बच्चो को विषय पुस्तको व रुचि के अनुसार के अतिरिक्त भी अध्ययन की अवसर प्राप्त हो सके।

अच्छी पुस्तकें ज्ञानार्जन का प्रथम सोपान है । अच्छी पुस्तकों से विद्यार्थियों में भौतिक भावनाओं को पिरोया जा सकता है, तथा ज्ञानवर्धन किया जाता है । हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं विषमताओं और अनैतिक मूल्यों का कारण श्रेण्ठ एवं जीवन मूल्यदायी शिक्षा की कमी एवं सत्साहित्य का अभाव है । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस भावना पर विचार कर उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान दिया जाने का पुरजोर समर्थन किया गया है एवं प्रति विद्यालय

प्रतिवर्ष 2000/– की राशि प्रति पंचायत पुस्तकालय अनुदान हेतु रखी गयी है । इस राशि से जहॉ पुस्तकालयों में श्रेष्ठ एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिलेगी, वही बच्चों में इनके अध्ययन से बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होगा । जो भावी पीढी के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है । हमारे विद्यालयों के संस्था प्रधानों से अपेक्षा की गयी है कि वे जीवनोपयोगी पुस्तकें क्रय करेगे एवं पुस्तकालयों को समृद्ध करेगे। राशि का सही सदुपयोग करना संस्था प्रधानों का नैतिक दायित्व है ।

सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत पाली जिले की समस्त 320 पंचायतों में उक्त राशि पुस्तकालय अनुदान राशि के रुप में प्रतिवर्ष विद्यालयों हेतु उपलब्ध करवाई जायेगी ।

5.2..6. अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन

सर्वशिक्षा अभियान में शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अभावग्रस्त बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा से तीन माह पूर्व विशिष्ट अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में मुख्य तीन विषयों के लिए तीन अलग– अलग अध्यापकों द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जावेगा तथा उन्हें इसके बदले मानदेय स्वरुप 3000/– रुपये की राशि प्रतिमाह 3 माह तक प्रदत्त की जावेगी । इस स्थिति में आर्थिक दृष्टि से गरीब व उन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने में भरपूर सहायता मिल सकेगी, जो उच्च शिक्षा का सपना संजोये हुए है, परन्तु अपनी सोचनीय व दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा ग्रहण कर पाने में पूर्णतः असक्षम है , सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनीकरण की भावना में अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है, जो उपेक्षित वर्ग को उनकी भावनानुसार शिक्षा मुहैया कराने में मददगार है ।

इस आयोजन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कक्षाओ का आयोजन अपेक्षित है । सर्वशिक्षा अभियान इस दिशा में उत्तम प्रयास है। जिसमें संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की भावना द्वारा सभी को शिक्षा प्राप्ति सम्भव है ।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत पाली जिले के बाली विकास खण्ड में आदिवासी क्षेत्र , जैतारण ,रायपुर, रोहट विकास खण्डों में इस प्रकार की अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है ।

5.2.7 प्रशिक्षण

शिक्षक प्रशिक्षण :– शिक्षक को शैक्षिक जगत में हो रहे नवाचारों से अवगत कराने, उनकी क्षमता का विकास करने , गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करने, शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने आनन्ददायी शिक्षण की विधियों से अवगत कराने, उसके ज्ञान में परिमार्जन करने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण दिलवाया जाना अति आवश्यक है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रेरण शिक्षक प्रशिक्षण एवं अभिनवन प्रशिक्षण ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक एवं अति महत्व पूर्ण बिन्दु है । प्रेरण एवं अभिनवन दोनो ही प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षक को चिन्तनशील एवं सकारात्मक सोच वाला बनाने में सहयोग करते है ।

सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों के लिए 20 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है । इस 20 दिन के प्रशिक्षण में से प्रथम प्रशिक्षण आठ दिवस का विषयवस्तु आधारित होगा । द्वितीय प्रशिक्षण चार दिवस का सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला के रुप में होगा एवं शेष आठ दिवस का प्रशिक्षण शिक्षक मासिक बैठक के रुप में आयोजित किया जायेगा

पैराटीचर का आधारभूत प्रशिक्षण :– जिले में नामांकन आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त पैराटीचर्स की नियुक्ति की जायेगी। राजीव गांधी पाठशाला शिक्षा कर्मी एवं वैकल्पिक विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जायेगा । परिवर्तन के फलस्वरुप वहां एक नियमित शिक्षक एवं चार पैराटीचर्स की नियुक्ति की जायेगी । इन नवनियुक्त पैराटीचर्स को शिक्षण विद्याओं की जानकारी देने, उनमें शैक्षिक कौशल विकसित करने समसामयिक नवाचारों का ज्ञान कराने एवं सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रथम वर्ष में 41 दिवस, दूसरे वर्ष में तीस दिवस एवं तीसरे वर्ष में 10 दिवस का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाली जिल में वर्तमान समय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्वीकृत अध्यापकों की संख्या राजीव गांधी विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या एवं नामांकन वृद्धि एवं विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, विद्यालय क्रमोन्नयन के आधार पर आकलंन के अनुसार शिक्षकों की उक्त दोनो प्रकार के प्रशिक्षणों हेतु अनुमानित संख्या निम्न विवरणानुसार होगी –

वर्ष	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सत्रवार अध्यापको की अनुमानित संख्या	वि.वि
2002–2003	–	
2003–2004	8939	
2004–2005	7776	
2005–2006	8256	
2006–2007	7948	
2007–2008	8318	
2008–2009	8535	
2009–2010	8757	
योग	58529	

सारणी 13

लोक जुम्बिश परियोजना अन्तर्गत आगामी वर्षो में प्रति दो विकास खण्ड एक – 2 आवासीय शिविरों की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है जिनमें विकलांग बालक – बालिकाओं से सम्बन्धित समस्त प्रकार की सुविधाए यथा स्वास्थय परीक्षण विकलांगता प्रमाण पत्र एवं एवं विकलांगता के क्षेत्र मे कार्यरत राजकीय /गैर राजकीय सगठनों द्वारा सुविधाए उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । अतः जिले पाली में प्रतिवर्ष 5 शिविर इस कार्य हेतु प्रस्तावित है ।

5.3.1 भूमिका

पाली जिले में कुछ जातियों एवं वर्गो कों देखें तो इनमें अधिकाश प्राथमिक शिक्षा से वंचित है जिसमे मुख्यतः गाडोलिया लुहार, नट, जोगी, देवासी आदि है । चूकि यह जातिया अपनी आजीविका एवं व्यवसाय के कारण एक स्थान पर स्थित नहीं रहती है एवं अपने परिवार के लालन पालन हेतु एक स्थान पर पलायन करती रहती है । यह समूह हार्डकोर समूह में आता है । सर्व शिक्षा अभियान में इन समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना है ताकि इनकी शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था हो सके जिससे ये शिक्षा की मुख्य धारा में आ जाये ।

पाली जिले विकास खण्ड बाली का लगभग एक तिहाई भाग आदिवासी जनसंख्या से आच्छादित है जो कि छितरी आबादी में निवास करती है । ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के बालक बालिकाओं हेतु एक स्थान पर केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो सकती है । इनके लिए चलित शिक्षा व्यवस्था या 1 किमी की दूरी में शिक्षा व्यवस्था करना अपेक्षित है ।

5.3.2 विशिष्ट /फोकस समूह की समस्याएँ

- कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन ।
- घुमन्तु जीवन शैली ।
- माता–पिता की रुचि का अभाव ।
- जाति, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव ।
- उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का अभाव ।
- पलायन करने वाले बच्चो के लिए आवासीय सुविधाओं का अभाव ।
- पॉलिथिन, कागज, गत्थे उठाने वाले बच्चो की शिक्षा
- गृह कार्यो में कार्यरत बच्चो की शिक्षा ।
- चाय की दुकानो, होटलो पर कार्यरत बच्चों की शिक्षा

5.3.3 ब्रिज कोर्स

जिले में कुछ दूरस्थ ग्रमीण क्षेंत्रों कच्ची बस्तियों/ स्लम्स एवं कामकाजी मजदूरों के बच्चे अथक प्रयासो के बाद भी प्रारम्भिक शिक्षा से नही जुड पा रहे है । उनकी अपनी परिस्थितियां है । सर्व शिक्षा अभियान में इन बच्चो की परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये ब्रिज कोर्स के सम्बन्ध में सोंचा गया इसके अन्तर्गत जो बालक – बालिकाए परिस्थितियोंवश नियमित विद्यालय से अथवा समय सुविधायुक्त विद्यालयो से नही जुड पा रहे है उनके लिए 3–3 माह का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (कन्डेन्सड कोर्स) होगा । इसके कक्षावार पैकेज होगे । इनमें घूमन्तु, कमजोर, आर्थिक स्थिति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को विशेष लाभ पहुँचेगा । इस कोर्स को पूर्ण करने के बाद ये बालक बालिकाए शिक्षा की मुख्य धारा से जुड जाएगे ।

5.3.4 विकलांग बालक – बालिकाओं के लिए समेकित शिक्षा (I.E.D.)

विकलांग बालक – बालिकाए मुख्यतः ग्रामीण क्षेंत्रों से सम्बन्धित शिक्षा की मुख्य धारा से अपनी शारीरिक अक्षमता के फलस्वरुप नहीं जुड पाते । यह विकलांगता विभिन्न प्रकार की हो सकती है जैसे शारीरिक इस तरह की विकलांगता में पोलियों, हाथ, पैर, शारीरिक विकृति (कूबड), सूरजमुखी, आखँ कान (गूंगे बहरे) आदि । मानसिक विकलांगता आदि ग्रमीण क्षेत्रों में इन बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नही होतो । ऐसे बालक – बालिकाओं हेतु उनके गांव के विद्यालय में ही अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षित कर उन्हे सामान्य बच्चो के साथ पढाने की व्यवस्था करना तथा ऐसे बच्चो पर विशेष ध्यान देना है । विद्यालय भवन मे भी इनके आने जाने के लिए रैम्प की व्यवस्था करना । एवं विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन करा विकलांगता को उपचारात्मक निदान की व्यवस्था कराया जा सकता है । एवं स्वयं सेवी गैर सरकारी सगठनो की सहायता से उपकरण आदि प्रदान किए जा सकते है ।

5.3.5 अनु.जा.अनु.जनजा. अल्पसंख्यक वर्ग के बालक – बालिकाओ की शिक्षा

पाली जिले में पिछडी जातियो में भील गमेती गरासिया मीणा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बालक बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है । इनमें विशेषत : बालिकाओं की संख्या अधिक है क्योकि ये वर्ग मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते है । मजदूरी के अतिरिक्त इस वर्ग के लोग अपना पैतृक व्यवसाय भी करते है । ऐसे वर्ग के बच्चों को ब्रिज कोर्स आवासीय शिक्षा शिविर आदि से शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा ।

पाली जिले की 2001 की जनगणनाके अनुसार लगभग 5.7 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है जिनमें बालको की शिक्षा व्यवस्था मदो से एवं अन्य वैकल्पिक प्रकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है ताकि उक्त बालक – बालिकाए शिक्षा की मुख्य धारा से जुड सके । इसके लिए जैतारण बाली एवं पाली विकास खण्डों में प्राथमिकता के आधार पर प्रयासेां की आवश्यकता है ।

इन वर्गो को बच्चों को शैक्षिक विकास पर सर्व शिक्षा अभियान में विशेष ध्यान दिया गया है । इसके अन्तर्गत इन समुदाय के बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा । इन वर्ग के बच्चों का सूक्ष्म नियोजन कर इनके प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता का आंकलन किया जाये । इसके लिए निम्न प्रयास किये जायेगे ।

- समुदाय के विभिन्न संगठनो की सहायता लेकर
- आवश्यकता के अनुरुप विशेष शिक्षण
- विद्यालयों से सर्वाधिक विभिन्न समितियो में इन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- शैक्षिक सुविधा रहित वास स्थानों पर वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था
- समुदाय के शिक्षको की नियुक्ति
- बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव का नियमित अनुश्रवण

5.3.6 घुमन्तु परिवार के बालको के लिए शिक्षा

घुमन्तु परिवरों मे गाडोलिया लुहार नट, कंजर जोगी, आदि वर्गो में शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव है ऐसे परिवारो के बच्चे अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थाान पर आजीविका अर्जन हेतु घूमते रहते है । इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं एक स्थान पर नहीं रहने के कारण शिक्षा से वंचित है । इन बच्चो को शिक्षा से जोडने के लिए विशेष प्रयास किये जाने है ।

पाली जिले में व्यवसाय की तलाश में लगभग 20 प्रतिशत परिवार देश के अनेक राज्य में पलायान करते है जिनके उनके बालक बालकाओं की पूरे वर्ष शिक्षा की व्यवस्था सुचारु रुप से नहीं हो पाती है । अतः आवश्यक है कि घुमन्तु परिवारों के बालक बालिकाओं का शिक्षा से जोडने एवं उनका पूरे वर्ष भर ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अल्पकालिक छात्रावासों की व्यवस्था किया जाना उचित होगा । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत सत्रानुसार बालक बालिकाओं संख्याओं हेतु प्रावधान किया जाना अपेक्षित है ।

वर्ष	अल्पकालिक छात्रावासों से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या	वि.वि
2002–2003	–	
2003–2004	1660	
2004–2005	1820	
2005–2006	1400	
2006–2007	1350	
2007–2008	1200	
2008–2009	1000	
2009–2010	800	
योग	9230	

सारणी 14

5.3.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा

इस समूह के बच्चे विभिन्न प्रकार के मजदूरी के कार्य कर परिवार की आय वृद्धि में सहयोग करते है । ये बच्चे सुबह से ही अपने अपने काम पर चले जाते है एवं देर शाम तक कार्य करते है । लम्बे समय तक कार्य करने एवं संतुलित आहार नही मिलने पर ये बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते है

5.4 नवाचार गतिविधियाँ

5.4.1 बालिका शिक्षण शिविर

लोक जुम्बिश परियोजना के तहत अभी बालिका शिक्षण शिविरो का आयोजन प्राथमिक स्तर तक की अर्थात कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है । परन्तु ये बालिकाएँ ऐसे दूरस्थ क्षेत्रो से आती है। इनके लिए उच्च प्रा. स्तर तक की शिक्षा को औपचारिक विद्यालय में प्राप्त करना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के बालिका शिक्षण शिविरो का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है । ताकि इन बालिकाओं की कक्षा 5 तक की पढाई पूरी हो सके । तथा इसमें ये प्रयास भी किया जावे कि जो बालिकाएँ प्राथमिक स्तर के बालिका शिक्षण शिविर से जुडी है वे सभी उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा से भी जुडे ।

वर्तमान समय में पाली जिले में तीन 7 माह के आवासीय बालिका शिक्षण शिविर संचालन विकास खण्ड बाली, पाली एवं देसूरी में किया जा रहा है । जिनमें बालिकाओं की संख्या क्रमशः 125, 110 एवं 85 है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार पाली जिले में आवासीय बालिका शिक्षण शिविरो का आयोजन किया जाना है

वर्ष	बालिका शिक्षण शिविरों की संख्या	बालिका शिक्षण शिविरों में नामांकित बालिकाओं की अनुमानित संख्या
2002–2003	–	
2003–2004	6	600
2004–2005	10	1000
2005–2006	10	1000
2006–2007	8	800
2007–2008	8	800
2008–2009	6	600
2009–2010	4	400
योग	52	5200

सारणी 15

5.4.2 स्कूली बालिकाओं की जेंण्डर संवेदनशीलता कार्यशाला

विद्यालय /वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों क भ्रमण एवं पर्यवेक्षण के दौरान अनुभव किया गया है कि विद्यालय/केन्द्रों में बालिकाए सहमी–2 सी प्रतीत होती है एवं विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक घटकों यथा (भवन, शिक्षण पाठ्यक्र, शिक्षक व्यवहार) में उनकी पहचान मात्र लडकी के हद में होती है न कि एक विद्यार्थी के रुप में । इस स्थिति में बालिकाए अपनी आवश्यकताएँ अपनी इच्छाओं को किसी से कहने से झिझकती है । यह स्थिति उनके स्वयं के व्यक्तित्व विकास के मार्ग में एक बाधा है, जो कि उनके सर्वांगीण विकास को अवरुद्ध करने में सहायक होती है ।

इस स्थिति के निराकरण के उद्देश्य से बालिकाओं को उनकी पहचान कराने, उनकी किशोरावस्था के हो रहे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के आधार पर सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से लोक जुम्बिश परियोजना के चार दिवसीय जेण्डर कार्यशालाएँ आयोजित किए जाने का प्रावधान है । जिसमें विद्यालय की बालिकाओं के शैक्षिक सम्बलन कें साथ उनके व्यक्तित्व (शारीरिक, मानसिक,सामाजिक) विकास हेतु गतिविधियॉ आयोजित किया जाना है । एवं अपेक्षा की जाती है कि उक्त बालिकाएँ इस कार्यशालाओं के पश्चात के एक प्रशिक्षक एवं सामाजिक कार्यक्रर्ता के रुप में शिक्षकों अभिभावकों विद्यालय एवं सामुदाय की अन्य बालिकाओ के साथ सम्बन्धित विषयों पर चर्चा कर उक्त विचारों का प्रचार–प्रसार कर सके । एक कार्यशाला हेतु लगभग 50–55 बालिकाएँ सम्भागी के रुप में नामांकित किये जाने प्रस्तावित है ।

इस हेतु जिले में प्रतिवर्ष प्रति विकास खण्ड 2 कार्यशालाओं के हिसाब से 20 कार्यशालाएँ प्रतिवर्ष किया जाना अपेक्षित हे । वित्तीय प्रावधान के अनुसार प्रति कार्यशाला हेतु 20,000 रुपये की राशि प्रस्तावि है ।

5.4.3 किशोरी समागम कार्यशालाएँ

पाली जिले मे वर्तमान में लगभग 16967 बालक – बालिकाएँ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित है । जिनमें सें लगभग 80 प्रतिशत के करीब बालिकाएँ है । जिनकों विद्यालयी शिक्षा /शिक्षा की मुख्यधारा में शिक्षा के किसी भी प्रकार के अवसर प्रदान नहीं हुए । जिसके कारण घर से बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ ही रही । इन बालिकाओं को जैण्डर संवेदनशीलता प्रजननीय स्वास्थ्य किशोरावस्था की परिस्थितियों से अवगत कराने के उद्देश्य से 4 दिवसीय किशोरी कार्यशालाएँ एवं दो दिवसीय किशारी समागम कार्यक्रम किया जाना अपेक्षित है ।

किशोरी समागम प्रति समागम 10 हजार की राशि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है । एवं पाली जिले में प्रति वर्ष 20 – 25 किशोरी समागम प्रस्तावित किये जा सकते है, जिनमें प्रति समागम लगभग 55–65 बालिकाओं की संख्या अपेक्षित है ।

5.4.4 किशोर बालक कार्यशालाएँ

विद्यालय/ वैकल्पिक केन्द्रों की बालिकाओं की कार्यशालाओं के साथ – 2 किशोर बालक को भी जेण्डर संवेदनशीलता एवं किशोरावस्था के मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तनों एवं किशोरावस्था अतंर्गत विशिष्ठ आवश्यकताओं सम्बन्धी सलाह एवं निर्देशन की उद्देश्य से किशोर बालकों की 4 दिवसीय कार्यशालाओ का आयोजन किया जाना एवं नवाचार के रुप में लिया जा सकता है । जिसके अन्तर्गत बालकों को उक्त विषय सम्बन्धी प्रशिक्षण निर्देशन एवं निदानात्मक कार्य किये जाये । प्रारम्भ में इस नवाचार को प्रति विकास खण्ड एक कार्यशाला एवं तत्पश्चात इन कार्यशालाओं की संख्याएँ बढाई जाकर किशोरी कार्यशालाओं के साथ –2 सम्माहित कर किशोर बालक – बालिका कार्यशाला के रुप में स्थापित किया जाना उचित रहेगा ।

वर्तमान में सम्पूर्ण जिले में प्रति कार्यशाला 15 हजार के हिसाब से 10 कार्यशालाओं के लिए राशि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है ।

5.5.5 स्वयं सहायता समूह गठन

बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए आवश्यक है कि गांव में महिला की स्थिति से बदलाव दिखे ताकि वे अपने एवं अपने परिवार से सम्बन्धित निर्णयों की स्वयं के स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर ले सके । इस हेतु उनके निर्णय क्षमता के विकास की आवश्यकता है ।जो कि आत्मनिर्भरता से विकसित की जा सकती है । इसके लिए वर्तमान के एवं भविष्य के महिला समूहों को स्वयं सहायता समूहों में परिवर्तित कर समूहों के वित्तीय ऋण उपलब्ध कराया जाकर Income Generating Programme चलाएजाने उचित होगें एवं महिला समूहों की Sustainability बनी रहेगी ।

5.5.6 वैकल्पिक शिक्षा अन्तरकेन्द्रीय खेल – कूद प्रतियोगिताएँ

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के बालक बालिकाओ कों शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने एवं दयेम दर्जे की शिक्षा के अहसास से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के बालक – बालिकाओं विशेषकर बालिकाओं हेतु खेल – कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना उचित होगा ताकि बालिकाओं के शारीरिक विकास के साथ उनके में नेतृत्व विकास सहभागिता, उत्तरदायित्वता के गुणों का विकास हो, जो कि उनके लिए भविष्य में शिक्षा की मुख्य धारा से जुडने में सहायक सिद्ध हो सके ।

इसके लिए लगभग 20 हजार प्रति संकुल वित्तीय प्रावधान किया जाना अपेक्षित है ।

5.5.7 उपचारात्मक शिक्षण :–

प्राथमिक स्तर पर परीक्षा परिणाम के आधार पर जो छात्र किसी भी विषय में निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करते है उन बच्चो के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । यह व्यवस्था औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनो ही शिक्षण व्यवस्थाओं के तहत की जानी चाहिए । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में 3 शिविर प्रति विकास खण्ड यानि पाली जिले के 10 विकास खण्डों मे कुल 30 शिविर प्रस्तावित है । जोकि अनुभव के आधार पर आगामी वर्षो में इनमें वृद्धि की जा सकती है ।

5.5.8 E.C.C.E कार्यक्रम के तहत I.C.D.S. कार्यक्रम का सुदृढीकरण

क्योकि इस कार्यक्रम के जरिये पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्य व बालको की देखभाल की जाती है । पाली जिल में वर्तमान में लोक जुम्बिश के वित्तीय सहयोग से सोजत विकास खण्ड में 40 बालवाडी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा हे । जो कि बहुत ही कम संख्या में है जबकि I.C.D.S. द्वारा जिले में कुल 721 आंगनवाडी केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है । जिनमें 12540 बच्चें पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे है । परन्तु ये केन्द्र अभी पुख्ता तौर पर पूर्व प्राथमिक केन्द्र नहीं बन पाए है इसके लिए यह आवश्यक है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जावे । यह प्रशिक्षण कार्यकताओं के आत्मविश्वास अथवा जानकारी को बढाने की दृष्टि से किए जावे साथ ही उन्हें शाला पूर्व गतिविधियों की जानकारी की जावे ताकि इन कार्यकताओं के जरिये ये केन्द्र बच्चो के पूरक पोषाहार व शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करने के केन्द्र बन सके ।

5.5.9 अनुसूचित जाति व जन जाति बच्चों के लिए विशेष प्रयास

अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष प्रयास किये जाने चाहिए । ताकि वे अपनी कक्षा 8 तक की पढाई पूरी कर सके । इस हेतु सभी बालक बालिकाओं को कक्षा 8 तक निः शुल्क पुस्तके प्रदान की जावे । ताकि उनकी शिक्षा के प्रति रुचि पैदा हो

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धन बालक बालिकाओं हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित होगा जिसके अन्तर्गत बालक बालिकाओं को निः शुल्क गणवेश एवं निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्राप्त हो सके ।

5.5.10 बालिकाओं हेतु शैक्षिक भ्रमण

बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु बालिकाओं के शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उन्हे नई – 2 जानकारी प्राप्त हो सके और उनके शिक्षा के प्रति रुचि पैदा हो सके ।

5.5.11 चल विद्यालय

घुमन्तु एवं कामकाजी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक जुम्बिश एवं डी.पी.ई.पी परियोजना द्वारा प्रत्येक जिले में चल विद्यालय नवाचार का समावेश किया गया जोकि वर्तमान में मात्र जिला मुख्यालय एवं उसके निकटस्थ क्षेत्रों तक सीमित है । आवश्यकता इस चीज की है कि इस नवाचार का उपयोग कस्बों एवं बडे बडे गांवों तक किया जाये ।

5.5.12 चल अनुदेशक

जैसा की पूर्व में कई बार लिखा जा चुका है कि पाली जिले की बाली, रायपुर एवं रोहट विकास खण्ड पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों से सम्बन्धित है । अतः इन क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा विद्यालयो के अनुदेशक / अध्यापक द्वारा बच्चों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अलग – अलग क्षेत्रों में अध्यापन की व्यवस्था किय जाना अपेक्षित है । ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके ।

5.5.13 चलायमान वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

पाली जिले में अधिकाशंतय राजस्व गावं ढाणी, मजरो, फलो मे विभाजित है जिसके कारण वासस्थानों की संख्या काफी है । अधिकतर कृषक परिवार एवं जोगी, नट, आदि परिवार अपने जीवकोपार्जन हेतु कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परस्पर चलायमान रहते है जिसके कारण पूरे वर्ष भर बच्चों का ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता है अतः आवश्यकता इस बात की है कि उनको वर्ष भर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा सुविधा उनकी आवश्यकता के अनुसार चलायमान हो

5.5.14 प्रोत्साहन एवं पुरस्कार

शाला में शत प्रतिशत नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए ग्राम – ब्लॉक स्तर पर प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार भी प्रारम्भ किए जाने चाहिए । इस क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, ग्रम शिक्षा समिति, उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिससे उनसे अन्य भी प्रेरणा ग्रहण कर सके ।

5.5.15 शिक्षकों, अभिभावको एवं कार्मिको के भ्रमण कार्यक्रम

अच्छाइयों अनुभवों एवं नवाचारो को बांटने के उद्देश्य से एवं अपनी कमियो को विशलेषित कर दूर करने के उद्देश्य से शिक्षकों , अभिभावकों एवं कार्मिकों के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरजिला भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराने अपेक्षित है । ताकि नई समझ पैदा हो दक्षता का विकास हो सके ।

अध्याय – 6

सिविल कार्य

6.1 भूमिका

शिक्षा की गुणवत्ता एवं ठहराव हेतु आवश्यक है कि विद्यालय मात्र विद्यालय भवन न रह कर Learning space बने जहॉ बालक – बालिकाओं हतु विशेषकर बालिकाओं हेतु मूलभूत सुविधाए उपलब्ध हो पाली जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो के भवनों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है वहॉ बालक व बालिकाओं का नामांकन बहुत अधिक है । जबकि कमरो की संख्या बहुत कम है इसके अतिरिक्त भवनों की संख्या जीर्ण – शीर्ण है जबकि आदिवासी क्षेत्रों में भवनों की स्थिति छात्रों के लिए उचित नहीं है । बालक – बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है । पीने का पानी चार दीवारी रैम्स आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है । जो कि शिक्षा की गुणवत्ता एवं ठहराव हेतु अति आवश्यक है ।

शिक्षा दपर्ण सर्वे 2000 के अनुसार पाली जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक (राजकीय) विद्यालयों में विद्यालय भवनों की स्थिति एवं विद्यालय में भौतिक सुविधा की उपलब्धता की स्थिति निम्न सारणी से स्पष्ट होती है परन्तु अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत इनमे से कुछ स्थानों पर उक्त सुविधायें उपलब्ध करा दी गई है ।

जिले का नाम	विद्यालयों की सं.	भौतिक सुविधा की उपलब्धता की स्थिति										
		कक्षाकक्षों की सं	क्या विद्यालय Minor/Major में मरम्मत की आवश्यकता है।			पेयजल		चार दीवारी		शौचालय		बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय	
			1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2
पाली	1786	10403	502	528	756	974	812	914	872	460	1326	276	1510

सारणी 1

सारणी का अध्ययन करने से पता चलता है कि पाली जिले में 502 विद्यालयो में वृहद् मरम्मत की आवश्यकता है । एवं 528 विद्यालयों में लघु मरम्मत की आवश्यकता है ।

812 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है एवं 872 विद्यालयों मे चार दीवारी की उपलब्धता नहीं है इसी के साथ साथ 1326 विद्यालयो में शौचालय की अनुपलब्धता एवं 1510 विद्यालयों में बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है । परन्तु पेयजल एवं शौचालय की सुविधा गत दो वर्षो में कुछ विद्यालयो में प्रदान की जा चुकी है जिसकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है ।

6.2 निर्माण कार्य

निर्माण कार्य कराने के लिए शाला प्रबन्धन समिति, भवन निर्माण समिति का गठन करेगी जो निर्माण कार्य करायेगी जिनका सुपरवीजन कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता करेंगे । लेखा जोखा भवन निर्माण समिति रखेगी । नवीन विद्यालय भवन के लिए जगह शाला प्रबन्धन समिति सरकारी भूमि या दान की हुई जमीन में से स्थान सुनिश्चित करेगी व खेलने के लिए मैदान हो यह भी ध्यान में रखा जाएगा एवं निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु समस्त दायित्व भवन निर्माण समिति एवं शाला प्रबधान समिति वहन करेगी ।

6.3 नवीन विद्यालय भवन

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्यो में इन कार्यों को कराने की व्यवस्था की गई है जो कि चरण दर चरण पूरे किये जाने है । साथ ही Existing विद्यालयों के साथ – 2 नवीन क्रमोन्नत एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु भवनों की व्यवस्था भी की जानी है ।

निर्माण कार्यो के अन्तर्गत जहॉ विद्यालय भवन अभी उपलब्ध नहीं है तथा जो विद्यालय किराये के भवनो में या किसी अन्य स्थान पर चल रहे है वहॉ प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों भवनों का निर्माण किया जायेगा । एवं यह कार्य अकाल राहत कार्यो के साथ ओवटेल कर के भी किया जा सकता है प्राथमिकता क्रम आधार अग्र लिखितानुसार होगा – शिक्षा कर्मी विद्यालय, नवीन प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी पाठशाला के रुप मे रहेगा ।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवन दो प्रकार के बनाये जायेगे ।

(1) दो कक्षा कक्ष विद्यालय भवन जिसकी लागत 2.85 लाख रु प्रति विद्यालय भवन रहेगी।

(2) तीन कक्षा कक्ष विद्यालय भवन जिसकी लागत 3.90 लाख रु प्रति विद्यालय भवन होगी ।

पाली जिले में वर्तमान में 115 विद्यालय जिनमें शिक्षाकर्मी एवं राजीव गांधी विद्यालय संचालित है भवन रहित विद्यालयों के रुप में संचातिल जिनको आगामी 2 वर्षो में प्राथमिकता के आधार पर निर्मित किये जाएगा जिनमें 65 विद्यालय तीन कक्षा कक्ष एवं 50 विद्यालय दो कक्षा कक्षों के आधार पर निर्मित किय जाऐगा एवं भविष्य में नये विद्यालय खुलने एवं नामांकन बढने के कारण अनुमानतः 45 तीन कक्षा कक्ष वाले विद्यालय एवं 20 दो कक्षा कक्ष वाले विद्यालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण व्यवस्था पर काफी बल दिया गया है । अतः भवन निर्माण सम्बन्धी समस्या कार्यो को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा

पाली जिले में उक्त निर्माण कार्य निम्न विवरणानुसार किया जाना अपेक्षित है –

तीन कक्षा कक्ष वाले विद्यालयों की संख्या

वर्ष	संख्या	लागत (लाख में)	वि.वि
2002–2003	–		
2003–2004	30	11.73	
2004–2005	30	11.73	
2005–2006	25	97.75	
2006–2007	20	78.2	
2007–2008	5	19.55	
योग	110	195.5 लाख	

सारणी 2

दो कक्षा कक्ष वाले विद्यालयों की संख्या

वर्ष	संख्या	लागत (लाख में)	वि.वि
2002–2003	–		
2003–2004	15	42.75	
2004–2005	12	34.2	
2005–2006	12	34.2	
2006–2007	10	28.5	
2007–2008	10	28.5	
2008–2009	6	17.1	
2009–2010	5	14.25	
योग	70	199.5	

सारणी 3

6.4 अतिरिक्त कक्षा कक्ष

जिन विद्यालयों में कमरों की संख्या बहुत कम है और नामांकन बहुत अधिक है उन विद्यालयों में बालक बालिकाओं के बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा । कक्षा कक्षों का निर्माण 40 बालक बालिकाओं पर एक कक्षा कक्ष हो यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा पाली में सन 2002–2010 के अन्तर्गत 3182 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाना है ।

प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष की लागत 1.20 लाख है ।

वर्ष	संख्या	लागत (लाख में)	वि.वि
2002–2003	88	105.6	
2003–2004	1747	2096.4	
2004–2005	287	344.4	
2005–2006	388	465.6	
2006–2007	40	48.00	
2007–2008	206	247.2	
2008–2009	210	252.0	
2009–2010	216	259.2	
योग	3182	3060.00	

सारणी 4

6.5 पेयजल सुविधा

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहा पीने की पानी की सुचारु व्यवस्था नहीं है वहां जल सुविधा की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है । यहं सुविधा निम्न प्रकार से की जा सकेगी –

1. पी.एच.ई.डी. कनैक्शन करवाकर ।
2. हैण्ड पम्प लगवाकर ।
3. टांका निर्माण

वर्तमान में पाली जिले में 974 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है जबकि 812 विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध होना शेष है ।

पी.एच.ई.डी द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रति कनैक्शन 20 हजार रुपये व्यय होगे । तथा हैण्ड पम्प की लागत 50 हजार रुपये होगी ।

आवश्यकतानुसार कुछ विद्यालयों में टाका निर्माण भी करवाया जायेगा इस प्रकार 200 विद्यालय मे हैण्ड पम्प , 175 विद्यालयों में टाका निर्माण , 300 कनैक्शन की सुविधा प्रस्तावित है ।

वर्ष	पेयजल सुविधा		वि.वि
	हैण्डपम्प/ टांका	पी.एच.ई.डी कनैक्शन	
2002–2003			
2003–2004	60	55	
2004–2005	60	50	
2005–2006	60	45	
2006–2007	55	45	
2007–2008	50	40	
2008–2009	50	40	
2009–2010	40	25	
योग	375	300	

सारणी 5

6.6 शौचालय

वर्तमान में जिले में 1326 विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां शौचालय का निर्माण कार्य समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा कराया जायेगा । प्रत्येक शौचालय की संभावित लागत 10 हजार होगी ।

जिले में बालिका विद्यालय स्वतन्त्र रुप से संचातिल है जिनमें शौचालय की व्यवस्था कराया जाना नितान्त आवश्यक है साथ ही ऐसे विद्यालय जहां छात्र छात्रा साथ अध्ययन करते है अर्थात सह शिक्षा वाले है उनमें छात्राओं के पृथक से शौचालय निर्माण वांछित है । अतः जिले में योजनानुसार कुल 900 शौचालयों का निर्माण करया जायेगा।

वर्ष	संख्या	लागत (लाख में)	वि.वि
2002–2003	90	9	
2003--2004	130	13	
2004--2005	130	13	
2005–2006	120	12	
2006--2007	120	12	
2007–2008	110	11	
2008–2009	100	10	
2009--2010	100	10	
योग	900	90	

सारणी 6

6.7 रैम्प्स

पाली जिले में संचालित कुल 1860 में विकलांग छात्र – छात्राओं की संख्या है । तदनुसार जिले मे कुल 200 रैम्प्स निर्माण कराई जानी अपेक्षित है । जिनकी संभावित कुल लागत 40 लाख रुपये होगी । जिससे विकलांग बालक – बालिका वाले विद्यालयों को सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

वर्ष	संख्या	लागत (लाख में)	वि.वि
2002–2003			
2003–2004	40	8	
2004–2005	40	8	
2005–2006	30	6	
2006–2007	30	6	
2007–2008	30	6	
2008–2009	20	4	
2009–2010	10	2	
योग	200	40	

सारणी 6

अध्याय 7

अनुसंधान एवं मूल्यांकन, मॉनिटरिंग

शिक्षा जगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए निरन्तर नवीन नवाचारों का अनुसंधान किया जा रहा है । इन अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त विषयवस्तु के मूल्यांकन, परीवीक्षण एवं प्रबोधन की आवश्यकता होती है । इसी कडी में शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लिए 'सर्वशिक्षा अभियान' में गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर बल दिया गया है । पाठ्यक्रम विकास अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन एव मॉनिटरिंग विशेष रुप से आवश्यक है इस प्रयास में कम्यूनिटी का कार्य महत्वपूर्ण होता है । वर्तमान समय में मूल्यांकन एवं मानिटरिंग में मात्र एक –दो सूचकों का उपयोग किया जाता है । जिससे कि पूर्ण शैक्षिक परिदृश्य का आकलंन सम्भव नहीं हो पाता है अतः आवश्यकता इस चीज की है कि परीवीक्षण मूल्यांकन एवं प्रबोधन के अन्तर्गत शैक्षिक परिदृश्य से सम्बन्धित समस्या सूचको को सम्मिलित किया जाकर एक पुख्ता सूचना की प्राप्ति की जाए जोकि आगामी शैक्षिक योजना हेतु आवश्यक है। बच्चों की प्रगति एव विद्यालयी प्रक्रिया से सम्बन्धित दूसरी विशेषताओं में सामाजिक नेतृत्व एवं समूहो की भी मॉनिटरिंग मे विशेष आवश्यकता है वी.ई.सी. पी.टी.ई, एस.ई.सी., एम.टी.ए, एवं एम.एस.सी आदि को मासिक मीटिंग /पाक्षिक मीटिंग का आयोजन कर सर्वशिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की अधिगम उपलब्धि एवं प्रगति की जानकारी हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हर तीन वर्ष मे 'सामयिक पर्यवेक्षण ' का प्रबन्ध किया गया है ।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर 'रिसर्च ग्रुप्स' का गठन किया जावेगा । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य ब्लॉक एवं संकुलो पर गठित संदर्भ समूह एस.सी.ई.आर.टी. डाइट बी.ई.ओ, जिला परियोजना समन्वर्यक, परियोजना अधिकारी, संकुल प्रभारी की सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेगा ।

गुणवत्ता से सम्बन्धित इन्टरवेन्सस की नीति, आयोजना क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेगा । इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम विकास अध्यापन प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष से सम्बन्धित अन्य गतिविधयों में सलाह एवं मार्गदर्शन करना है ।

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान मे अनुसंधान, मूल्यांकन, परीवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जिनके माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा में सुधार एवं क्रमान्तर्गत अधिगम की वास्तविक स्थिति मापी जा सकती है ।

7.1 प्रबोधन (M.I.S.)

किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रबंधन हेतु एक मजबूत और उत्तरदायी प्रबोधन तन्त्र का होना आवश्यक है । प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है । इस कार्य को मूर्त रुप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रबोधन (M.I.S.) हेतु तीन (3) मुख्य कार्यक्रमों को सम्पादित किया जायेगा ।

1. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र (EMIS)
2. योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र (PMIS)
3. वित्त प्रबंधन सूचना तन्त्र (FMIS)

7.2 प्रबोधन के उद्देश्य (EMIS)

- प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्ष ज्ञात करना व उनका समय पर विश्लेषन करना ।
- नामांकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना ।
- विद्यालय मे अध्ययनरत छात्रों की परिलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनों पर विशेष ध्यान रखना ।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यो की मॉनिटरिंग करना ।

7.3 शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र

जिला स्तर पर ई.एम.आई.एस. के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना NIEP द्वारा निर्धारित DISE 2001 के प्रपत्रों में एकत्रित की जायेगी । गांव की सूचनाएँ हर 3 वर्ष बाद एवं विद्यालय की सूचनाएँ प्रत्येक वर्ष एकत्रित की जायेगी । ये सूचनाएँ सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एस.एम.सी. के अध्यक्ष सीआरसीएफ एवं बीआरसीएफ द्वारा प्रमाणित की जायेगी

ई. एम. आई. एस (EMIS) के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है –

- 6–14 आयु वर्ग के नामवार नांमाकन करना ।
- अध्यनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओ की जानकारी प्राप्त करना ।
- अध्यापको की जानकारी देना ।
- छात्रो की विभिन्न विषयों मे विशेष कार्यो एवं योग्यताओ की जानकारी प्राप्त करना ।
- नामांकन ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी लेना ।
- विद्यालय छात्र अनुपात , कक्षा कक्ष अनुपात एवं शिक्षक छात्र अनुपात ज्ञात करना ।
- विभिन्न मदो में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना ।
- सर्व शिक्षा अभियान के सम्बंध में लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति दर एवं आंकडो का विश्लेषण करना ।
- समय – 2 पर समस्त सूचनाओं की आदिनांक करना जिससे की प्रगति की सही समीक्षा की जा सके

7.4 योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र (PMIS)

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एव समयबद्ध सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल नुद्दा है । सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र (PMIS) के द्वारा समस्त सूचनाएं समय – समय पर एकत्रित की जायेगी । योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे मे जानकारी ली जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान में PMIS के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके क्रियान्वयन में सुविधा प्राप्त होगी । इस हेतु PMIS के द्वारा समस्त सूचनाएं एक साथ प्राप्त की जा सकेगी ।

7.5 वित्त प्रबन्ध सूचना तंत्र (FMIS)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण एवं जटिल मुद्दा है । इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र (FMIS) के द्वारा जिला स्तर पर वित्त सम्बन्धी समस्त खर्चे एवं प्राप्ति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती है । जिसके अन्तर्गत खर्चे, प्राप्तिया, बजट, एस्टिमेशन, बजट एलोटमेन्ट इत्यादि कार्य प्रभावी ढंग से सम्पादित किये जा सकते है ।

वित्त प्रबन्धन हेतु विभिन्न रिपोर्ट्स जैसे – कैश, बुक, लेजर, कोषप्रवाह, चैक इश्यू, ट्राइल बैलेन्स प्राप्तिया व्यय एवं प्रत्येक मद मे व्यय की स्थिति इत्यादि समस्त जानकारियां एक साथ एक ही एक जगह प्राप्त की जा सकती है। अतः वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र (FMIS) वित्त प्रबन्धन हेतु एक प्रभावी एवं सुदृढ़ सूचना तंत्र है ।

7.6 प्रबोधन कार्मिक (M.I..S Staff)

प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान एम.आई.एस. प्रभारी एवं दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं है । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर उक्त स्टाफ (एम.आई.एस. प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्री ऑपरेटर) के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य संचालय हेतु आवश्यक है ।

इस अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक – एक कम्प्यूटर ऑपरेटर होगे ।

7.7 प्रबोधन संसाधन

सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु लोक जुम्बिश उपलब्ध एक कम्प्यूटर सिस्टम के स्थान पर दो कम्प्यूटर सिस्टम की जिला स्तर पर आवश्यकता है । ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रबोधन हेतु एक – एक कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता है ।

7.7.1 निरीक्षण :– सर्वशिक्षा अभियान की गतिविधियां एवं कार्यक्रमों के सतत निरीक्षण किये जायेंगे ताकि कार्यक्रमों की चुनौतियों एवं विशिष्टताओं का अध्ययन कर अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके फिर भी सर्व शिक्षा अभियान मे निरीक्षण की योजना किसी स्तर के कार्मिक की कमियों या गलतियां ढूढना नहीं बल्कि कार्मिको का उत्साहवर्द्धन कर उसे सहयोग एवं संबलन प्रदान कर और अधिक जोश के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करना है । तथा निरीक्षण एवं मूल्यांकन में समाज के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करना है तथा निरीक्षण एवं मूल्यांकन मे समाज के साथ साझेदारी कर विद्यालय प्रबन्धन को सुदृढ करना है ।

7.7.2 ग्राम /विद्यालय स्तर पर निरीक्षण :– ग्राम स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालयों से संबंधित समस्याओ एवं उनके निराकरण का प्रयास करेगी ।

संकुल स्तर पर निरीक्षण :– संकुल स्तर पर संकुल स्तरीय गतिविधियों का निरीक्षण खण्ड स्तरीय/ जिला /राज्य स्तरीय कार्यालयो के कार्मिक, जनप्रतिनिधि, समाज के अन्य लोग समय– समय पर करेगे

7.7.3 विकास खण्ड स्तर पर निरीक्षण :– खण्ड स्तरीय गतिविधियों के निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन (DLO/ SLO) के कार्मिक, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धनागरिक शिक्षक वर्ग एवं अन्य सामाजिक व्यक्ति जिम्मेदार है ।

7.7.4 जिला स्तर पर निरीक्षण :– जिला स्तर की प्रगति एवं कार्यक्रमों का जिला प्रशासन के लोग जनप्रतिनिधि (SLO) के कार्मिक सामाजिक प्रतिनिधि शिक्षक प्रतिनिधि आदि निरीक्षण कर अपने सुझावों एवं मार्गदर्शनों से कार्यक्रमों को प्रभावोत्पादक बनाने में कार्मिको का सहयोग करेंगे ।

7.7.5 मूल्यांकन

जिले में नामांकन, ठहरावदर, गुणात्मक शिक्षा आदि में प्रतिवर्ष की प्रगति मूल्यांकन द्वारा ज्ञात कर उसे और अधिक दर से बढाने हेतु प्रयास किये जाएगें साथ मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपयोगी एवं अनुपयोगी होने की जानकारी तथा नये कार्यक्रमों से जोडने की आवश्यकताओं का पता चल सकेगा । इस प्रकार के विभिन्न स्तरीय मूल्यांकन अभियान एंव इससे जुडे कार्मिकों की कसौटी होंगे ।

7.7.6 अनुसंधान

सर्व शि॰ के तहत किये गये किसी कार्यक्रम विशेष को लेकर प्रत्येक ब्लॉक में एक–एक तथा जिला स्तर प॰ र्ग किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा करवाया जाएगा ।

इस शोध कार्य (अनुसंधान) द्वारा वर्तमान कार्यक्रम की अवश्यकता उपयोगिता क्रियान्वयन का तरीका क्रियान्विति का स्तर, कार्यक्रम से संबंधितों में बदलाव, पूर्व स्थिति में अन्तर आदि का गहराई से अध्ययन हो सकेगा । इससे हमें सर्व शिक्षा अभियान मे रखे गये विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता एवं इनसे होने वाले सामजिक परिवर्तनों की जानकारी मिल सकेगी ।

मूल्यांकन एवं शोध कार्य के अन्तर्गत ही सर्वेक्षण कार्यो यथा – शैक्षिक सर्वेक्षण विद्यालय सर्वेक्षण कार्यो के लिया जा सकता है । इसके लिए ग्राम स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन समिति सदस्यों अनुदेशकों एवं परियोजना के खण्ड स्तरीय एवं संकुल स्तरीय कार्मिको का उपयोग किया जा सकता है एवं अनुदेशकों एवं विद्यालय से प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित किया जा सकता है ।

इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष प्रतिविद्यालय 1500रुपये का प्रावधान है । जिसमे से शोध एवं अनुसंधान कार्य के केन्द्र सरकार स्तर पर होगा इस हेतु 100 रुपये कुल की राशि से खर्च किये जायेगे

अध्याय 8

प्रबन्धन

8.1 प्रस्तावना

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वजनीकरण की दशा में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निः शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । आज की परिस्थितियों में भी दूरदराज के कठिन क्षेत्रों में कार्य को गति प्रदान करने एवं शिक्षा के लक्ष्य की शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित रकने के लिए श्रेष्ठ प्रबन्धन एवं प्रबोधन अत्यावश्यक है । इसके अभाव में शिक्षा के सार्वजनीनकरण का लक्ष्य असंभव एवं दुरुह होने के साथ – साथ स्वप्निल बन कर रह जायेगा । ऐसी स्थिति से दृढ़ता एवं मजबूती से निबटने के लिए जिला स्तर पर प्रबंधन एवं प्रबोधन की महत्ती आवश्यकता है ।

8.2 प्रबन्धन की आवश्यकता

प्राथमिक शिक्षा हेतु कार्य कर रहे विभिन्न संस्थाओं से समाज का कोई लगाव नहीं है तथा समुदाय शिक्षा में कोई रुचि नहीं रखता है । इससे विद्यालय प्रबन्धन सिर्फ अध्यापको एवं शिक्षा अधिकारियों के हाथों मे सिमट कर रह गया है ।

सर्व शिक्षा अभियान की भावना है कि प्रत्येक विद्यालय से उसके आसपास का समुदाय जुडे, विद्यालय की गतिविधियों में भाग ले तथा विद्यालय प्रबन्धन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करे । अपने बालक – बालिकाओं की प्रतिदिन की गतिविधियों एवं प्रगति का अवलोकन करें एवं विद्यालय की छोटी – मोटी आवश्यकताओं की सामुदायिक सहयोग से पूर्ति करे समाज में शिक्षण सस्थाओं के प्रति अपनत्व की भावना जागृत हो ।

8.3 वर्तमान स्थिति एवं भावी योजना

प्रबन्धन के तहत वर्तमान में लोक जुम्बिश में सकुंल/ विकासखण्ड / एवं जिला स्तर पर जो स्टाफ प्रस्तावित है। वह पूरा होने पर पर्याप्त रहेगा । इसी स्टॉफ के जरिये इस कार्य को किया जा सकता है । अतः इसमें कोई परिवर्तित प्रावधान प्रस्तावित नहीं है ।

किसी भी अभियान की क्रियान्विति एवं गुणवत्ता पर नजर रखने एवं अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की समयानुसार सुनिश्चित कने के लिए सुदृढ प्रबन्धन, अनवरत निरीक्षण सतत मूल्यांकन एवं पारदर्श अनुसंधानों की आवश्यकता होती है ।

सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्विति के दौरान भी इन सबका समावेश किया गया है तथा राज्य जिला ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर तद्नुसार प्रबन्धन एवं विभिन्न स्तरों पर नियोजित प्रबन्धन द्वारा निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया है ।

सर्व शिक्षा अभियान में निरीक्षण प्रणाली अधिकारिक रुवरुप में न रखकर विकेन्द्रीकृत रुप में रखी गई है परीवीक्षण दौरान ग्राम स्तर के किसी भी कर्मचारी को यह महसूस कराना कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्मिक हमारे सहयोगी है न कि अधिकारी , सर्व शिक्षा अभियान की भावना है ।

8.4 जिला स्तर पर प्रबन्धन

लक्षित योजना एवं रणनीति परिणिति की सफलता परियोजना के प्रभावी प्रबन्धन एवं मानिटरिंग पर निर्भर करती है । ताकि लक्ष्य प्राप्ति का सही मार्ग तय किया जा सके । इस अध्याय में जिला परियोजना द्वारा कार्यालय की कार्यक्रमों यथा – औपचारिक शिक्षा, एवं प्रशिक्षण वैकल्पिक शिक्षा जेण्डर सवेदनशीलता, भवन विकास, कार्यक्रमों हेतु सघन पर्यवेक्षण एवं संबलन आदि कार्य किये जाऐगे ।

सर्व शिक्षा अभियान के सार्वजनीनकरण तथा इस अभियान का लाभ जन – जन तक पहुंचाने का कार्य जिला स्तरीय प्रबन्धन का ही होगा ब्लॉक एवं संकुल स्तरीय कार्मिकों का निरीक्षण उन्हें समय–समय पर उचित मार्गदर्शन , नवाचारो से अवगत कराना तथा उनके कार्य को परिष्कृत कर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास जिला प्रबन्धन द्वारा की किया जायेगा ।

8.4.1 **जिला परियोजना कार्यालय** :– सर्व शिक्षा अभियान की सफल क्रियान्विति एवं प्रभावी संचालन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार स्टाफ निर्धारण किया जायेगा । विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए जिला स्तर पर विभिन्न पदों का प्रावधान रखा गया है जो निम्नानुसार है :–

क्र.स	पद का नाम	संख्या	वि.वि
1	जिला परियोजना समन्वयक	01	
2	सहायक परियोजना समन्वयक	04	1. (औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण) 2. वैकल्पिक शिक्षा 3. वातावरण निमार्ण, जेण्डर संवेदनशीलता पूर्व बाल्यावस्था एवं विकलांग बच्चो की संख्या 4. भवन विकास (नोट :–चार सहायक परि. समन्वयकों में से एक महिला समन्वयक का होना आवश्यक है।)
3	सहायक लेखाधिकारी	01	
4	सहायक अभियता	01	
	लेखाकार	01	
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	
5	प्रबन्ध सूचना तन्त्र इन्चार्ज	01	
6	कनिष्ठ /वरिष्ठ लिपिक	01	
7	सहायक कर्मचारी	02	

8.4.2 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा से समन्वय)

जिला परियोजना समन्वयक का मुख्य आधार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् से सामंजस्य बैठाकर सर्वशिक्षा अभियान को गति प्रदान करना रहेगा । इसमे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक का विशिष्ट सहयोग एवं कार्य रहेगा ।

जिले में शिक्षा की व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रबन्धन की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के निहित है । इसने अधीन जिला मुख्यालय पर अवर उपजिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य स्टाफ कार्यरत है।

जिला परियोजना कार्यालय में जिला परियोजना समन्वयक व अन्य स्टाफ कार्यरत है । ब्लॉक स्तर पर परियोजना अधिकारी लोक जुम्बिश परियोजना प्रभारी तथा शिक्षा विभाग के ब्लॉक कार्यालय में अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि) का कार्यालय स्थित है । संकुल स्तर पर दो संकुल प्रभारी के पद सृजित है।

शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं मोनेटरिंग का दायित्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि) में निहित है । एवं परियोजना के कार्य के संचालन एवं निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण आदि जिला परियोजना समन्वयक का गुरुत्तर दायित्व है ।

fofHkUu Lrjksa ij leUo;

शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि)	जिला परियोजना समन्वयक
एवं स्टाफ	एवं स्टाफ
↓	↓
अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि)	परियोजना अधिकारी
एवं स्टाफ	एवं स्टाफ
↓	↓
विद्यालय	संकुल प्रभारी
	एवं स्टाफ
	↓
	विद्यालय

उक्त वर्णित तालिका प्रदर्शित करती है कि सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग के समन्वय सहयोगसे ही शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्यों को शत–प्रतिशत हासिल किया जा सकता है । दोनों कार्यालयों में आपसी तालमेल एवं समन्वयन का होना नितांत आवश्यक एवं समय की मांग है । जिस प्रकार एक गाडी के सुचारु संचालन एवं नियंत्रण दोनो पहियों पर निर्भर करता है ठीक उसी प्रकार की स्थिति उक्त कार्यालयो में शिक्षा के लक्ष्यो को अर्जित करने की दशा में होनी चाहिये ।

उक्त तालिका यह भी प्रदर्शित करती है कि सर्व शिक्षा अभियान दोनो की एक ही लक्ष्य. आंतिम सीढी विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का नामांकन, ठहराव, क्षमताओं का विकास एवं गुणवत्तापूर्ण आनन्ददायी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अभी भी शिक्षा से वंचित रहने वाले वर्गो को जोडना है।

विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है और भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं नवाचारों की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त की जायेगी ।

अतः विभिन्न कार्यक्रमों को गति देने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने शिक्षा के सार्वजनीनकरण आकंडो के सही एवं वैध एकत्रीकरण हेतु दोनो का समन्वय आवश्यक है । सर्व शिक्षा अभियान दोनो के बेहतर तालमेल का पक्षधर है जिससे लक्ष्य हासिल किया जाकर समस्त बाधाओ पर विजय प्राप्त की जा सके।

8.4.3 शाषी परिषद्

शाषी परिषद् जिला प्रमुख की अध्याक्षता में जिला परियोजना नीतिगत निर्णय एवं जिल परियोजना कार्यालय द्वारा कार्यालय के सरकारी नामांकन ठहराव एवं शिक्षा की गुणवत्ता एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेगी इसकी की बैठक वर्ष में दो **बार होगी** । शाषी परिषद् मे विभाग के अधीनस्थ अधिकारी शिक्षा से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान, सरपंच, जि.प सहायक आदि शिक्षाविद तथा कार्यरत शिक्षक इसके सदस्य होगें ।

शाषी परिषद् का जिला परियोजना समन्वयक पदेन सचिव होगा । जिला शाषी परिषद निम्नानुसार गठित होगी :–

1. जिला प्रमुख	–	अध्यक्ष
2. जिला कलेक्टर	–	उपाध्यक्ष
3. संसद सदस्य	–	सदस्य
4. लोकसभा सदस्य	–	सदस्य
5. प्रधान	–	सदस्य
6. खण्ड विकास अधिकारी	–	सदस्य
7. समाज सेवक	–	सदस्य
8. महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी	–	सदस्य
9. जिला निष्पादक समिति के सभी सदस्य	–	सदस्य

8.4.4 कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति लगभग 20 सदस्यों से निर्मित होगी । जिसके मुखिया जिला कलेक्टर होगे । इसकी प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित होगी । कार्यकारी समिति को जिला योजना के प्रभावी क्रियान्विति के लिए मॉनिटरिंग एवं समीक्षा के अधिकार होगे । कार्यकारी परिषद् समानान्तर संगठन एवं विभागों से समन्वय के लिए जिला परियोजना समन्वयक को मार्गदर्शन करेगी । जिला परियोजना कार्यालय खण्ड परियोजना कार्यालय एवं अन्य कार्यक्रमों के संचालन की समीक्षा करेगी

जिला कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार होगी –

1. जिला कलक्टर	–	अध्यक्ष
2. अति. कलक्टर (विकास)	–	उपाध्यक्ष
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	–	सदस्य
4. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर	–	सदस्य
5. प्रधानाचार्य डाइट	–	सदस्य
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा)	–	सदस्य
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)	–	सदस्य
8. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधि.	–	सदस्य
9. सचिव जिला साक्षरता समिति	–	सदस्य
10. अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी	–	सदस्य
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	सदस्य
12. युवा समन्वयक नेहरु युवा केन्द्र	–	सदस्य
13. जन सम्पर्क अधिकारी	–	सदस्य
14. परियोजना निदेशक डीआरडीए	–	सदस्य
15. दो शिक्षाविद्	–	सदस्य
16. एक अनुदानित शिक्षण संस्था का प्रतिनिधि	–	सदस्य
17. शिक्षक संघो के दो प्रतिनिधि (एक महिला)	–	सदस्य
18. जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य

यह समिति प्रस्तावित रणनीति आदि के प्रारुप तैयार करने में मदद करेगी । यह समिति स्वतन्त्र रुप से शैक्षिक विचार एवं समायोजन के बारे मे परीक्षण करेगी । ताकि कोई महत्वपूर्ण एवं ज्वलन्त गतिविधि शेष ना रह जाये । यह समिति समूह निम्न उद्देश्यों के लिए कार्य करेगी ।

1. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त गतिविधियों के परिवीक्षण की सदैव आवश्यकता है । यह परिवीक्षण बाह्य एजेन्सियों स्वतन्त्र. समूहो, तकनीकी विशेषज्ञों, ख्याति नाम विद्धजनों द्वारा करवाया जाना है ।
2. जिला सन्दर्भ समूह विभिन्न प्रभागों से संबंधित गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगे और सभी गतिविधियों का जो प्रस्तावित है, का समीक्षात्मक मूल्यांकन करेगे ।
3. जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जो भी साहित्य निर्माण करवाया जाने जैसे पोस्टर्स, फोल्डर्स के संबंध में समालोचतात्मक परीक्षण एवं सूचनात्मक सुझाव प्रदान करेगें ।
4. यह समूह जिले में वर्तमान आवश्कता के अनुसार (विभिन्न प्रभागों) नये नवाचारों से संबंधित कार्यक्रम सुझायेगी ।
5. यह समिति सरकारी संस्थाओं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सर्वशिक्षा अभियान के बीच अन्तर समूहो एवं समन्वयक का तालमेल बारीकी से परीक्षण कर सुझाव देगी ।
6. इसमें डाइट प्रधानाचार्य, जि.शि.स, प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक, सेवा निवृत शैक्षिक अधिकारी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों अध्यापक, शिक्षाविद्, गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य एवं अन्य परियोजनाओं के व्यक्ति सदस्य होगे ।

8.5 ब्लॉक स्तर पर प्रबन्धन

8.5.1 ब्लॉक शिक्षा समिति

पाली जिले के 10 ब्लॉकों में परियोजना कार्यालय संचालित है इन कार्यालय की गतिविधियां निम्न प्रकार होगी

1. यह कार्यालय शैक्षिक योजना और समन्वयन परिवेक्षण एवं मॉनिटरिंग ब्लॉक शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया आदि कार्यक्रमों यथा – वैकल्पिक शिक्षा, भवन विकास, जेण्डर संवेदनशीलता आदि कार्यो के विकेन्द्रीकरण के लिए स्थापित किया जावेगा ।

ब्लॉक स्तर पर यह समिति शैक्षिक गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन एवं सम्बलन प्रदान करने के लिए गठित की जावेगी जो निम्न प्रकार है –

प्रधान पंचायत समिति	–	अध्यक्ष
ग्राम पंचायत का सरपंच (दो महिलाए)	–	सदस्य
जिला परिषद का सदस्य (एक महिला)	–	सदस्य
पंचायत समिति का सदस्य (एक महिला)	–	सदस्य
शिक्षाविद्	–	सदस्य
अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य	–	सदस्य
विकास अधिकारी	–	सदस्य
सीनीयर सैकण्डरी स्कूल का प्रिन्सीपल	–	सदस्य
ब्लॉक का बाल विकास अधिकारी	–	सदस्य
चिकित्सा अधिकारी (पी.एससी का इन्चार्ज)	–	सदस्य
प्रचेता (ए.एन.एम)	–	सदस्य
सेवानिवृत शिक्षाविद्	–	सदस्य
परियोजना अधिकारी	–	सदस्य सचिव

8.5.2 ब्लॉक स्तरीय प्रबन्धन

क्र.स	पद का नाम	संख्या	वि.वि
1	परियोजना अधिकारी	01	
2	सहायक परियोजना अधिकारी	04	1. (औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण) 2. वैकल्पिक शिक्षा 3. वातावरण निर्माण, जेण्डर संवेदनशीलता पूर्व बाल्यावस्था एवं विकलांग बच्चो की शिक्षा 4. भवन विकास (नोट :–चार सहायक परि, अधि. में से एक महिला अधिकारी का होना.आवश्यक है।
3	कनिष्ठ लेखाकार	01	
4	कनिष्ठ लिपकि/ व. लिपिक	01	
5	सहायक कर्मचारी	01	

8.5.3 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) के कार्यालय का संवर्धन

विभिन्न अभावों के चलते जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विद्यालयों का भली–भॉति अनुगमन एवं अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है । अतः विद्यालयो की भली भॉती मॉनीटरिंग हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्र.शि) कार्यालय को सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न सुविधायें एवं सामग्री उपलब्ध करावाई जायेगी कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार निम्नांकित सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार निम्नांकित सामग्री उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है

1. अलामारियॉ / कुर्सी
2. टाइपराइटर
3. कम्प्यूटर
4. फोटो स्टेट मशीन
5. फैक्स

8.6. विद्यालय प्रबन्धन क्षमता विकास

विद्यालय प्रबन्धन को सुदृढ करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक विद्यालय के लिए शाखा प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा । शिक्षकों की संकुल स्तर पर मासिक समीक्षा एवं योजना बैठकों का आयोजक होगा जिसमें सम्बन्धित माह में शिक्षकों द्वारा पढायें गये पाठ्यक्रम की समीक्षा एवं कठिनाईयों का निराकरण एवं आगामी माह में पढायें जाने वाले पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधाओं और आवश्यक सहायक शिक्षण सामग्री के चयन पर संदर्भ व्यक्तियों द्वारा चर्चा की जायेगी संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु अन्य कार्यक्रम निम्नानुसार होगे

- BRT/CRT के सदस्यों द्वारा शिक्षकों का सम्बलन ।
- सतत प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षकों का अभिनवीकरण
- शिक्षकों को TLM हेतु 500/– की राशि प्रतिवर्ष
- प्रत्येक विद्यालय के लिए सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुदान राशि 2000/– प्रति वर्ष
- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाकक्ष, पेयजल बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक– पृथक शौचालय, मरम्मत रैम्पस आदि का निर्माण ।

8.6.1 विद्यालय प्रबन्धन समिति

अनामांकित बालक – बालिकाओं को शिक्षा से जोडने मे सहयोग प्रदान करने तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता ठीक करवाने वातावरण निर्माण मे जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक प्राथमिक शाला उच्च प्राथमिक शाला, राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षा कर्मी पाठशालाएँ, संस्कृत विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है जिसमें विद्यालय के परिक्षेत्र/वार्ड का सरपंच/ वार्ड पंच को अध्यक्ष तथा विद्यालय के संस्था प्रधान को सचिव बनाया जाना है । समिति का संयुक्त खाता नजदीकी बैंक में खुलवाया जायेगा ।

विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है जिसमें विद्यालय के परिक्षेत्र/वार्ड का सरपंच/ वार्ड पंच को अध्यक्ष तथा विद्यालय के संस्था प्रधान को सचिव बनाया गया है । समिति का संयुक्त खाता नजदीकी बैंक में खुलवाया गया है ।

विद्यालय में नामांकन ठहराव गुणात्मक शिक्षा प्रबन्धन व निर्माण आदि शाला प्रबन्धन समिति के मुख्य कार्य होगे ।

विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्यो की देखभाल एवं विद्यालय पर्यवेक्षक व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति गठित की जावेगी ।

विद्यालय प्रबन्ध समिति नामांकन ठहराव एवं अभिभावको को प्रेरित कर बालकों की नियमित उपस्थिति की बढोतरी एवं अवरोधन में कमी करेगी । वे विद्यालय की आधारभूत सुविधाओ के विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण निर्माण करेगी । प्रत्येक (SMC) में 12–15 सदस्य होगें । जिले में प्रत्येक विद्यालय में प्रबन्धन समितियॉ का गठन किया जाएगा जिसमे निम्नानुसार सदस्य होगें :–

वार्ड पचं	–	अध्यक्ष
प्रधानाध्यापक	–	सचिव
दो अनुसूचित जाति के सदस्य	–	सदस्य
दो अनुसूचित जन जाति के सदस्य	–	सदस्य
सभी वर्गो की एक – एक महिला	–	सदस्य
आंगनवबाडीकार्यकार्ता	–	सदस्य
ए.एन.एम	–	सदस्य
सेवानिवृत अध्यापक	–	सदस्य
स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि	–	सदस्य
उपेक्षित /शोषित वर्ग का व्यक्ति	–	सदस्य
संकुल प्रभारी	–	सदस्य

8.7 संकुल कार्यालय

प्रत्येक जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने के लिए भौगोलिक स्थिति तथा कार्य की सुविधा के अनुसार कुछ संकुल निर्मित करने होगें । प्रत्येक संकुल पर दो संकुल प्रभारी कार्यरत रहेगे । प्रथम संकुल प्रभारी , द्वितीय संकुल प्रभारी । (इनमें से एक महिला संकुल प्रभारी होना अनिर्वाय है ।) ये दोनों संकुल क्षेत्र में शैक्षिक वातावरण निर्माण , शिक्षा का प्रचार – प्रसार , लोगो में जागरुकता पैदा करना विशेषकर महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने का कार्य करेगे ।

ब्लॉक स्तर विद्यालय में 15–20 विद्यालयो के समुहों का अथवा तीन ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक संकुल कार्यालय का निर्माण किया जाता है । इस केन्द्र पर 2 संकुल प्रभारी होगे इसका उतरदायित्व होगा कि वह अपने निर्धारित एरिया के विद्यालयों मे जाकर शिक्षकों को सम्बलन प्रेरण एवं आनदंदायी वातावरण बनाने में सहयोग प्रदान करे एवं साथ जेण्डर सवेदनशीलता वातावरण निर्माण एवं परियोजना के अन्य कार्यक्रमों का संकुल स्तर पर सम्पादित कराए ।

संकुल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों मासिक बैठकों एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा । बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए संकुल स्तर पर ही प्रेरक दल, महिला समूह, एवं ग्राम विकास शिक्षा समिति का गठन कर उनके प्रशिक्षण आयोजित किए जाकर

उन्हे चयन किया जाएगा । जो उसी परिक्षेत्र की निवासी होगी तथा उसका उतरदायित्व परिक्षेत्र मे रहने वाले शिक्षा से वंचित बालक – बालिकाओं को विशेष रुप से बालिकाओं को विद्यालय से जोडने के सार्थक प्रयास करना इसके लिए वह समय – समय पर उक्त समितियों की बैठक भी आयोजित होगी इसमें अनामांकित बालिकाओं को शिक्षा से जोडने के लिए माता शिक्षक समिति का निर्माण भी किया जाएगा जिसका उतरदायित्व होगा कि वह अनामांकित बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करें । इसके लिए समय – समय पर विशिष्ट कार्यक्रम एवं कला जत्था आदि कार्यक्रम का आयोजन भी किया जावें ।

पंचायत समिति स्तर पर शिक्षको के सतत् प्रशिक्षण हेतु परियोजना कार्यालय उत्तरदायी होगा इस कार्यालय का दायित्व विकास खण्ड में शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना भी होगा । विद्यालयों के प्रभावी परिवीक्षण एवं शैक्षिक सम्बलन हेतु प्रत्येक संकुल पर एक कार्मिक नियुक्त होगा संकुल कार्यालय विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत गांव का विद्यालय सबसे छोटी इकाई के रुप मे होगा ।

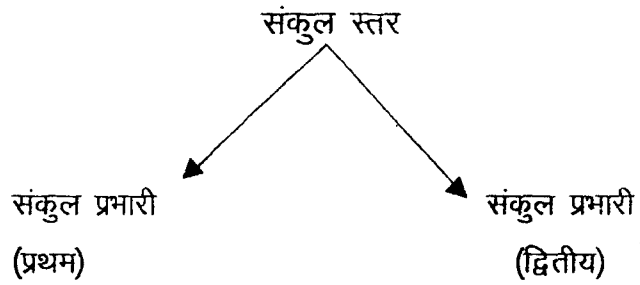

परियोजना की दृष्टि से दोनों संकुल प्रभारियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व पृथक–पृथक होगें

प्रथम संकुल प्रभारी	द्वितीय संकुल प्रभारी
1. औपचारिक शिक्षा 2. प्रशिक्षण 3. शैक्षिक सम्बलन	1. वैकल्पिक शिक्षा 2. जेण्डर संवेदनशीलता 3. पूर्व प्राथमिक बाल्यवस्था शिक्षा व्यवस्था 4. परिचालन गतिविधियां

नोट :– संकुल स्तरीय दो कार्मिको मे से एक महिला आवश्यक रुप से होना अपेक्षित है ।

8.7.1 भवन निर्माण समिति :– प्रत्येक गांव में भवन विकास कार्यक्रम को सुचारु रुप एवं विकेन्द्रीत रुप में संचालित करने हेतु गांवाई समितियों यथा – महिला समूह, प्रेरक दल, आदि के संयुक्त मिश्रण से भवन निर्माण समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है ।जोकि विद्यालय के भौतिक रखरखाव के साथ साथ भवन विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति करेगी एवं विद्यालय की प्रबन्धन समिति (SMC) के साथ समन्वयक के आधार पर निर्माण कार्य को सम्पादित करायेगी । यह समिति विद्यालयों के भौतिक विकास के प्रस्ताव तैयार करेगी एवं साथ ही निर्माण कार्यो को सुचारु रुप से अपनी देख– रेख मे कार्यालय मे परिणित करेगी । इस समिति में (SMC) में सी ही तीन– चार सदस्स मनोनीत किये जायेगे जो भवन निर्माण संबंधित कार्यो का निष्पादन करेगे ।

8.7.2 कोष प्रवाह :– किसी भी कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन में कोष की भूमिका अहम है । बिना कोष योजना की सफलता संदिग्ध ही नहीं अपितु असम्भव एवं स्वप्निल भी ही ।

परियोजना स्तर पर कोष प्रवाह निम्नानुसार होगा –

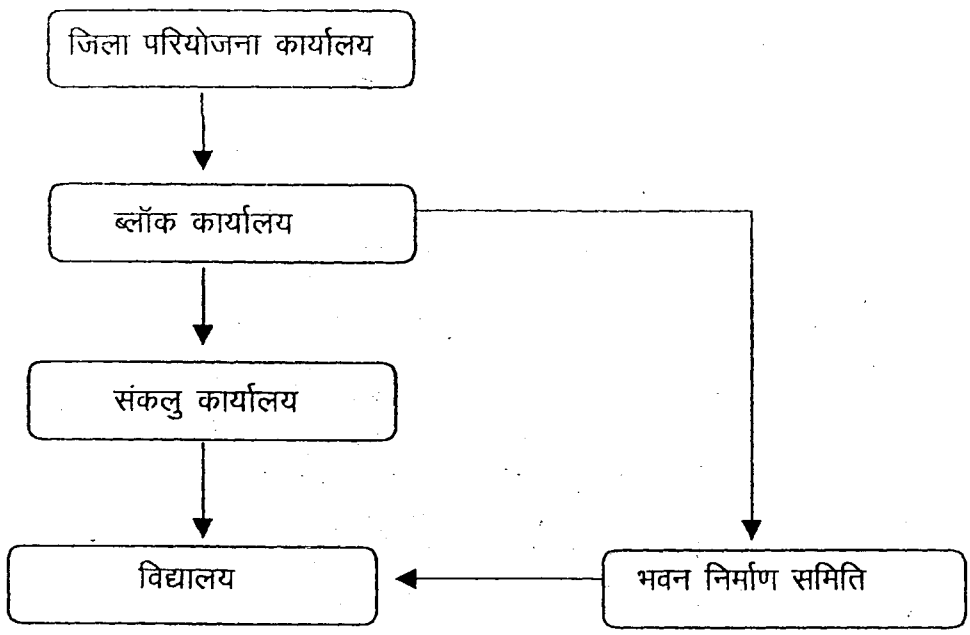

उक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि जिला स्तर से कोष जहॉ एक तरफ ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर तथा विद्यालय स्तर पर पहुँचें, वही दूसरी तरफ भवन निर्माण समिति को सीधे देय न होकर खण्ड स्तर से पहुँचे । भवन निर्माण समिति उक्त राशि का सदुपयोग विद्यालय में अपने स्तर पर करने मे सक्षम होगी । कोष व्यय पर खण्ड स्तरीय परियोजना कार्यालय का पूर्ण नियन्त्रण होगा ।

8.7.3 निरीक्षण :– सर्वशिक्षा अभियान की गतिविधयां एवं कार्यक्रमों के सतत निरीक्षण किये जायेगे तां कार्यक्रमों की चुनौतियों एवं विशिष्टताओं का अध्ययन कर अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा स फिर भी सर्व शिक्षा अभियान मे निरीक्षण की योजना किसी स्तर के कार्मिक की कमियों या गलतियां ढूढ नहीं बल्कि कार्मिको का उत्साहवर्द्धन कर उसे सहयोग एवं संबलन प्रदान कर और अधिक जोश के सा कार्य करने हेतु प्रेरित करना है । तथा निरीक्षण एवं मूल्यांकन में समाज के साथ कार्य करने हेतु प्रेरि करना है तथा निरीक्षण एवं मूल्यांकन मे समाज के साथ साझेदारी कर विद्यालय प्रबन्धन को सुदृढ करन है ।

8.7.4 ग्राम /विद्यालय स्तर पर निरीक्षण :– ग्राम स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालयों से संबंधित समस्याओ एवं उनके निराकरण का प्रयास करेगी ।

8.7.5 संकुल स्तर पर निरीक्षण :– संकुल स्तर पर संकुल स्तरीय गतिविधियों का निरीक्षण खण्ड स्तरीय/ जिला /राज्य स्तरीय कार्यालयो के कार्मिक, जनप्रतिनिधि, समाज के अन्य लोग समय– समय पर करेगे

8.7.6 विकास खण्ड स्तर पर निरीक्षण :– खण्ड स्तरीय गतिविधियों के निरीक्षण के जिला प्रशासन (DLO/ SLO) के कार्मिक, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक शिक्षक वर्ग एवं अन्य सामाजिक व्यक्ति जिम्मेदार है ।

8.7.7. जिला स्तर पर निरीक्षण :– जिला स्तर की प्रगति एवं कार्यक्रमों का जिला प्रशासन के लोग जनप्रतिनिधि (SLO) के कार्मिक सामाजिक प्रतिनिधि शिक्षक प्रतिनिधि आदि निरीक्षण कर अपनें सुझावों एवं मार्गदर्शनों से कार्यक्रमों को प्रभावोत्पादक बनाने में कार्मिको का सहयोग करेंगे ।

8.7.8 सामर्थ्य निमार्ण :– पाली जिले में डाइट बगडी नगर में स्थित है, डाइट प्रधानाचार्य का पद विगत दो सत्र से रिक्त है, जिसे भरा जाना अपेक्षित है इसी तरह डाइट में छात्रावास की व्यवस्था को भी पुख्ता किया जाना अपेक्षित है । साथ ही भवन सुधारण व रखरखाव तथा आवश्यक उपकरण यथा – कम्प्यूटर, फोटो स्टेट मशीन, स्लाइड, प्रोजेक्टर तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए । अतिरिक्त वाहन सुविधा उपलब्ध होने से दिये गए प्रशिक्षणो का अनुश्रवण फील्ड में जाकर सुनिशिचित

किया जा सकता है । तथा शिक्षको को दिन प्रतिदिन आ रही शैक्षिक समस्याओं के आदर्श प्रदर्शन /प्रस्तुतीकरण द्वारा दूर किया जा सकता है ।

सामर्थ्य निर्माण के अन्तर्गत डाइट के अन्तर्गत पदस्थापित स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें भी अन्य शैक्षिक संस्थाओ मे भ्रमण हेतु भेजा जावे ताकि वे नया कुछ सीखकर अपने कार्य व कार्य क्षमता को बढा सके ।

पाली जिले में लोक जुम्बिश परियोजना के तहत अभी एम. आई. एस. प्रबन्ध सूचना तन्त्र के अन्तर्गत अभी सिर्फ कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाएँ ही एकत्रित की जा रही है । जबकि शैक्षणिक प्रबन्ध सूचना तन्त्र का विस्तार किया जाना अभी प्रस्तावित है तथा इनकी महती आवश्यकता भी है । जोकि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जाना चाहिए ताकि सही तरीके से भविष्य में शिक्षा के लिए नियोजन किया जा सके ।

8.8 सहयोग एवं समन्वय

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सन् 2010 तक सभी बच्चो को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने हेतु अन्य विभागो से सहयोग एवं समन्वय से कार्य करेगा इसके अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं बच्चो के ठहराव सुनिशिचित करने के अन्य सभी विभागो की सहायता ली जायेगी इन विभागो द्वारा संचालित योजनाएँ जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने में सहायता मिलेगी हॉसिल की जायेगी इन विभागो में प्रमुखतः निम्न के साथ सहयोग एवं समन्वय किया जायेगा : –

8.8.1 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के साथ

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले में ग्रामीण विकास के कार्य अपनी फेमिन योजनाओं द्वारा संचातिल करता है । जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगार व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो इसके अर्न्तगत निम्न योजनाएँ संचालित की जाती है ।

- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)
- इन्दिरा आवास योजना (I.A.Y)
- इन्दिरा आवास क्रमोन्नयन योजना
- ग्रामीण विकास हेतु श्रम एवं अनुदान योजना (C.C.S)
- विद्यालय व स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MLA.LDA)
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P LAD)
- मात्र एवं बिखरी जनजाति कार्यक्रम
- आवासीय भूखण्ड आवंटन
- राजीव गांधी पारम्परिक जल स्त्रोत सधांरण कार्यक्रम
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
- अन्य योजनाएँ –

सर्वशिक्षा अभियान में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (Mid Day Meel) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मेडिकल रिलीफ योजना आदि के तहत् शिक्षा के विस्तार हेतु सहयोग एवं समन्वयन किया जायेगा ।

8.8.2 महिला एवं बाल विकास (ICDS) के साथ

महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं तथा बाल विकास के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करता है । जिनमें विशेष रुप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा (PCE) मृत एवं शिशु कल्याण योजना पोषाहार, गर्भवती महिलाओं हेतु सूचना एवं पोषण सलाह एवं अन्य सहायता कार्यक्रम । सर्व शिक्षा अभियान में इस विभाग से समन्वयन कर इन योजना के माध्यम से शिक्षा का एक सकारात्मक वातावरण निर्माण किया जायेगा । इन विभागो के कार्मिको का ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रभाव होता है । इनका सहयोग भी नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित रखने के लिये लिया जायेगा

8.8.3 समाज कल्याण विभाग के साथ –

समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछडा वर्ग के लिये विशेष रुप से विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है इस विभाग से पिछडे तबके के बच्चो के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता योजनाओं में सहयोग लिया जायेगा सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं एवं विकलांग बच्चो के लिये विभिन्न प्रकार के उपकरण सहायता एवं छात्रवृत्ति में भी सहयोग किया जायेगा ।

8.8.4 यूनिसेफ (UNICEF) के साथ

संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष भी अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा बाल विकास एवं प्राथमिक शिक्षा में सहयोग करता है । इनमें बालिकाओं की शिक्षा, विकलांगो की शिक्षा एवं पिछडे बच्चों के लिये कार्यक्रमों को सर्व शिक्षा अभियान में जोड कर उनका सहयोग लिया जायेगा ।

8.8.5 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । बच्चे यदि स्वस्थ होगें तो ही वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते है सर्व शिक्षा अभियान में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय जांच, स्वस्थ्य कार्यकर्त्ताओं का सहयोग विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु लिया जायेगा, बच्चो में होने वाली सामान्य बिमारियों के निराकरण के लिये इस विभाग के साथ समन्वयन आवश्यक होगा । साथ ही अभिभावकों में भी जागरुकता उत्पन्न होगी ।

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04 Phy	2003-04 Fin	2004-05 Phy	2004-05 Fin	2005-06 Phy	2005-06 Fin	2006-07 Phy	2006-07 Fin	Total Phy	Total Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium of Additional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	23514	198.693	32690	276.2305	29724	251.1678	26611	224.863	112539	950.955
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			0		10		17		57		84	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0		10	5.000	17	8.500	57	28.500	84	42.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	0	0.000	10	9.000	17	15.300	57	51.300	84	75.600
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	37	44.400	37	44.400	47	56.400	64	76.800	185	222.000
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	0	0.000	10	6.300	17	10.710	57	35.910	84	52.920
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	74	62.160	111	93.240	131	110.040	175	147.000	491	412.440
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	30	36.000	95	114.000	180	216.000	200	240.000	505	606.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	30	15.000	95	47.500	150	75.000	150	75.000	425	212.500
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	7000	7.000	7200	7.200	7400	7.400	7600	7.600	29200	29.200
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	20	51.200	40	102.400	30	76.800	30	76.800	120	307.200
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	17	61.200	30	108.000	17	61.200	57	205.200	121	435.600
	6.3	Toilets	Number	0.1	80	8.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	380	38.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	30	15.000	30	15.000	30	15.000	30	15.000	120	60.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	20	4.000	40	8.000	80	16.000	100	20.000	240	48.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4.000	50	10.000	50	10.000	50	10.000	170	34.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	5	30.000	5	30.000		0.000		0.000	10	60.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	41	82.000	41	82.000		0.000		0.000	82	164.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	20	2.500	75	9.375	75	9.375	80	10.000	250	31.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	30	7.500	40	10.000	40	10.000	60	15.000	170	42.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25		0.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	300	75.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	861	43.050	911	45.550	951	47.550	1105	55.250	3828	191.400
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	441	22.050	441	22.050	451	22.550	467	23.350	1800	90.000
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			50		50		170		50		320	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	50	5.000	50	5.000	170	17.000	50	5.000	320	32.000
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	50	31.500	50	31.500	170	107.100	50	31.500	320	201.600
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	50	42.000	100	84.000	270	226.800	420	352.800
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	50	6.750	50	6.750	170	22.950	50	6.750	320	43.200
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	50	10.200	50	10.200	170	34.680	270	55.080
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	50	11.400	50	11.400	100	22.800
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	50	12.600	50	12.600
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	861	17.220	911	18.220	951	19.020	1105	22.100	3828	76.560
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	441	8.820	441	8.820	451	9.020	467	9.340	1800	36.000
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2535	12.675	2635	13.175	2975	14.875	3075	15.375	11220	56.100
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	3115	15.575	3172	15.860	3216	16.080	3357	16.785	12860	64.300
12		**Teachers Training**												

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	3563		3613	50.582	3783	52.962	3833	53.662	14792	157.206
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	3115		3172	44.408	3216	45.024	3357	46.998	12860	136.430
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	50	1.050	100	2.100	270	5.670	320	6.720	740	15.540
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	3528	2.117	3528	2.117	3608	2.165	3736	2.242	14400	8.640
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012		0.000	1860	22.320	1860	22.320	1860	22.320	5580	66.960
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	861	12.054	911	12.754	951	13.314	1105	15.470	3828	53.592
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	441		441	6.174	451	6.314	467	6.538	1800	19.026
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.800	1	2.400	1	2.400	3	6.600
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080	4	6.120	4	8.160	4	8.160	14	26.520
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320	3	3.240	3	4.320	3	4.320	12	16.200
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	1.350	1	1.800	1	1.800	3	4.950
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	1.260	1	1.680	1	1.680	3	4.620
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	1	1.200	1	0.900	1	1.200	1	1.200	4	4.500
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		0.000	1	0.630	1	0.840	1	0.840	3	2.310
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600	1	0.450	1	0.600	1	0.600	4	2.250
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440	4	1.440	4	1.920	4	1.920	15	6.720
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612	3	0.689	3	0.918	3	0.918	11	3.137
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.230	1	0.306	1	0.306	3	0.842
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	10	14.700	10	19.600	10	19.600	30	53.900
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	30	32.400	30	43.200	30	43.200	90	118.800
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	10	10.800	10	14.400	10	14.400	30	39.600
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08		0.000	10	8.100	10	10.800	10	10.800	30	29.700
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	10	4.500	10	6.000	10	6.000	30	16.500
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0.000	10	3.600	10	4.800	10	4.800	30	13.200
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	10	2.295	10	3.060	10	3.060	30	8.415
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	10	8.500		0.000		0.000		0.000	10	8.500
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	10	1.200	10	1.200	10	1.200	10	1.200	40	4.800
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	10	1.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000	40	4.000
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	10	8.400	10	8.400	10	8.400	10	8.400	40	33.600
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	82	73.800	82	98.400	82	98.400	246	270.600
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	19.1	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	10	1.250	10	1.250	10	1.250	10	1.250	40	5.000
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	10	0.600	10	0.600	10	0.600	10	0.600	40	2.400
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	10	0.500	10	0.500	10	0.500	10	0.500	40	2.000
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	41	4.100	41	4.100		0.000		0.000	82	8.200
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	41	1.025	82	2.050	82	2.050	82	2.050	287	7.175
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	41	0.984	82	1.968	82	1.968	82	1.968	287	6.888
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	41	0.410	82	0.820	82	0.820	82	0.820	287	2.870
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	6000	50.700	5000	42.250	4000	33.800	3000	25.350	18000	152.100
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	441	4.410	441	4.410		0.000		0.000	882	8.820
	21.2	Doveloping Awarness Materfal	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	320	6.400	320	6.400	320	6.400	320	6.400	1280	25.600
		Grand Total				**1022.585**		**1730.416**		**1910.739**		**2287.735**		**6951.475**
		Total of Civil work				366.400		621.275		574.375		752.000		2314.050
		% of Civil works				35.83		35.90		30.06		32.87		33.29
		Total of Management				45.492		43.448		49.484		49.484		187.908
		% of Management				4.45		2.51		2.59		2.16		2.70

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		Additional Teacher								
	1.1	Honorarium of Additional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	23514	198.693		0.000	23514	198.693
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0	0.000	32	16.000	32	16.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	0	0.000		0.000	0	0.000
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	37	44.400		0.000	37	44.400
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	0	0.000		0.000	0	0.000
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	74	62.160		0.000	74	62.160
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	30	36.000	88	105.600	118	141.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	30	15.000		0.000	30	15.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	7000	7.000		0.000	7000	7.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	20	51.200		0.000	20	51.200
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	17	61.200		0.000	17	61.200
	6.3	Toilets	Number	0.1	80	8.000	90	9.000	170	17.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	30	15.000		0.000	30	15.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	20	4.000		0.000	20	4.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4.000		0.000	20	4.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	5	30.000		0.000	5	30.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	41	82.000		0.000	41	82.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	20	2.500		0.000	20	2.500
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	30	7.500		0.000	30	7.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	0	0.000		0.000	0	0.000
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	861	43.050		0.000	861	43.050
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	441	22.050		0.000	441	22.050
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	50	5.000		0.000	50	5.000
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	50	31.500		0.000	50	31.500
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	50	6.750	0	0.000	50	6.750
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	861	17.220	0	0.000	861	17.220
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	441	8.820	0	0.000	441	8.820
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2535	12.675	0		2535	12.675
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	3115	15.575	0	0.000	3115	15.575
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	3563	0.000	0		3563	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	3115	0.000	2388	33.432	5503	33.432
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	50	1.050	0	0.000	50	1.050
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	3528	2.117	0	0.000	3528	2.117
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	0	0.000		0.000	0	0.000
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	861	12.054	0	0.000	861	12.054
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	441	0.000	449	6.286	890	6.286
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080		0.000	2	4.080
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320		0.000	3	4.320
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	1	1.200		0.000	1	1.200
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600		0.000	1	0.600
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	3	1.440		0.000	3	1.440
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	2	0.612		0.000	2	0.612
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	10	8.500		0.000	10	8.500
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	10	1.200		0.000	10	1.200
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	10	1.000		0.000	10	1.000
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	10	8.400		0.000	10	8.400
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	10	1.250		0.000	10	1.250
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	10	0.600		0.000	10	0.600
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	10	0.500		0.000	10	0.500
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	41	4.100		0.000	41	4.100
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	41	1.025		0.000	41	1.025
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	41	0.984		0.000	41	0.984
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	41	0.410		0.000	41	0.410
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	6000	50.700		0.000	6000	50.700
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	441	4.410	0	0.000	441	4.410
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	320	6.400		0.000	320	6.400
		Grand Total				**1022.585**		**170.318**		**1192.903**
		Total of Civil work				366.400		114.600		481.000
		% of Civil works				35.83		67.29		40.32
		Total of Management				45.492		0.000		45.492
		% of Management				4.45		0.00		3.81

Number of Teachers and Class rooms Required

Name of District:-

Activities	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
No. of Children 6-14 Age Groups	314764	322948	331345	339959	348798	357867	367172	376718	386513
Out of School Children	30840	5643							
Enrollment in Schools	283924	317305	331345	339959	348798	357867	367172	376718	386513
Enrollment in Private Schools	32453	36852	38483	39483	40510	41563	42644	43752	44890
Enrollment in EGS/AS	386	12888	5168	1308	-6412				
Enrollment in Govt Schools		267565	287694	299168	314701	316304	324528	332966	341623
Enrollment in Secondary Setup		49770							
Enrollment in Elementary Setup		217795	287694	299168	314701	316304	324528	332966	341623
No. of Teachers Required as PTR 1:40		5445	7192	7479	7868	7908	8113	8324	8541
No. of teachers Required 1+6 Formula in UPS	417	2919							
No. of Teachers Required 1+4 Formula in PS	898	4490							
Total Requirement according Formula		7409							
Sanctioned Post of Teachers		6239							
Need of Additional(Para) Teachers as 1:40 Formula		-794							
Need of Additional(Para) Teachers required as Formula		1170							
Increase in Enrollment			69899	11474	15532	1604	8224	8438	8657
Need of Teachers Due to increase in Enrollment			1747	287	388	40	206	211	216
No. of Class Rooms required presently		88							
No. of Class Rooms required due increase enrollment			1747	287	388	40	206	211	216

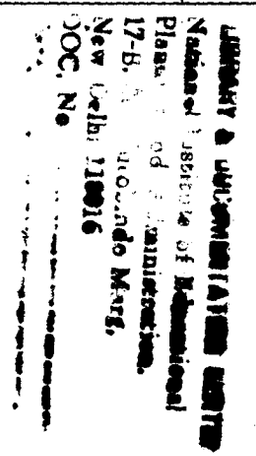

0.116141